



वार्षिक रिपोर्ट 2017-2018



कर्मचारी चयन आयोग
भारत सरकार
कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय

विषय सूची

क्र.सं.	अध्याय	पृष्ठ सं.
	मुख्य सार	01-03
I.	आयोग द्वारा उठाए गए कदम	04-09
II.	कर्मचारी चयन आयोग के कार्य एवं संगठनात्मक ढांचा	10-15
III.	वर्ष 2017 -18 का सिंहावलोकन	16-23
IV.	वर्ष 2017 -18 के दौरान आयोजित परीक्षाएं और किए गए चयन	24-33
V.	चयन पदों पर भर्ती	34-36
VI.	परीक्षा केन्द्र	37-43
VII.	आयोग द्वारा आयोजित परीक्षाओं में महिला अभ्यर्थियों का प्रदर्शन	44-46
VIII.	आयोग की अन्य महत्वपूर्ण गतिविधियां	47-49
IX.	सरकारी काम-काज में हिन्दी का प्रगामी प्रयोग	50-51

परिशिष्ट

क.	कर्मचारी चयन आयोग का गठन करने वाले संकल्प का मूल पाठ एवं संशोधन	52-73
ख.	कर्मचारी चयन आयोग का संगठनात्मक चार्ट, अध्यक्ष/सदस्यों और वर्तमान क्षेत्रीय निदेशकों/उप-निदेशकों की सूची	74-77
ग.	विभिन्न पदों के नाम/वेतनमान/संख्या	78-82
घ.	क्षेत्रीय और उप क्षेत्रीय कार्यालय और उनके कार्य-क्षेत्र	83-85
ङ.	समूह 'ख' एवं 'ग' चयन पदों की भर्ती का ब्यौरा	86-87

मुख्य सार

1. कर्मचारी चयन आयोग, भारत सरकार की सबसे बड़ी भर्ती एजेन्सियों में से एक है। उन पदों को छोड़कर, जो विशेषतः आयोग के कार्यक्षेत्र से बाहर हैं, आयोग को भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों / विभागों और उनके संबद्ध एवं अधीनस्थ कार्यालयों में सभी समूह 'ख' (अराजपत्रित) और समूह 'ग' (गैर-तकनीकी) पदों पर भर्ती करने का कार्य अधिदेशित किया गया है। इसके अतिरिक्त, आयोग को वर्ष 2016 से भारतीय लेखा-परीक्षा और लेखा विभाग के लिए सहायक लेखा अधिकारी और सहायक लेखा-परीक्षा अधिकारी के समूह 'ख' (राजपत्रित) पदों की भर्ती करने का अतिरिक्त उत्तरदायित्व सौंपा गया है।
2. कर्मचारी चयन आयोग का मुख्यालय नई दिल्ली में अवस्थित है। इसका बेंगलूरु, चेन्नै, गुवाहाटी, कोलकाता, मुम्बई, नई दिल्ली तथा इलाहाबाद में स्थित सात क्षेत्रीय कार्यालयों और चंडीगढ़ तथा रायपुर में स्थित दो उप-क्षेत्रीय कार्यालयों का राष्ट्रव्यापी नेटवर्क है। क्षेत्रीय और उप-क्षेत्रीय कार्यालय कर्मचारी चयन आयोग की नीतियों एवं कार्यक्रमों को लागू करते हैं जिसमें संबंधित राज्य सरकारों की सहायता से देश में विभिन्न केन्द्रों पर परीक्षाएं आयोजित करना शामिल है।
3. (क). आयोग 8 अधिदेशित अखिल भारतीय खुली प्रतियोगी परीक्षाओं का आयोजन करता है; अर्थात्:
 - i) संयुक्त स्नातक स्तरीय परीक्षा,
 - ii) संयुक्त उच्चतर माध्यमिक(10+2) स्तरीय परीक्षा,
 - iii) कनिष्ठ अभियंता (सिविल, यांत्रिक, वैद्युत, मात्रा सर्वेक्षण तथा संविदा) परीक्षा,
 - iv) दिल्ली पुलिस, केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बलों में उप-निरीक्षक तथा केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल में सहायक उप-निरीक्षक परीक्षा,
 - v) कनिष्ठ हिन्दी अनुवादक, वरिष्ठ हिन्दी अनुवादक तथा हिन्दी प्राध्यापक परीक्षा,
 - vi) कनिष्ठ अनुवादक (केन्द्रीय सचिवालय राजभाषा सेवा) परीक्षा,
 - vii) मल्टी टास्किंग (गैर-तकनीकी) स्टाफ परीक्षा, और
 - viii) आशुलिपिक ग्रेड 'सी' एवं 'डी' परीक्षा।(ख). इसके अतिरिक्त, आयोग निम्नलिखित पदोन्नति के लिए तीन सीमित विभागीय प्रतियोगी परीक्षाओं का आयोजन करता है:
 - i) मल्टी टास्किंग स्टाफ(एम.टी.एस.) से अवर श्रेणी लिपिक(एल.डी.सी.) ग्रेड,
 - ii) अवर श्रेणी लिपिक(एल.डी.सी.) से उच्च श्रेणी लिपिक(यू.डी.सी.) ग्रेड, और
 - iii) आशुलिपिक ग्रेड 'डी' से आशुलिपिक ग्रेड 'सी'।

- (ग). आयोग भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों/विभागों और उनके सम्बद्ध एवं अधीनस्थ कार्यालयों में समूह 'ख' (अराजपत्रित) और समूह 'ग' (गैर-तकनीकी) चयन पदों, जो कि एकाकी पद हैं (अखिल भारतीय खुली प्रतियोगी परीक्षाओं के अंतर्गत शामिल नहीं हैं) के लिए भी भर्ती परीक्षा का आयोजन करता है। इन पदों को पहले केवल साक्षात्कारों के माध्यम से भरा जाता था। क्योंकि दिनांक 01.01.2016 से भारत सरकार द्वारा निम्न स्तर के पदों के लिए साक्षात्कारों को समाप्त कर दिया गया है अतः उक्त पदों को अब कंप्यूटर आधारित पद्धति में वस्तुनिष्ठ प्रकार के बहु-विकल्पीय प्रश्नों के प्रारूप में आयोजित लिखित परीक्षाओं के माध्यम से भरा जा रहा है।
- (घ). उपर्युक्त के अतिरिक्त, आयोग भारत सरकार के विशिष्ट निदेशों के अनुपालन में गैर अधिदेशित परीक्षाएं भी आयोजित करता है। वर्ष 2017-18 में आयोग द्वारा निम्नलिखित गैर-अधिदेशित परीक्षाएं आयोजित की गईं:-
- (i) दिल्ली पुलिस में कांस्टेबल (कार्यकारी) - पुरुष एवं महिला परीक्षा, 2016
 - (ii) भारत मौसम विज्ञान विभाग में वैज्ञानिक सहायक परीक्षा, 2017
- आयोग द्वारा ये परीक्षाएं क्रमशः दिल्ली पुलिस और भारत मौसम विज्ञान विभाग, पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के साथ किए गए समझौता ज्ञापन (एम ओ यू) के अनुसार आयोजित की गई थी।
- (ङ). आयोग से भारत सरकारी कर्मचारियों के लिए उनके स्थायीकरण/ वेतन वृद्धि को जारी करने अथवा किसी अन्य विशिष्ट आवश्यकता को पूरा करने के प्रयोजन से वार्षिक कौशल परीक्षा का आयोजन करता है।
4. परीक्षाओं के निर्बाध आयोजन तथा योग्यता आधारित चयन के उद्देश्यों को पूर्णतः प्राप्त करने के लिए आयोग द्वारा जहां कहीं आवश्यक हो परीक्षा कार्यविधियों और पद्धतियों की निरन्तर समीक्षाएं की जाती हैं तथा इसमें सुधारों को लागू किया जाता है। परीक्षा प्रक्रिया में अधिकतम कार्य-कुशलता और विश्वसनीयता लाने के लिए नए कदम भी उठाए गए हैं। हाल के वर्षों में अर्थात् जून, 2016 से उठाया गया एक महत्वपूर्ण कदम वस्तुनिष्ठ प्रकार की बहु विकल्पीय परीक्षाओं के आयोजन के लिए ऑप्टिकल मार्क्स रीडर (ओ.एम.आर.) आधारित परीक्षा पद्धति के स्थान पर कंप्यूटर आधारित परीक्षा पद्धति को तेजी और व्यापक रूप से आरम्भ करना है। चयन पदों के लिए भर्ती हेतु परीक्षाओं को भी जिन्हें पहले साक्षात्कारों के माध्यम से भरा जाता था, अब इन परीक्षाओं को कंप्यूटर आधारित पद्धति में आयोजित किया जाता है।
 5. परीक्षा से जुड़े मुख्य कार्यकलापों जैसे आवेदनों की प्राप्ति, प्रवेश पत्रों को जारी करना और परिणामों की घोषणा को ऑनलाइन कर दिया गया है। इसके अलावा, आयोग द्वारा रिक्तियों का ऑनलाइन संग्रहण भी अनिवार्य कर दिया गया है।
 6. आयोग द्वारा वर्ष 2017-18 के दौरान 15 अखिल भारतीय खुली प्रतियोगी परीक्षाओं (चरणों में आयोजित) तथा 02 सीमित विभागीय प्रतियोगी परीक्षाओं का आयोजन किया गया। वर्ष के दौरान आयोग द्वारा आयोजित विभिन्न परीक्षाओं के अलग-अलग चरणों के लिए 2,03,53,580 अभ्यर्थियों को पंजीकृत किया गया। इसमें अखिल

- भारतीय खुली प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए 2,01,38,481 अभ्यर्थी, चयन पद परीक्षाओं के लिए 2,14,417 अभ्यर्थी तथा सीमित विभागीय प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए 682 अभ्यर्थी शामिल हैं।
7. आयोग द्वारा अपनी परीक्षाओं में महिला अभ्यर्थियों की भागीदारी को बढ़ावा देने के ठोस प्रयास किए गए। रिपोर्टाधीन वर्ष के दौरान 1,36,01,758 अभ्यर्थियों, जिन्होंने आयोग द्वारा आयोजित विभिन्न अखिल भारतीय खुली प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए आवेदन किया था, में से 40,79,896 महिला अभ्यर्थी थे। प्रतिशतता की दृष्टि से महिला अभ्यर्थियों की भागीदारी 30 प्रतिशत थी।
 8. वर्ष 2017-18 के दौरान, आयोग ने देश भर में 99 परीक्षा केन्द्रों (अर्थात शहरों) में स्थित 384 परीक्षा स्थलों में 69,75,285 अभ्यर्थियों के लिए अपनी सबसे बड़ी परीक्षा अर्थात मल्टी टास्किंग(गैर-तकनीकी) स्टाफ परीक्षा(पेपर-1), 2016 आयोजित की।
 9. वर्ष 2017-18 के दौरान आयोग द्वारा अखिल भारतीय खुली प्रतियोगी परीक्षाओं के माध्यम से विभिन्न पदों पर नियुक्ति के लिए 43,815 अभ्यर्थियों की तथा चयन पदों के लिए 1,576 अभ्यर्थियों की संस्तुति की गई।
 10. आयोग सरकार की आरक्षण नीति के कार्यान्वयन को यथोचित महत्व देता है और सुनिश्चित करता है कि अ.जा. /अ.ज.जा./अ.पि.व. अभ्यर्थियों के लिए आरक्षित रिक्तियों को पूरी तरह से भरा गया है। प्रतिवेदनाधीन वर्ष के दौरान अखिल भारतीय खुली प्रतियोगी परीक्षाओं के माध्यम से 5,142 अ.जा. अभ्यर्थी, 2,616 अ.ज.जा. अभ्यर्थी और 12,942 अ.पि.व. अभ्यर्थी अर्थात कुल मिलाकर 20,700 अभ्यर्थी नियुक्ति के लिए संस्तुत किए गए थे। इसी प्रकार 1,576 चयन पदों में से 193 अ.जा. अभ्यर्थी, 92 अ.ज.जा. अभ्यर्थी और 463 अ.पि.व. अभ्यर्थी अर्थात कुल मिलाकर 748 अभ्यर्थी नियुक्ति के लिए संस्तुत किए गए।
 11. आयोग दिव्यांग अभ्यर्थियों को परीक्षा स्थल पर सरल, सुरक्षित और परेशानी मुक्त पहुंच उपलब्ध कराने के सघन प्रयास करता है। आयोग पात्र दिव्यांग अभ्यर्थियों को प्रलिपिक, अनुच्छेद वाचक और प्रतिघंटा 20 मिनट का अतिरिक्त समय मुहैया करने की सुविधा भी देता है। इसके अलावा, दृष्टि दिव्यांग अभ्यर्थियों को आकृतियों और आरेखों वाले प्रश्नों के स्थान पर वैकल्पिक प्रश्न दिए जाते हैं। आयोग द्वारा अपनी अधिदेशित अखिल भारतीय खुली प्रतियोगी परीक्षाओं के माध्यम से की गई सिफारिशों में वर्ष 2017-18 के दौरान नियुक्ति के लिए 870 दिव्यांग अभ्यर्थियों का नामांकन किया गया।
 12. वर्ष 2017-18 के दौरान राजभाषा अधिनियम 1963 और राजभाषा नियम, 1976 के उपबंधों का कार्यान्वयन आयोग का एक सतत प्राथमिकता क्षेत्र रहा है। रिपोर्टाधीन वर्ष के दौरान, सरकारी कामकाज में हिन्दी के प्रगामी प्रयोग में उत्तरोत्तर वृद्धि लाने के लिए विभिन्न कदम उठाए गए।
 13. वर्ष 2017-18 के दौरान हिन्दी में उत्कृष्ट कार्य करने के लिए कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग की 'राजभाषा चल शील्ड' आयोग को प्रदान की गई।

अध्याय-I

आयोग द्वारा उठाए गए कदम

- 1.1 आयोग की कार्यात्मक दक्षता में वृद्धि लाने और योग्यता आधारित चयन को सुगम बनाने के लिए, आयोग द्वारा विभिन्न कदम उठाए गए, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित भी शामिल हैं -
- क. आवेदनों की प्राप्ति, रिक्ति संग्रहण, परिणामों की घोषणा तथा संबंधित गतिविधियों के लिए ऑनलाइन प्रणाली।**
- 1.2 पूर्ण डिजिटलीकरण को प्राप्त करने के लिए एक पहल के रूप में, आयोग द्वारा वर्ष 2010 से, चरणबद्ध रूप में ऑनलाइन आवेदन प्रणाली प्रारंभ की गई। इस समय आयोग अपनी सभी परीक्षाओं के लिए आवेदनों को ऑनलाइन प्राप्त करता है।
- 1.3 आयोग विभिन्न परीक्षाओं की विज्ञप्तियों को अपनी वेबसाइट पर अपलोड करता है।
- 1.4 भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों/विभागों से रिक्तियों का ऑनलाइन संग्रहण अनिवार्य कर दिया गया है।
- 1.5 अभ्यर्थियों के प्रवेश पत्रों को आयोग के क्षेत्रीय/उप क्षेत्रीय कार्यालयों की वेबसाइटों पर अपलोड किया जाता है।
- 1.6 इसी तरह, कंप्यूटर आधारित पद्धति में लिखित परीक्षा के आयोजन के बाद अनंतिम उत्तर कुंजियों के बारे में आपत्तियां ऑनलाइन आमंत्रित की जाती हैं। इसके बाद अंतिम उत्तर कुंजियों को आयोग की वेबसाइट पर अपलोड किया जाता है।
- 1.7 मध्यवर्ती स्तरों/चरणों के परिणामों सहित सभी परीक्षाओं के परिणामों को आयोग की वेबसाइट पर घोषित किया जाता है। इसके अतिरिक्त, दस्तावेज सत्यापन और कौशल परीक्षा से संबंधित सूचनाओं को वेबसाइट पर अपलोड किया जाता है।
- 1.8 आयोग की विभिन्न परीक्षा संबंधी गतिविधियों के लिए ऑनलाइन रीति को व्यापक रूप से अपनाने के कारण परीक्षा प्रक्रिया में प्रणालीगत सुधार आए हैं, उदाहरणतः परीक्षाओं के आयोजन में, लगन एवं दक्षता के उच्च स्तरों को प्राप्त करना इत्यादि।
- 1.9 इसके अतिरिक्त, अभ्यर्थियों के साथ ई-मेल/एस.एम.एस इत्यादि के माध्यम से शीघ्र प्रभावी सम्प्रेषण भी किया जाता है।
- ख. परीक्षा की कम्प्यूटर आधारित पद्धति की शुरुआत**
- 1.10 मई, 2016 तक, आयोग की सभी वस्तुनिष्ठ प्रकार की बहुविकल्पीय परीक्षाएं ऑप्टिकल मॉर्क्स रीडर (ओ.एम.आर.) आधारित पद्धति में आयोजित की जाती थी। इसके पश्चात् जून, 2016 में, सरकार से पूर्व- अनुमोदन प्राप्त करके, एक बड़ी पहल के रूप में, आयोग ने अपनी वस्तुनिष्ठ प्रकार की बहुविकल्पीय परीक्षाओं का आयोजन करने के लिए परीक्षा की कम्प्यूटर आधारित पद्धति को आरम्भ किया। आयोग द्वारा जून, 2016 में कम्प्यूटर आधारित पद्धति (सी.बी.एम.) में आयोजित पहली परीक्षा दिल्ली पुलिस, केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बलों में उप-

निरीक्षक तथा के.ओ.सु.ब. में सहायक उप निरीक्षक पुनःपरीक्षा, 2016 थी। इसके पश्चात, आयोग द्वारा कम्प्यूटर आधारित पद्धति में तेजी से और व्यापक परिवर्तन किए गए, जिसके द्वारा आयोग की सभी मुख्य वस्तुनिष्ठ प्रकार की बहु-विकल्पीय परीक्षाएं अब कम्प्यूटर आधारित पद्धति में आयोजित की जा रही हैं।

1.11 वर्ष 2017-18 के दौरान, आयोग द्वारा 15 (पन्द्रह) परीक्षाएं कम्प्यूटर आधारित पद्धति में आयोजित की गईं, जिनका ब्यौरा नीचे सारणी-1.1 में दिया गया है :-

सारणी- 1.1

क्रम संख्या	परीक्षा का नाम	परीक्षा की तिथि
1.	कनिष्ठ हिन्दी अनुवादक, कनिष्ठ अनुवादक, वरिष्ठ हिन्दी अनुवादक और हिन्दी प्राध्यापक परीक्षा(पेपर-I),2017	15.06.2017
2.	दिल्ली पुलिस, केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बलों में उप निरीक्षक तथा के.ओ.सु.ब. में सहायक उप निरीक्षक परीक्षा (पेपर-I), 2017 (कंप्यूटर आधारित परीक्षा)।	01.07.2017 से 07.07.2017 तक
3.	कनिष्ठ अभियंता (सिविल, यांत्रिक, वैद्युत, मात्रा सर्वेक्षण एवं संविदा) परीक्षा (पेपर-II), 2016	30.07.2017
4.	संयुक्त उच्चतर माध्यमिक(10+2) स्तरीय परीक्षा (टियर-II), 2016	09.07.2017
5.	कनिष्ठ हिन्दी अनुवादक, कनिष्ठ अनुवादक, वरिष्ठ हिन्दी अनुवादक और हिन्दी प्राध्यापक परीक्षा(पेपर-II),2017	06.08.2017
6.	संयुक्त स्नातक स्तरीय परीक्षा (टियर-I), 2017	05.08.2017 से 23.08.2017 तक
7.	आशुलिपिक ग्रेड 'सी' और 'डी' परीक्षा,2017	11.09.2017 से 14.09.2017 तक
8.	मल्टी टास्किंग(गैर तकनीकी) स्टाफ परीक्षा(पेपर-I), 2016	16.09.2017 से 31.10.2017 तक
9.	भारत मौसम विज्ञान विभाग में वैज्ञानिक सहायक परीक्षा,2017	22.11.2017 से 25.11.2017 तक
10.	दिल्ली पुलिस में कांस्टेबल(कार्यकारी) पुरुष एवं महिला परीक्षा, 2016	05.12.2017 से 08.12.2017 तक
11.	दिल्ली पुलिस, केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बलों में उप निरीक्षक तथा के.ओ.सु.ब. में सहायक उप निरीक्षक परीक्षा (पेपर-II), 2017	15.12.2017

कर्मचारी चयन आयोग

12.	कनिष्ठ अभियंता (सिविल, यांत्रिक, वैद्युत, मात्रा सर्वेक्षण एवं संविदा) परीक्षा (पेपर-I), 2017	22.01.2018 से 29.01.2018 तक
13.	संयुक्त स्नातक स्तरीय परीक्षा (टियर-II), 2017	17.02.2018 से 22.02.2018 तक
14.	संयुक्त स्नातक स्तरीय परीक्षा (टियर-II), 2017 21.02.2018 की पुनः परीक्षा	09.03.2018
15.	संयुक्त उच्चतर माध्यमिक(10+2) स्तरीय परीक्षा (टियर-I), 2017	04.03.2018 से 28.03.2018 तक

1.12. कम्प्यूटर आधारित पद्धति में परीक्षाओं का आयोजन करने के कार्यनीतिक लाभ हैं, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित शामिल हैं:-

- परीक्षा की कम्प्यूटर आधारित पद्धति अधिक उपयोगी है तथा इसमें पर्याप्त सुरक्षा उपाय उपलब्ध होने के कारण यह तरीका अधिक विश्वसनीय, सक्षम और सुदृढ़ है।
- मानवीय हस्तक्षेप बहुत कम होता है, जिससे परीक्षा में नकल होने की सम्भावनाएं कम हो जाती हैं।
- प्रश्न पत्र प्रबंधन और संचालन में बृहत्तर लचीलापन और उच्चतर गोपनीयता होती है।
- इसमें परिणामों में और अधिक परिशुद्धता होती है तथा इन्हें तेजी से तैयार किया जाता है।
- यह तरीका रिपोर्टों को तैयार करने में बेहतर आंकड़ा प्रबंधन और विश्लेषण करने में भी सहायता प्रदान करता है।

1.13 आयोग ने परीक्षा की कम्प्यूटर आधारित पद्धति के साथ सामंजस्य स्थापित करने के लिए अभ्यर्थियों, विशेषतः ग्रामीण/पहाड़ी/सुदूरवर्ती क्षेत्रों के अभ्यर्थियों को सहायता प्रदान करने के भी अनेक उपाय किए हैं। अन्य बातों के साथ-साथ इसमें निम्नलिखित उपाय शामिल हैं:-

- ऑनलाइन पंजीकरण के लिए प्रारूप/कार्य पद्धति का सरलीकरण।
- परीक्षा की कम्प्यूटर आधारित पद्धति के आयोजन में शामिल प्रमुख प्रक्रियाओं के बारे में अभ्यर्थियों को विस्तार पूर्वक शिक्षित करने के लिए आयोग तथा उसके क्षेत्रीय कार्यालयों की वेबसाइटों पर 'एनिमेटेड वॉक थ्रू मॉड्यूल' को उपलब्ध करना।
- आयोग तथा उसके क्षेत्रीय और उप क्षेत्रीय कार्यालयों की वेबसाइटों पर अभ्यर्थियों के लिए 'प्रैक्टिस टेस्ट' और 'मॉक ड्रिल्स' को परीक्षाओं से पहले अपलोड करना ताकि अभ्यर्थी नियमित रूप से अभ्यास कर सकें तथा परीक्षा की कम्प्यूटर आधारित पद्धति के बारे में स्वयं को अनुकूल बना सकें।
- अभ्यर्थियों के लाभ के लिए परीक्षाओं के प्रवेश प्रमाण पत्र ऑनलाइन अपलोड करना।

- v) महानगरों/राजधानियों के अलावा अन्य शहरों/नगरों/स्थानों स्थित परीक्षा केन्द्रों में परीक्षा का आयोजन करना ताकि स्थानीय अभ्यर्थियों को इन परीक्षा स्थलों/केन्द्रों तक पहुँचने में कम से कम असुविधा का सामना करना पड़े।
- vi) परीक्षा केन्द्रों का आबंटन करते समय, आयोग द्वारा यह सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त सावधानी बरती जाती है कि महिला तथा दिव्यांग (पी.डब्ल्यू.डी.) अभ्यर्थियों को कम से कम असुविधा हो।

ग. एक बारगी पंजीकरण

- 1.14 हाल ही के दिनों में अभ्यर्थियों का एक-बारगी पंजीकरण प्रारंभ करना, आयोग द्वारा उठाया गया एक मुख्य कदम है। इस व्यवस्था के अधीन अभ्यर्थियों को केवल एक बार आयोग की वेबसाइट पर पंजीकरण करने की आवश्यकता है। इसके परिणामस्वरूप उन्हें "यूजर आई डी" और "पासवर्ड" जारी किए जाते हैं, जिसका वे आयोग द्वारा आयोजित विभिन्न परीक्षाओं में उपयोग करते हैं। एक-बारगी पंजीकरण से अभ्यर्थियों का स्थायी डाटा संचय सृजित हो जाता है, जिसमें अभ्यर्थियों द्वारा नए आवेदनों को भरते समय मूल सूचना स्वतः प्रदर्शित हो जाती है। अभ्यर्थी समय-समय पर अपने प्रोफाइल को अद्यतन करने के लिए इस सुविधा का उपयोग कर सकते हैं। इस व्यवस्था के कुछ विशिष्ट लाभ हैं। यह अभ्यर्थियों को एक अनन्य पहचान मुहैया करती है और अनेक पंजीकरण संख्याएं सृजित होने से रोकती है और वारित अभ्यर्थियों को आवेदन करने से रोकती है। यह अधिक- आयु और कम-आयु वाले अभ्यर्थियों की स्वतः छंटाई भी कर देती है।
- 1.15 अनिवार्य एक-बारगी पंजीकरण करते समय सभी अभ्यर्थियों की ई-मेल तथा दूरभाष संख्या को पंजीकृत किया जाता है। आकस्मिक परिस्थितियों में, परीक्षाओं से संबंधित समस्त महत्वपूर्ण सूचनाओं को ई-मेल और एस एम एस के माध्यम से अभ्यर्थियों की पंजीकृत ई-मेल आई डीज / मोबाईल नम्बरों पर इसे सम्प्रेषित किया जाता है।

घ. डिजिटल फिंगर-प्रिंट संग्रहण

- 1.16 आयोग कंप्यूटर आधारित पद्धति में परीक्षा से पहले और दस्तावेज सत्यापन के समय अभ्यर्थियों के फिंगर-प्रिंट भी लेता है। इस प्रकार लिए गए फिंगर-प्रिंट से आयोग को छद्मवेषण के मामले, यदि कोई हैं, की पहचान करने में सहायता मिलती है। इस फिंगर-प्रिंट डाटा बेस को नियुक्ति के समय अभ्यर्थियों के सत्यापन को सुविधाजनक बनाने हेतु, आयोग द्वारा प्रयोक्ता विभागों के साथ उनके अनुरोध पर साझा किया जा सकता है।

ङ. आवेदन के साथ दस्तावेजों को प्रस्तुत किए जाने से छुटकारा

- 1.17 चयन पदों को छोड़कर किसी अन्य पद के लिए ऑनलाइन आवेदन करते समय अभ्यर्थियों को किसी भी दस्तावेज को जमा करने की आवश्यकता नहीं है। दस्तावेज सत्यापन के समय मूल दस्तावेजों से सत्यापन के पश्चात अभ्यर्थियों से दस्तावेजों की स्वःप्रमाणित प्रतियां संग्रहित की जाती हैं।
- 1.18 चयन पदों के मामले में, आयोग के क्षेत्रीय और उप क्षेत्रीय कार्यालयों द्वारा कंप्यूटर आधारित परीक्षा से पूर्व दस्तावेजों को संग्रहित तथा वास्तविक रूप से सत्यापित किया जाता है और संगत दस्तावेजों की स्वः प्रमाणित प्रतियां स्वीकार

की जाती हैं।

च. आशुलिपि परीक्षा के लिए वायसरिकार्डेड श्रुतलेखन

1.19 आशुलिपिक ग्रेड 'सी' एवं 'डी' परीक्षाओं के लिए कौशल परीक्षाओं के क्रियान्वयन में एकरूपता लाने हेतु एक पहल के रूप में, आयोग ने ऑडियो रिकार्ड किए गए अनुच्छेद आरंभ किए हैं। कौशल परीक्षाओं के लिए श्रुतलेखन अनुच्छेदों को अत्याधुनिक ऑडियो रिकॉर्डिंग प्रयोगशालाओं में रिकॉर्ड किया जाता है। आयोग द्वारा की गई इस पहल से कौशल परीक्षाओं के आयोजन में गुणवत्तात्मक सुधार हुआ है।

छ. दिव्यांगजनों के लिए सुविधाएं

1.20 आयोग 40 प्रतिशत अथवा उससे अधिक दिव्यांगता वाले दृष्टि दिव्यांग (दृ.दि.) अभ्यर्थियों, प्रमस्तिष्कीय पक्षाघात(सी पी) से पीड़ित अस्थि दिव्यांग(अ.दि.) अभ्यर्थियों को लिखित परीक्षा/ परीक्षा की कंप्यूटर आधारित पद्धति के लिए प्रति घंटा 20 मिनट के अतिरिक्त समय के साथ साथ प्रलिपिक की सुविधा प्रदान करता है। दृष्टि दिव्यांग अभ्यर्थियों को कौशल परीक्षा के दौरान पाठ वाचक की सुविधा भी प्रदान की जाती है।

1.21 आयोग, ऐसे अभ्यर्थियों, जिन्हें गति-विषयक दिव्यांगता (40% अथवा अधिक) है, जिसमें मुख्य लेखन अग्रांग इस हद तक प्रभावित है, कि इससे अभ्यर्थी के कार्य-निष्पादन में कमी आ गई है, बशर्ते कि अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत चिकित्सा प्रमाणपत्र में ऐसी कमी का उल्लेख किया गया हो, के विशेष अनुरोध पर प्रतिघंटा 20 मिनट का अतिरिक्त समय तथा प्रलिपिक की सुविधा भी प्रदान करता है।

1.22 आयोग द्वारा यह सुनिश्चित किया जाता है कि दृष्टि दिव्यांग अभ्यर्थियों को संख्यात्मक अभिरूचि और सामान्य बुद्धिमत्ता के प्रश्नों के पृथक सेट दिए गए हैं, जिसमें मानचित्र, ग्राफ, सांख्यिकीय डाटा, आरेख, आकृति इत्यादि के घटक नहीं हैं। दृष्टि दिव्यांग अभ्यर्थियों को आकृति और आरेख वाले प्रश्नों के स्थान पर वैकल्पिक प्रश्न दिए जाते हैं।

1.23 आयोग दिव्यांग अभ्यर्थियों को परीक्षा स्थल पर सरल, सुरक्षित और परेशानी मुक्त पहुंच उपलब्ध कराने के सघन प्रयास करता है। इसे सुनिश्चित करने हेतु, आयोग दिव्यांगजनों को भूमितल पर समायोजित करता है, जहां ऐसी व्यवस्था संभव न हो, वहां यह सुनिश्चित किया जाता है कि दिव्यांगजनों को ऐसे परीक्षा केन्द्रों के लिए आबंटित किया गया है जहां एलिवेटर/लिफ्ट और रैंप आदि दिव्यांग अनुकूल सुविधाएं उपलब्ध करायी गई हैं। दिव्यांग अभ्यर्थी, जो प्रलिपिक की सहायता लेते हैं, उन्हें अलग तारीख पर विशिष्ट परीक्षा स्थल मुहैया कराया जाता है।

ज. बायोमिट्रिक पंजीकरण

1.24 आयोग की कंप्यूटर आधारित परीक्षा में उपस्थित होने वाले अभ्यर्थियों की प्रभावी जांच करने के लिए बायोमिट्रिक पंजीकरण प्रणाली शुरू की गयी है, जो परीक्षा के आरंभ होने से तत्काल पूर्व अभ्यर्थियों के फिंगर-प्रिंट और फोटो लेती है। इसके अतिरिक्त, अभ्यर्थियों के बैठने की व्यवस्था बायोमिट्रिक पंजीकरण के आधार पर यादृच्छिक रूप से की जाती है। बायोमिट्रिक पंजीकरण के चरण में लिया गया डाटा तदनंतर परीक्षा के विभिन्न स्तरों में बैठने वाले अभ्यर्थियों की पहचान को सत्यापित करने के लिए प्रयुक्त किया जा सकता है।

झ. सी सी टी वी कैमरा कवरेज

1.25 कंप्यूटर आधारित पद्धति में परीक्षा के आयोजन से संबंधित कार्य-कलाप संवेदनशील प्रकृति के होते हैं और इनकी सी.सी.टी.वी. निगरानी के अधीन गहनता से मॉनीटर किए जाने की आवश्यकता होती है। तदनुसार, परीक्षा के दौरान अभ्यर्थियों पर नजर रखने के लिए संपूर्ण परीक्षा स्थल/लैब को सी सी टी वी कैमरा निगरानी द्वारा कवर किया जाता है। आयोग मुख्यालय तथा आयोग के क्षेत्रीय/उप क्षेत्रीय कार्यालयों में संवेदनशील परीक्षा सामग्री के रख-रखाव की निगरानी करने के लिए भी सी सी टी वी कैमरा लगाए गए हैं।

ज. परिणामों को तैयार करने में पारदर्शिता

1.26 परीक्षाओं के आयोजन में पारदर्शिता की आयोग की नीति को ध्यान में रखते हुए, सभी परीक्षाओं की अनंतिम उत्तर कुंजियों को आयोग की वेबसाइट पर प्रदर्शित करने की कार्यप्रणाली इस वर्ष के दौरान भी जारी रही, जिससे अभ्यर्थियों को प्रश्नपत्र/ अनंतिम उत्तर कुंजियों में विसंगतियाँ, यदि कोई हैं, के विरुद्ध अभ्यावेदन/आपत्तियाँ प्रस्तुत करने का अवसर प्राप्त होता है। आपत्तियाँ प्राप्त होने के बाद, अंतिम उत्तर कुंजियों को तैयार करने से पूर्व आयोग द्वारा विशेषज्ञों के पैनल के माध्यम से यथोचित सावधानी बरती जाती है। इसके पश्चात अंतिम उत्तर कुंजियों के आधार पर परिणाम की घोषणा की जाती है। इन अंतिम उत्तर कुंजियों को आयोग की वेबसाइट पर भी अपलोड किया जाता है, जिससे अभ्यर्थी परीक्षाओं में अपने कार्य-निष्पादन का आकलन करने में समर्थ हो पाते हैं। आयोग द्वारा आयोजित विभिन्न परीक्षाओं में अभ्यर्थियों द्वारा प्राप्त अंकों को भी अभ्यर्थियों के सूचनार्थ वेबसाइट पर प्रदर्शित किया जाता है।

ट. क्षेत्रीय निदेशकों/उप-निदेशकों के साथ वीडियो कान्फ्रेंसिंग

1.27 क्षेत्रीय निदेशकों/उप-निदेशकों को नियमित रूप से सम्मेलन/बैठकों के लिए आयोग के मुख्यालय बुलाना पड़ता था। इस वर्ष के दौरान, आयोग ने क्षेत्रीय निदेशकों/उप निदेशकों के साथ सार्थक तथा यथार्थ वार्तालाप के तरीके के रूप में वीडियो कान्फ्रेंसिंग सुविधा आरंभ की है। इस व्यवस्था से क्षेत्रीय तथा उप क्षेत्रीय कार्यालयों और आयोग मुख्यालय में सूचना के उपयोगी और सार्थक आदान-प्रदान करने में योगदान मिला है। इससे यात्रा पर व्यय और समय बचाने के साथ-साथ आयोग में निर्णय लेने की प्रक्रिया को कारगर और गतिशील भी बनाया है।

अध्याय-II

कर्मचारी चयन आयोग के कार्य एवं संगठनात्मक ढांचा

क. ऐतिहासिक पृष्ठभूमि

- 2.1 संविधान के अनुच्छेद 320 में केन्द्र सरकार के सभी पदों एवं सेवाओं पर भर्ती के लिए परीक्षाओं का संचालन संघ लोक सेवा आयोग द्वारा किया जाने का उपबंध किया गया है। संसद की प्राक्कलन समिति ने अपनी 47वीं रिपोर्ट (1967-68) में संघ लोक सेवा आयोग द्वारा की जा रही निम्नतर श्रेणी के पदों की भर्ती हेतु परीक्षाएं कराने के लिए सेवा चयन आयोग गठित किए जाने की सिफारिश की। इसके अनुसरण तथा अंतरिम उपाय के रूप में भारत सरकार के सचिवालय प्रशिक्षण तथा प्रबंध संस्थान के साथ एक परीक्षा स्कंध जोड़ा गया।
- 2.2 प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग (प्र.सु.आ.) ने भी कार्मिक प्रशासन पर अपनी रिपोर्ट में इस तथ्य की ओर ध्यान आकृष्ट किया कि केन्द्र और राज्यों में अधिकतर सरकारी स्टाफ की संख्या श्रेणी-III और श्रेणी-IV से संबंधित है। विभिन्न कार्यालयों में ऐसे पदों पर भर्ती के लिए निर्धारित योग्यताओं की एकरूपता का उल्लेख करते हुए प्र.सु.आयोग ने विभिन्न विभागों द्वारा गैर तकनीकी पदों की अपेक्षाओं हेतु पूल बनाए जाने और कार्मिकों का चयन संयुक्त भर्ती या बोर्ड के माध्यम से कराए जाने की वकालत की। इस सिफारिश पर भलीभांति विचार करने के पश्चात, भारत सरकार ने कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग के 4 नवम्बर, 1975 के संकल्प संख्या 46/1/(एस)/74-स्था.(बी) (परिशिष्ट-क) के तहत अधीनस्थ सेवा आयोग गठित करने का निर्णय किया।
- 2.3 भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों / विभागों और उनके संबद्ध और अधीनस्थ कार्यालयों में श्रेणी-III (अब समूह ग) के गैर-तकनीकी पदों पर भर्ती करने हेतु अधीनस्थ सेवा आयोग को बाद में 26 सितम्बर, 1977 से कर्मचारी चयन आयोग (क.च.आ.) के रूप में पुनः गठित किया गया। कर्मचारी चयन आयोग के कार्यकलापों में समय-समय पर वृद्धि हुई है। मई, 1999 से इस आयोग को समूह ख (अराजपत्रित) के ऐसे सभी पदों की भर्ती का कामकाज भी सौंपा गया, जिनके अधिकतम वेतनमान 9300-34800 रुपए (ग्रेड वेतन 4600 रु.) से कम था। इन समूह 'ख' पदों की भर्ती पहले संघ लोक सेवा आयोग द्वारा की जाती थी। नवम्बर, 2003 से केन्द्र सरकार द्वारा आयोग को ऐसे सभी समूह 'ख' (अराजपत्रित) पदों पर भर्ती करने के लिए भी प्राधिकृत कर दिया गया जिनके वेतनमान 9300-34800 रुपए (ग्रेड वेतन 4600 रु.) हैं।
- 2.4 दिनांक 21.5.1999 के संकल्प सं.39018/1/98-स्था.(ख) और इसके आनुक्रमिक संशोधन दिनांक 13.11.2003, 29.9.2005, 14 जनवरी, 2011, 24 जुलाई, 2012 और 17 फरवरी, 2016 के संकल्प सं. 24012/8-क/2003-स्था. (ख) के तहत परिभाषित कर्मचारी चयन आयोग के कार्य निम्नानुसार हैं:-
- क (i) भारत सरकार और उनके संबद्ध व अधीनस्थ कार्यालयों के तहत प्रतियोगी परीक्षाओं के माध्यम से, सिवाय उन पदों के जो कर्मचारी चयन आयोग के क्षेत्राधिकार से विशेष रूप से मुक्त हैं, 4800/- रु. तक

के ग्रेड वेतन वाले वेतन बैंड-2 और वेतन बैंड-1 में समूह ख (अराजपत्रित) पदों और समूह ग (गैर-तकनीकी) पदों पर भर्ती करना।

- (ii) 4800/-रु. तक ग्रेड वेतन वाले वेतन बैंड-2 और वेतन बैंड-1 में साक्षात्कार के माध्यम से चयन द्वारा भारत सरकार के अंतर्गत उन पदों पर भर्ती करना, जिन पर आयोग के विवेकाधिकार से पहले शार्टलिस्टिंग या कौशल परीक्षा आयोजित की जा सकती है।
- (iii) केन्द्रीय सचिवालय लिपिकीय सेवा(सी.एस.सी.एस.) / केन्द्रीय सचिवालय आशुलिपिकीय सेवा (सी.एस.एस.एस.) तथा इस प्रकार की अन्य सेवाओं की सीमित विभागीय प्रतियोगी परीक्षाओं का आयोजन करना, जो आयोग को सौंपे गए हैं अथवा आयोग को सौंपे जा सकते हैं।
- (iv) अंग्रेजी/हिन्दी में कौशल परीक्षाओं का आवधिक आयोजन करना तथा इस प्रकार की अन्य कौशल परीक्षाओं का आयोजन करना जैसा कि सरकार द्वारा समय-समय पर निर्दिष्ट किया गया हो।
- (v) भारतीय लेखा परीक्षा और लेखा विभाग के लिए सहायक लेखा अधिकारी और सहायक लेखा परीक्षा अधिकारी के समूह 'ख' (राजपत्रित) पदों की भर्ती करना।
- (vi) केन्द्र सरकार द्वारा समय-समय पर सौंपे गए इस प्रकार के अन्य कार्य करना।

ख) अपने क्षेत्राधिकार में आने वाले पदों पर भर्ती करने के लिए परीक्षाओं और / अथवा जब भी अपेक्षित हो, साक्षात्कारों का आयोजन करना।

2.5 कर्मचारी चयन आयोग, भारत सरकार की सबसे बड़ी भर्ती एजेन्सियों में से एक है। उन पदों को छोड़कर, जो विशेषतः आयोग के कार्यक्षेत्र से बाहर हैं, आयोग को भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों / विभागों और उनके संबद्ध एवं अधीनस्थ कार्यालयों में सभी समूह 'ख' (अराजपत्रित) और समूह 'ग' (गैर-तकनीकी) पदों पर भर्ती करने का कार्य अधिदेशित किया गया है। इसके अतिरिक्त, आयोग को वर्ष 2016 में भारतीय लेखा-परीक्षा और लेखा विभाग के लिए सहायक लेखा अधिकारी और सहायक लेखा-परीक्षा अधिकारी के समूह 'ख'(राजपत्रित) पदों की भर्ती करने का अतिरिक्त उत्तरदायित्व सौंपा गया था।

2.6 आयोग को 8 अखिल भारतीय खुली प्रतियोगी परीक्षाओं के आयोजन का अधिदेश दिया गया है, अर्थात्

- i) संयुक्त स्नातक स्तरीय परीक्षा,
- ii) संयुक्त उच्चतर माध्यमिक(10+2) स्तरीय परीक्षा,
- iii) कनिष्ठ अभियंता (सिविल, यांत्रिक, वैद्युत, मात्रा सर्वेक्षण तथा संविदा) परीक्षा,
- iv) दिल्ली पुलिस, केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बलों में उप-निरीक्षक तथा केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल में सहायक उप-निरीक्षक परीक्षा,

कर्मचारी चयन आयोग

- v) कनिष्ठ हिंदी अनुवादक, वरिष्ठ हिंदी अनुवादक और हिंदी प्राध्यापक परीक्षा,
 - (vi) कनिष्ठ अनुवादक (केंद्रीय सचिवालय राजभाषा सेवा) परीक्षा,
 - (vii) मल्टी टास्किंग (गैर-तकनीकी) स्टाफ परीक्षा, और
 - (viii) आशुलिपिक ग्रेड 'सी' एवं 'डी' परीक्षा
- 2.7 इसके अतिरिक्त, आयोग निम्नलिखित पदों से प्रोन्नति हेतु तीन सीमित विभागीय प्रतियोगी परीक्षाएं भी आयोजित करता है:
- (i) मल्टी टास्किंग स्टाफ (एमटीएस) से अवर श्रेणी लिपिक (एलडीसी) ग्रेड,
 - (ii) अवर श्रेणी लिपिक (एलडीसी) ग्रेड से उच्च श्रेणी लिपिक (यूडीसी) ग्रेड और
 - (iii) आशुलिपिक ग्रेड 'डी' से आशुलिपिक ग्रेड 'सी'
- 2.8 आयोग भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों/विभागों और उनके सम्बद्ध एवं अधीनस्थ कार्यालयों में समूह 'ख' (अराजपत्रित) और समूह 'ग' (गैर-तकनीकी) चयन पदों, जो कि एकाकी पद हैं (अखिल भारतीय खुली प्रतियोगी परीक्षाओं के अंतर्गत शामिल नहीं हैं) के लिए भी भर्ती परीक्षा का आयोजन करता है। इन पदों को पहले केवल साक्षात्कारों के माध्यम से भरा जाता था। क्योंकि दिनांक 01.01.2016 से भारत सरकार द्वारा निम्न स्तर के पदों के लिए साक्षात्कारों को समाप्त कर दिया गया है अतः उक्त पदों को अब कंप्यूटर आधारित पद्धति में वस्तुनिष्ठ प्रकार के बहु-विकल्पीय प्रश्नों के प्रारूप में आयोजित लिखित परीक्षाओं के माध्यम से भरा जा रहा है।
- 2.9 उपर्युक्त के अतिरिक्त, आयोग भारत सरकार के विशिष्ट निदेशों के अनुपालन में गैर अधिदेशित परीक्षाएं भी आयोजित करता है। वर्ष 2017-18 में निम्नलिखित गैर-अधिदेशित परीक्षाएं आयोजित की गईं:-
- (i) दिल्ली पुलिस में कांस्टेबल (कार्यकारी) पुरुष एवं महिला परीक्षा, 2016
 - (ii) भारत मौसम विज्ञान विभाग में वैज्ञानिक सहायक परीक्षा, 2017
- आयोग द्वारा ये परीक्षाएं क्रमशः दिल्ली पुलिस और भारत मौसम विज्ञान विभाग, पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के साथ किए गए समझौता ज्ञापन (एम ओ यू) के अनुसार आयोजित की गई थी।

2.10 वार्षिक कौशल परीक्षाएं

आयोग से वारत सरकारी कर्मचारियों के लिए उनके स्थायीकरण/वेतन वृद्धि को जारी करने अथवा किसी अन्य विशिष्ट आवश्यकता को पूरा करने के प्रयोजन से वार्षिक कौशल परीक्षा का आयोजन करता है। अवर श्रेणी लिपिक (एल डी सी) के पद पर नियुक्त व्यक्तियों के लिए, जो केन्द्रीय सचिवालय लिपिकीय सेवा के अंतर्गत नहीं आते हैं चाहे यह पदोन्नति द्वारा हुई हो अथवा कर्मचारी चयन आयोग के माध्यम से सीधी भर्ती द्वारा हुई हो अथवा अन्यथा अथवा अनुकम्पा आधार पर नियुक्ति सहित किसी अन्य तरीके से हुई हो अथवा तदर्थ आधार पर हुई हो, कार्मिक एवं प्रशिक्षण

विभाग के नवीनतम दिशा-निर्देशों/आदेशों के अनुसार टंकण परीक्षा में अर्हता प्राप्त करना अनिवार्य है।

आयोग भारत सरकार के अधीनस्थ कार्यालयों के आशुलिपिकों (साधारण ग्रेड) को अग्रिम वेतन वृद्धियां प्रदान करने के लिए प्रवीणता परीक्षाओं और दक्षता बोनस योजना के अधीन टंकण परीक्षाओं का आयोजन भी करता है।

ख. कर्मचारी चयन आयोग का संगठनात्मक ढांचा

- 2.11 कर्मचारी चयन आयोग के प्रमुख, अध्यक्ष हैं, जिनका रैंक और दर्जा भारत सरकार में अपर सचिव का है। उन्हें दो सदस्यों, जिनका रैंक और दर्जा भारत सरकार में संयुक्त सचिव स्तर का है, और अन्य अधिकारियों तथा समर्थक स्टाफ द्वारा सहायता प्रदान की जाती है। 31.03.2018 को आयोग की स्वीकृत स्टाफ संख्या नई दिल्ली स्थित मुख्यालय एवं क्षेत्रीय व उप क्षेत्रीय कार्यालयों सहित कुल मिलाकर 481 थी। स्वीकृत संख्या में 43 समूह 'क' पद, 193 समूह 'ख' पद और 240 समूह 'ग' पद शामिल हैं। 5 पदों को समाप्त हुआ माना गया है, क्योंकि ये विगत दस वर्षों से भी अधिक समय से खाली पड़े हुए हैं। कुल स्वीकृत संख्या में से 221 पद (45.94%) आयोग मुख्यालय में स्थित हैं।
- 2.12 आयोग के 07 क्षेत्रीय और 02 उप-क्षेत्रीय कार्यालयों में संस्वीकृत पदों का वितरण नीचे सारणी 2.1 में दिया गया है।

सारणी - 2.1

क्षेत्रीय कार्यालय		
क्रम सं.	क्षेत्र	संस्वीकृत पद
1.	मध्य क्षेत्र	36
2.	पूर्वी क्षेत्र	37
3.	कर्नाटक और केरल क्षेत्र	23
4.	उत्तरी क्षेत्र	42
5.	पूर्वोत्तर क्षेत्र	21
6.	दक्षिणी क्षेत्र	33
7.	पश्चिमी क्षेत्र	34
उप-क्षेत्रीय कार्यालय		
8.	मध्य प्रदेश क्षेत्र	17
9.	पश्चिमोत्तर क्षेत्र	17
	कुल	260

कर्मचारी चयन आयोग

2.13 आयोग का संगठनात्मक ढांचा परिशिष्ट-ख में दिया गया है।

2.14 पदों एवं उनका वेतनमान संबंधी ब्यौरा और मुख्यालय तथा क्षेत्रीय कार्यालयों के स्टॉफ की संख्या का ब्यौरा परिशिष्ट-ग में है।

ग. क्षेत्रीय नेटवर्क

2.15 कर्मचारी चयन आयोग का मुख्यालय ब्लॉक-12, केन्द्रीय कार्यालय परिसर, लोधी रोड, नई दिल्ली में स्थित है। आयोग के 07 क्षेत्रीय कार्यालय बेंगलुरु, चेन्नै, गुवाहाटी, कोलकाता, मुंबई, नई दिल्ली, इलाहाबाद और 02 उप-क्षेत्रीय कार्यालय चंडीगढ़ और रायपुर में स्थित हैं।

2.16 इस नेटवर्क से आयोग और राज्यों/संघ-राज्य क्षेत्रों में स्थित राज्य सरकारों व केन्द्र सरकार के कार्यालयों के बीच प्रभावी संपर्क स्थापित होता है। आयोग क्षेत्रीय/उप-क्षेत्रीय नेटवर्क के जरिए अपनी परीक्षाओं के आयोजन में प्रभावी नियंत्रण स्थापित करने में सक्षम होता है। क्षेत्रीय और उप-क्षेत्रीय कार्यालय अभ्यर्थियों को उनकी समस्याओं को दूर करने के लिए स्थानीय संपर्क केन्द्र प्रदान करने का कार्य भी करते हैं।

2.17 आयोग के क्षेत्रीय और उप-क्षेत्रीय कार्यालय मुख्य रूप से अपनी सभी परीक्षाओं अर्थात् आठ (08) अखिल भारतीय खुली प्रतियोगी अधिदेशित परीक्षाओं, तीन (03) सीमित विभागीय प्रतियोगी परीक्षाओं, चयन पदों के लिए परीक्षाओं और इन परीक्षाओं से संबद्ध कौशल परीक्षाओं के निर्बाध एवं कुशल आयोजन करने व दस्तावेज सत्यापन के लिए उत्तरदायी हैं। इसके अतिरिक्त, क्षेत्रीय/उप-क्षेत्रीय नेटवर्क, भारत सरकार द्वारा आयोग को निर्दिष्ट की गई गैर-अधिदेशित परीक्षाओं के आयोजन में भी समय-समय पर उसे सहायता प्रदान करता है।

2.18 क्षेत्रीय और उप-क्षेत्रीय कार्यालय परीक्षाओं के आयोजन में अन्तर्विष्ट विभिन्न अन्य कार्यकलापों को भी निष्पादित करते हैं, जैसे - आवेदनों का इलेक्ट्रॉनिक डाटा तैयार करना, आयोग के क्षेत्रीय/उप क्षेत्रीय कार्यालयों की वेबसाइटों पर अभ्यर्थियों के प्रवेश-पत्रों (ए सी) को अपलोड करना, जिला प्राधिकारियों / सेवा प्रदाताओं से विचार-विमर्श करके अपने अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत विभिन्न केन्द्रों पर परीक्षा स्थलों को बुक करना / अंतिम रूप प्रदान करना, केन्द्र पर्यवेक्षकों को गैर-गोपनीय परीक्षा सामग्री भेजना और विभिन्न परीक्षा स्थलों में निरीक्षकों और निरीक्षण अधिकारियों को नियुक्त करना। वे विभिन्न केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बलों और दिल्ली पुलिस में भर्ती के लिए शारीरिक क्षमता परीक्षा / शारीरिक मापदंड परीक्षा (पीईटी/पीएसटी) और विस्तृत चिकित्सा परीक्षा (डीएमई) एवं पुनर्विचार चिकित्सा परीक्षा (आरएमई) के आयोजन से भी संबद्ध हैं।

2.19 आयोग मुख्यालय द्वारा विभिन्न परीक्षाओं के परिणाम घोषित करने के उपरांत क्षेत्रीय और उप-क्षेत्रीय कार्यालयों को एक अन्य महत्वपूर्ण कार्य भी निष्पादित करना होता है, उन्हें संस्तुत अभ्यर्थियों के डोजियर तैयार करने होते हैं और उन्हें प्रयोक्ता मंत्रालयों / विभागों को नियुक्ति का प्रस्ताव जारी करने के लिए भेजना होता है।

2.20 आयोग की परीक्षाओं के आयोजन की मूल रूप से क्षेत्रीय और उप-क्षेत्रीय कार्यालयों द्वारा निगरानी और पर्यवेक्षण किया जाता है। बुनियादी स्तर पर समक्ष आ रहे संचालन संबंधी मुद्दों व समस्याओं को क्षेत्रीय और उप-क्षेत्रीय

कार्यालयों द्वारा आयोग मुख्यालय को दिशा-निर्देश और निर्णय करने के लिए संदर्भित किया जाता है। ऐसे मुद्दों का त्वरित और समय पर समाधान करने के लिए आयोग मुख्यालय और क्षेत्रीय / उप-क्षेत्रीय कार्यालयों में वीडियो सम्मेलन के जरिए तेजी से और सामान्यतः दिन-प्रतिदिन के आधार पर आपसी विचार-विमर्श होता है।

2.21 क्षेत्रीय और उप-क्षेत्रीय कार्यालयों, उनके स्थान / पते और अधिकार क्षेत्र का ब्यौरा परिशिष्ट-घ और घ -I में दिया गया है।

घ. बजट और परीक्षा शुल्क

2.22 भारत सरकार द्वारा आयोग के कार्य संचालन के लिए बजटीय सहायता कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय के अंतर्गत कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के वार्षिक बजट से दी जाती है। समझौता ज्ञापन (एम.ओ.यू.) के माध्यम से आयोग द्वारा आयोजित गैर-अधिदेशित परीक्षाओं के संबंध में, व्यय संबंधित मांगकर्ता मंत्रालय/विभाग द्वारा वहन किया जाता है।

2.23 आयोग अभ्यर्थियों से आवेदन की प्राप्ति के समय परीक्षा शुल्क लेता है। आयोग, सरकार के परामर्श से शुल्क ढांचे का निर्धारण करता है। वर्तमान समय में, आयोग सामान्य और अ.पि.व. वर्ग के पुरुष अभ्यर्थियों से 100/- रु. शुल्क लेता है। अनुसूचित जाति (अ.जा.), अनुसूचित जनजाति (अ.ज.जा), दिव्यांगजनों (शा.दि.), भूतपूर्व सैनिक (भ.पू.सै.) और सभी महिला अभ्यर्थियों, चाहे उनकी श्रेणी कुछ भी हो, को परीक्षा-शुल्क के भुगतान से छूट दी गयी है। परीक्षा शुल्क का संग्रहण सभी बैंकों के क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड के माध्यम से, भारतीय स्टेट बैंक के माध्यम से ऑनलाइन भुगतान के जरिए तथा ग्रामीण/पहाड़ी / सुदूरवर्ती क्षेत्रों के अभ्यर्थियों की सुविधा के लिए भारतीय स्टेट बैंक के बैंक चालान के माध्यम से होता है। अभ्यर्थियों से लिया गया परीक्षा शुल्क भारत की संचित निधि में जमा होता है।

2.24 वर्ष 2017-18 के दौरान आयोग का व्यय 348.19 करोड़ रु. था तथा तदनुरूपी अवधि के दौरान परीक्षा शुल्क तथा परीक्षा से संबंधित अन्य प्रभारों से प्राप्ति 57.04 करोड़ रु थी। कर्मचारी चयन आयोग का विगत तीन वर्षों में परीक्षा शुल्क/अन्य शुल्कों से प्राप्ति और व्यय का ब्यौरा नीचे सारणी 2.2 में दिया गया है:

सारणी- 2.2

वर्ष	प्राप्ति (करोड़ रु.)	ब.प्रा. (करोड़ रु.)	सं.प्रा. (करोड़ रु.)	व्यय (करोड़ रु.)	उपयोग की प्रतिशतता (%)
1	2	3	4	5	5/4
2015-16	67.02	127.86	145.40	145.18	99.85%
2016-17	71.67	167.32	113.03	112.91	99.89%
2017-18	57.04	197.32	348.77	348.19	99.83%

अध्याय -III

वर्ष 2017-18 का सिंहावलोकन

- 3.1 वर्ष 2017-18 के दौरान, आयोग ने 1,94,98,514 अभ्यर्थियों के लिए परीक्षाएं आयोजित की।
- 3.2 आयोग ने परीक्षाओं के कैलेंडर के अनुरूप अपनी परीक्षाओं का समय पर आयोजन सुनिश्चित किया है तथा परीक्षा परिणामों की घोषणा की है। आवेदकों की संख्या में असाधारण वृद्धि के बावजूद, आयोग निर्धारित कार्यक्रमों का सख्तीपूर्वक अनुपालन करने में समर्थ रहा है।
- 3.3 वर्ष के दौरान, आयोग ने अपनी सभी परीक्षाओं के लिए आवेदनों को ऑनलाइन प्राप्त किया। इससे आयोग और अभ्यर्थियों के लिए अतिरिक्त रूप से समय और व्यय में काफी बचत हुई है। इससे अभ्यर्थियों के और अधिक सटीक डॉटा बेस को तैयार करने में भी सहायता मिली है।
- 3.4 आयोग ने वर्ष 2017-18 के दौरान 15 परीक्षाएं आयोजित की, जिसमें 79,33,682 अभ्यर्थी उपस्थित हुए थे।
- 3.5 वर्ष 2017-18 के दौरान, आयोग द्वारा वर्ष 2016-17 और 2017-18 के दौरान आयोजित 07 अखिल भारतीय खुली प्रतियोगी परीक्षाओं के अंतिम परिणाम घोषित किए गए और विभिन्न प्रयोक्ता मंत्रालयों / विभागों के लिए नियुक्ति हेतु 45,391 अभ्यर्थियों की संस्तुति की गई। इन 45,391 अभ्यर्थियों में से, 43,815 अभ्यर्थी विभिन्न अखिल भारतीय खुली प्रतियोगी परीक्षाओं के माध्यम से चयनित हुए तथा 1,576 अभ्यर्थी चयन पदों के लिए आयोजित परीक्षाओं के माध्यम से चयनित हुए।
- 3.6 आयोग, अपनी अधिदेशित अखिल भारतीय खुली प्रतियोगी परीक्षाओं का आयोजन करने के अलावा सीमित विभागीय प्रतियोगी परीक्षाओं और चयन पदों के लिए परीक्षाओं का आयोजन करता है। आयोग, भारत सरकार से प्राप्त विशिष्ट निदेशों के आधार पर गैर-अधिदेशित परीक्षाओं का आयोजन भी करता है। वर्ष 2017-18 के दौरान, आयोग ने भारत मौसम विज्ञान विभाग के साथ हस्ताक्षरित एक समझौता ज्ञापन(एम.ओ.यू) के आधार पर उनके विभाग के लिए वैज्ञानिक सहायकों की भर्ती परीक्षा आयोजित की। इसी तरह, आयोग ने दिल्ली पुलिस में कांस्टेबल(कार्यकारी) - पुरुष एवं महिला की भर्ती के लिए समझौता ज्ञापन के अनुसार अन्य गैर-अधिदेशित परीक्षा भी आयोजित की।
- 3.7 आयोग द्वारा इन दो गैर-अधिदेशित परीक्षाओं के आयोजन से, दिल्ली पुलिस में 7307 रिक्तियां और भारत मौसम विज्ञान विभाग में 1102 रिक्तियां भरी गई, इस तरह संबंधित संगठनों द्वारा कुल मिलाकर 8409 रिक्तियां भरी गई थी।
- 3.8 वर्ष 2017-18 के दौरान आयोग की अधिदेशित अखिल भारतीय खुली प्रतियोगी परीक्षाओं के माध्यम से नियुक्ति के लिए संस्तुत अभ्यर्थियों का क्षेत्रवार और श्रेणीवार ब्यौरा नीचे सारणी- 3.1 में दिया गया है:

सारणी- 3.1


अधिदेशित अखिल भारतीय खुली प्रतियोगी परीक्षाओं के माध्यम से की गयी भर्ती

क्षेत्र	अना	अजा	अजजा	अपिव	भूपूसै*	शा.दि*	योग
म.क्षे	2,846	1,004	122	4,612	234	371	8,584
पू.क्षे	1,076	431	105	914	219	100	2,526
के.क.क्षे	376	36	17	273	240	10	702
म.प्र.क्षे.	365	117	24	276	16	18	782
पूर्वो.क्षे.	41	23	186	50	8	3	300
उ.क्षे.	7,724	2,739	1,974	5,329	458	257	17,766
पश्चिमो.क्षे.	916	244	38	270	69	25	1,468
द.क्षे.	706	340	105	943	250	56	2,094
प.क्षे.	393	208	45	275	135	30	921
योग	14,443	5,142	2,616	12,942	1,629	870	35,143

* भूतपूर्व सैनिक तथा दिव्यांगजनों को मुख्य श्रेणी में शामिल किया गया है।


- 3.9 आयोग द्वारा अपनी अखिल भारतीय खुली प्रतियोगी परीक्षाओं के माध्यम से नामित 35,143 अभ्यर्थियों के अलावा, केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बलों, एन.आई.ए. और एस.एस.एफ. में कांस्टेबल (सामान्य ड्यूटी) और असम राइफलस में राइफलमैन (सामान्य ड्यूटी) भर्ती परीक्षा, 2015 से संबंधित 263 अतिरिक्त अभ्यर्थियों को भी वर्ष 2017-18 में चयनित घोषित किया गया था।

वर्ष 2017-18 के दौरान अधिदेशित अखिल भारतीय खुली प्रतियोगी परीक्षाओं में क्षेत्र-वार चयन



कर्मचारी चयन आयोग

वर्ष 2017-18 के दौरान अधिदेशित अखिल भारतीय खुली परीक्षाओं में अना, अजा, अजजा तथा अपिव अभ्यर्थियों का चयन



3.10 वर्ष 2017-18 के दौरान चयन पदों पर की गयी नियुक्ति के लिए संस्तुत अभ्यर्थियों का क्षेत्र-वार और श्रेणी-वार ब्यौरा निम्नलिखित सारणी 3.2 में दिया गया है:


सारणी – 3.2

चयन पदों के माध्यम से की गयी भर्ती

क्षेत्र	अना	अजा	अजजा	अपिव	भूपूसै*	शा.दि*	योग
म.क्षे	114	35	11	56	0	1	216
पू.क्षे	135	35	19	140	4	22	329
के.क.क्षे	111	16	6	40	0	3	173
म.प्र.क्षे.	5	1	2	3	0	0	11
पूर्वो.क्षे.	8	2	1	4	0	0	15
उ.क्षे.	230	39	26	97	0	0	392
पश्चिमो.क्षे.	84	31	10	59	0	5	184
द.क्षे.	41	7	6	16	0	0	70
प.क्षे.	100	27	11	48	0	2	186
योग	828	193	92	463	4	33	1,576

* भूतपूर्व सैनिक तथा दिव्यांगजनों को मुख्य श्रेणी में शामिल किया गया है।

वर्ष 2017-18 के दौरान चयन पद परीक्षाओं में क्षेत्र-वार चयन



3.11 आयोग केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल और दिल्ली पुलिस के लिए जनशक्ति की भर्ती करके भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। वर्ष 2010-11 से 2017-18 की अवधि के दौरान आयोग ने केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों के लिए 2,03,440 कांस्टेबल (सा.ड्यू.) / राइफलमैन और केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों और दिल्ली पुलिस में भर्ती के लिए 22,037 उप निरीक्षकों/ सहायक उप-निरीक्षकों की संस्तुती की हैं।

क. सरकारी नौकरियों में अ.ज./अ.ज.जा/अ.पि.व. के अभ्यर्थियों की भागीदारी को बढ़ावा देने के लिए विशेष कदम

3.12 आयोग सरकार की आरक्षण नीति के कार्यान्वयन को यथोचित महत्व देता है और सुनिश्चित करता है कि अ.जा./अ.ज.जा./अ.पि.व आरक्षित रिक्तियों को पूरी तरह से भरा गया है। कर्मचारी चयन आयोग की परीक्षाओं में शामिल होने के लिए आरक्षित श्रेणी के अभ्यर्थियों को बढ़ावा देने हेतु उठाए गए कुछ कदम इस प्रकार हैं:-

- भारत सरकार के दिशा-निर्देशों के अनुसार, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति से संबंधित अभ्यर्थियों को उपरी आयु सीमा में पांच वर्ष की छूट दी जाती है और अपि.व श्रेणी के अभ्यर्थियों को उपरी आयु सीमा में तीन वर्ष की छूट दी जाती है।
- अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति से संबंधित अभ्यर्थियों को परीक्षा शुल्क के भुगतान से छूट दी जाती है।
- आयोग द्वारा आयोजित विभिन्न परीक्षाओं में जनजाति अभ्यर्थियों की भागीदारी को बढ़ावा देने के लिए आयोग का एक उप-क्षेत्रीय कार्यालय रायपुर में भी स्थापित किया गया है।

3.13 वर्ष 2017-18 के दौरान अखिल भारतीय खुली प्रतियोगिताओं के माध्यम से अ.जा./अ.ज.जा. तथा अ.पि.व. के नामित किए गए अभ्यर्थियों के ब्यौरे अध्याय-IV में दर्शाए गए हैं। प्रतिवेदनाधीन वर्ष के दौरान अखिल भारतीय खुली परीक्षाओं के माध्यम से 5,142 अ.जा अभ्यर्थी, 2,616 अ.ज.जा. अभ्यर्थी और 12,942 अ.पि.व. अभ्यर्थी अर्थात कुल मिलाकर 20,700 अभ्यर्थी नियुक्ति के लिए संस्तुत किए गए थे। यह संख्या नियुक्ति के लिए संस्तुत अभ्यर्थियों की कुल संख्या का 58.90% है।

इसी प्रकार 1,576 चयन पदों में से 193 अ.जा. अभ्यर्थी, 92 अ.ज.जा. अभ्यर्थी और 463 अ.पि.व. अभ्यर्थी अर्थात कुल मिलाकर 748 अभ्यर्थी नियुक्ति के लिए संस्तुत किए गए। यह चयन पदों पर नियुक्ति के लिए संस्तुत कुल अभ्यर्थियों की संख्या का 47.46% बैठती है।

ख. आयोग की परीक्षाओं में महिला अभ्यर्थियों की भागीदारी

3.14 आयोग द्वारा आयोजित विभिन्न परीक्षाओं में भाग लेने के लिए महिला अभ्यर्थियों को प्रोत्साहित करने के लिए आयोग प्रतिबद्ध है। इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए, प्रत्येक विज्ञापन के प्रथम पृष्ठ पर एक शीर्षक विशेष रूप से शामिल किया जाता है, "सरकार एक ऐसा कार्य बल बनाने का प्रयास करती है, जिसमें लिंग संतुलन प्रतिबिंबित हो तथा महिला अभ्यर्थियों को आवेदन करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है।" इसके अतिरिक्त आयोग द्वारा आयोजित परीक्षाओं में महिलाओं के भाग लेने को बढ़ावा देने के लिए सभी श्रेणियों की महिला अभ्यर्थियों को शुल्क में छूट प्रदान की जाती है। वर्ष 2017-18 के दौरान आयोग द्वारा आयोजित अखिल भारतीय खुली प्रतियोगी परीक्षाओं में कुल 40,79,896 महिला अभ्यर्थियों ने आवेदन किया जो कि कुल आवेदकों का 30 प्रतिशत है।

ग. परीक्षाओं की सत्यनिष्ठा को सुनिश्चित करने के लिए उठाए गए कदम

3.15 आयोग द्वारा आयोजित विभिन्न परीक्षाओं के लिए आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों की संख्या में असाधारण वृद्धि होने के कारण स्वतंत्र और निष्पक्ष परीक्षाएं कराने का कार्य अत्यंत चुनौतीपूर्ण है। वर्ष 2017-18 के दौरान, आयोग ने स्वतंत्र और निष्पक्ष परीक्षाओं का आयोजन सुनिश्चित करने के लिए सभी संभव सावधानियां बरती और उपाय किए। किए गए मुख्य उपायों में अन्य के साथ-साथ इनमें निम्नलिखित भी शामिल हैं:-

- i) परीक्षा केंद्रों का सावधानी पूर्वक चयन,
- ii) अभ्यर्थियों का बायोमेट्रिक पंजीकरण,
- iii) सीसीटीवी कैमरों की निगरानी के अधीन कंप्यूटर आधारित परीक्षाओं का आयोजन,
- iv) हस्त मेटल डिटेक्टर (एच एच एम डी) का प्रयोग करके अभ्यर्थियों की संपूर्ण जांच,
- v) बायोमेट्रिक पंजीकरण से जुड़े अभ्यर्थियों की यादृच्छिक रूप से बैठने की व्यवस्था,
- vi) निरीक्षणकर्ता अधिकारियों और फ्लाइंग स्क्वाड (उड़न दस्तों) की तैनाती सहित उच्च-स्तरीय अनुवीक्षण और निरीक्षण,

- vii) चयनित परीक्षा स्थलों पर सेवा प्रदाता द्वारा द्रुत अनुक्रिया दलों की तैनाती।
- viii) परीक्षा आरंभ होने से पहले निरीक्षकों, निरीक्षण कर्ता अधिकारियों (आइओ) व अन्य पद अधिकारियों की विस्तृत ब्रीफिंग ,
- ix) दस्तावेज सत्यापन जिसमें कौशल परीक्षा के लिए अभ्यर्थियों के सत्यापन हेतु उनकी अंगुलियों के निशान लिए जाते हैं,
- x) निम्नलिखित स्कीम के अनुसार परीक्षा स्थलों पर त्रिस्तरीय सुरक्षा की तैनाती की जाती है: -
- क) सेवा प्रदाता द्वारा नियुक्त निजी व्यावसायिक सुरक्षा एजेंसी के माध्यम से परीक्षा स्थलों के भीतर की सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित की जाती है। ये सुरक्षा कार्मिक अभ्यर्थियों की संपूर्ण जामा तलाशी भी लेते हैं और परीक्षा स्थलों में अभ्यर्थियों के प्रवेश का बारीकी से संचालन करते हैं।
- ख) परीक्षा स्थलों पर बाह्य सुरक्षा राज्य पुलिस कार्मिकों द्वारा मुहैया करायी जाती है।
- ग) आयोग संवेदनशील/अति-संवेदनशील परीक्षा स्थलों पर, जहां आवश्यकता होती है, गृह मंत्रालय की सहायता से अर्धसैनिक बलों की तैनाती करता है।
- xi) परीक्षा स्थल पर ड्यूटी कर रहे सभी सुरक्षा कार्मिकों को अपने शरीर पर प्रदर्शित वैध पहचान-पत्र के साथ ड्रेस कोड का सख्तीपूर्वक पालन करना होता है, जिससे उनकी आसानी से पहचान की जा सके।
- xii) परीक्षा के दौरान निषिद्ध वस्तुओं के संबंध में अधिसूचना जारी करना जिसका परीक्षा के दौरान सख्तीपूर्वक कार्यान्वयन किया जाता है।
- xiii) कदाचारों में लिप्त पाए गए अभ्यर्थियों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई की जाती है। इस व्यवस्था के अंतर्गत दोषी अभ्यर्थियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की जाती है, उनकी अभ्यर्थिता निरस्त कर दी जाती है और उन्हें आयोग की भावी परीक्षाओं में बैठने के लिए वारित कर दिया जाता है।

घ. न्यायालयी मामले

3.16 कर्मचारी चयन आयोग अनेक न्यायालयी मामलों पर भी कार्रवाई करता है। दिनांक 31.03.2018 की स्थिति के अनुसार, आयोग द्वारा 2,212 न्यायालयी मामलों और 07 विशेष अनुमति याचिकाओं के खिलाफ मुकदमा लड़ा जा रहा था। पिछले कई वर्षों से यह प्रवृत्ति स्पष्ट रूप से देखी गई है कि किसी भी परीक्षा के अंतिम परिणाम की घोषणा के पश्चात असफल अभ्यर्थियों द्वारा दायर न्यायालयीय मामलों में वृद्धि हो जाती है। इन न्यायालयीय मामलों पर आयोग द्वारा मुस्तैदी से कार्रवाई की जाती है ताकि उन्हें न्यूनतम संभव समय में निपटाने के लिए न्यायालयों को सही, तथ्यात्मक और विधिक स्थिति की जानकारी दी जा सके। आयोग मुख्यालय तथा 09 क्षेत्रीय व उपक्षेत्रीय कार्यालयों के न्यायालयीय मामलों की आयोग द्वारा नियमित आधार पर सघन रूप से निगरानी की जाती है ताकि सभी अपेक्षित कार्यों जैसे काउंटर हलफनामा दायर करना, सरकारी अधिवक्ताओं को ब्रीफिंग देना तथा अन्य प्रतिवादी

संगठनों के साथ समन्वयन करना इत्यादि को शीघ्रतापूर्वक समयबद्ध तरीके से किया जा सके।

ड. सी पी जी आर ए एम एस के अन्तर्गत लोक शिकायतों का निवारण/निपटान

- 3.17 इस समय भारत सरकार की नोडल एजेन्सी अर्थात् प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग (डीएआरपीजी) द्वारा केन्द्रीकृत लोक शिकायत निवारण और मॉनीटरिंग प्रणाली (सीपीजीआरएएमएस) के अधीन ऑन लाइन लोक शिकायतों को केन्द्रित रूप से मॉनीटर किया जाता है। आयोग में अनुसंधान एवं विश्लेषण अनुभाग सरकार द्वारा जारी निदेशों के अनुरूप लोक शिकायतों/परिवादों के निवारण/निपटान के समन्वयन का कार्य करता है। कर्मचारी चयन आयोग में संयुक्त सचिव, भारत सरकार रैंक के अधिकारी को लोक शिकायत नोडल अधिकारी के रूप में पदनामित किया गया है। लोक शिकायत नोडल अधिकारी को अधिकारियों के एक संपूरक दल द्वारा सहायता प्रदान की जाती है जिसमें एक अवर सचिव, एक अनुभाग अधिकारी तथा एक सहायक अनुभाग अधिकारी होता है।
- 3.18 आयोग सुदृढ़ निगरानी तंत्र के जरिए यह सुनिश्चित करने का ठोस प्रयास करता है कि सभी सीपीजीआरएएम मामलों को यथोचित प्राथमिकता के आधार पर और निर्धारित समय-सीमा के भीतर कुशलतापूर्वक निपटान कर दिया गया है। इस तंत्र के जरिए आयोग के सीपीजीआरएएम मामलों का निपटान-समय घटकर 11 दिन तक आ गया है। आयोग शिकायतकर्ताओं को भेजे गए उत्तरों की गुणवत्ता को भी उचित महत्व देता है। ऑफ लाइन शिकायतों सहित इन शिकायतों के समय पर निपटान की निगरानी आयोग के अध्यक्ष महोदय द्वारा साप्ताहिक आधार पर की जाती है।
- 3.19 प्रतिवेदनाधीन वर्ष के दौरान कर्मचारी चयन आयोग में सीपीजीआरएएमएस के अंतर्गत प्राप्त 20,585 शिकायतों में से 18,687 लोक शिकायतों का निपटान किया गया। वित्तीय वर्ष के अंत में प्राप्त शेष 1898 शिकायतों, जोकि वित्तीय वर्ष के अंतिम सप्ताह में प्राप्त हुई थी, को अगले वर्ष के लिए अग्रेषित कर दिया गया।

च. ऑनलाइन सूचना का अधिकार पोर्टल

- 3.20 आयोग के मुख्यालय तथा इसके क्षेत्रीय कार्यालयों को सूचना का अधिकार आवेदनों और अपीलों को प्राप्त करने तथा उनका समयबद्ध तरीके से निपटान करने के लिए कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के ऑनलाइन सूचना का अधिकार पोर्टल के साथ सफलतापूर्वक जोड़ दिया गया है। तदनुसार, अधिकांश सूचना का अधिकार आवेदनों और सूचना का अधिकार अपीलों की अब ऑनलाइन प्राप्ति तथा उन पर कार्यवाई भी ऑनलाइन की जा रही है। इसके परिणामस्वरूप कागजी कार्य को कम करने के अलावा सूचना का अधिकार आवेदनों के उत्तरों को तैयार करना और उनकी सुपुर्दगी अधिक प्रभावी रूप से हो रही है। वर्ष 2017-18 के दौरान, आयोग मुख्यालय में सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अन्तर्गत कुल 21,530 सूचना का अधिकार आवेदन तथा 1,634 सूचना का अधिकार अपीलें प्राप्त हुई तथा इनका निर्धारित अवधि के भीतर त्वरित रूप से निपटान किया गया। यहां यह उल्लेख करना तर्कसंगत होगा कि पूर्व वर्ष 2016-17 में आयोग ने ऑनलाइन आरटीआई आवेदनों के कुशल और गुणवत्तापूर्ण निपटान के लिए कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग से दो उत्कृष्टता प्रमाण-पत्र प्राप्त किए थे।

3.21 केन्द्रीय सूचना आयोग की तिमाही रिपोर्टों के अनुसार, कर्मचारी चयन आयोग (मुख्यालय) में प्राप्त सूचना का अधिकार आवेदनों और प्रथम अपीलों की कुल संख्या नीचे सारणी 3.3 में दी गई है:-

सारणी-3.3

क्र.सं.	तिमाही विवरणी	सूचना का अधिकार आवेदन (ऑनलाइन + ऑफलाइन)	प्रथम अपीलें
1	पहली तिमाही (01.04.17 से 30.06.17 तक)	3,133	323
2	दूसरी तिमाही (01.07.17 से 30.09.17 तक)	5,727	400
3.	तीसरी तिमाही (01.10.17 से 31.12.17 तक)	6,424	452
4.	चौथी तिमाही (01.01.18 से 31.03.18 तक)	6,246	459
	योग	21,530	1,634

अध्याय-IV

वर्ष 2017-18 के दौरान आयोजित परीक्षाएं और किए गए चयन

- 4.1 आयोग, भारत सरकार की एक प्रमुख भर्ती एजेंसी के रूप में, अपने अधिदेशित उत्तरदायित्वों के निर्वहन में, अपनी परीक्षाओं को कार्यक्रम के अनुसार आयोजित करने, परिणामों की समय पर घोषणा सुनिश्चित करने और चयनित अभ्यर्थियों का नामांकन प्रयोक्ता मंत्रालयों / विभागों आदि में शीघ्रतापूर्वक करने के लिए प्रतिबद्ध है। वर्ष 2017-18 के दौरान आयोग ने सावधानीपूर्वक योजना बनाकर और कुशल निष्पादन के माध्यम से यह स्थिति सुनिश्चित की।
- 4.2 वर्ष 2017-18 के दौरान कर्मचारी चयन आयोग ने 1,94,98,514 अभ्यर्थियों के लिए विभिन्न भर्ती परीक्षाएं आयोजित की। इनमें से 1,92,83,415 अभ्यर्थी अखिल भारतीय खुली प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए, 2,14,417 अभ्यर्थी चयन पद परीक्षा के लिए तथा 682 अभ्यर्थी सीमित विभागीय प्रतियोगी परीक्षाओं के थे।
- 4.3 वर्ष 2017-18 के दौरान आयोग द्वारा आयोजित अखिल भारतीय खुली परीक्षाओं का परीक्षा-वार विवरण निम्नलिखित सारणी 4.1 में दिया गया है:

सारणी- 4.1

अखिल भारतीय खुली प्रतियोगी परीक्षा 2017-18

क्रम सं	परीक्षा का नाम	परीक्षा तिथि	नियत अभ्यर्थी	उपस्थित अभ्यर्थियों की संख्या
1	कनिष्ठ हिन्दी अनुवादक, कनिष्ठ अनुवादक, वरिष्ठ हिन्दी अनुवादक तथा हिन्दी प्राध्यापक परीक्षा (प्रश्नपत्र-I), 2017	15.06.2017	29,131	10,353
2.	दिल्ली पुलिस, केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बल में उप-निरीक्षक तथा के.औ.सु.बल में सहायक उप निरीक्षक परीक्षा (प्रश्नपत्र-I), 2017	01.07.2017 से 07.07.2017	7,29,596	3,41,414
3.	कनिष्ठ अभियंता (सिविल, यांत्रिक, वैद्युत, मात्रात्मक सर्वेक्षण तथा संविदा) परीक्षा (प्रश्नपत्र -II), 2016	30.07.2017	8,332	6,792
4.	संयुक्त उच्चतर माध्यमिक (10+2) स्तरीय परीक्षा (टियर-II), 2016	09.07.2017	53,205	43,371
5.	कनिष्ठ हिन्दी अनुवादक, कनिष्ठ अनुवादक, वरिष्ठ हिन्दी अनुवादक तथा हिन्दी प्राध्यापक परीक्षा (प्रश्नपत्र-II), 2017	06.08.2017	2,087	1,948

6.	संयुक्त स्नातक स्तरीय परीक्षा (टियर-I), 2017	05.08.2017 से 23.08.2017	29,28,826	15,43,962
7.	आशुलिपिक श्रेणी 'ग' तथा 'घ' परीक्षा, 2017	11.09.2017 से 14.09.2017	5,41,900	2,25,461
8.	मल्टी टास्किंग (गैर-तकनीकी) स्टाफ परीक्षा (पेपर-I), 2016 *	16.09.2017 से 31.10.2017	69,75,285	19,95,813
9.	भा.मौ.वि. में वैज्ञानिक सहायक परीक्षा, 2017	22.11.2017 से 25.11.2017	4,75,093	1,61,174
10.	दिल्ली पुलिस में पुरुष एवं महिला कांस्टेबल (कार्यकारी) परीक्षा, 2016	05.12.2017 से 08.12.2017	1,95,860	1,83,047
11.	दिल्ली पुलिस, केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बल में उप- निरीक्षक तथा के.औ.सु.बल में सहायक उप निरीक्षक परीक्षा (प्रश्नपत्र -II), 2017	15.12.2017	12,047	11,632
12.	कनिष्ठ अभियंता (सिविल, यांत्रिक, वैद्युत, गुणवत्ता सर्वेक्षण तथा संविदा) परीक्षा (प्रश्नपत्र -I), 2017	22.01.2018 से 29.01.2018	9,95,350	5,70,189
13.	संयुक्त स्नातक स्तरीय परीक्षा (टियर-II), 2017	17.02.2018 से 22.02.2018	1,89,838	1,47,946
14.	संयुक्त स्नातक स्तरीय परीक्षा (टियर-II), 2017 21.02.2018 की पुनर्परीक्षा	09.03.2018	35,146	32,512
15.	संयुक्त उच्चतर माध्यमिक (10+2) स्तरीय परीक्षा (टियर-I), 2017	04.03.2018 से 28.03.2018	61,11,719	26,58,068
16.	दिल्ली पुलिस, केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बल में उप- निरीक्षक तथा के.औ.सु.बल में सहायक उप निरीक्षक परीक्षा, 2018	परीक्षा आयोजित की जानी है	8,55,066	#
	योग		2,01,38,481	79,33,682

* अभ्यर्थी वर्ष 2016-17 में पंजीकृत किए गए, परीक्षा 2017-2018 में आयोजित की गई।

अभ्यर्थी वर्ष 2017-18 में पंजीकृत किए गए, परीक्षा वर्ष 2018-19 में आयोजित की जाएगी।

क. 1.4.2017 से 31.3.2018 की अवधि के दौरान घोषित परिणाम

4.4 वर्ष 2017-18 के दौरान , सात परीक्षाओं के परिणाम जोकि घोषित किए गए थे, सारणी 4.2 से 4.15 तक

कर्मचारी चयन आयोग

निम्नलिखित दिए गए हैं: -

1. संयुक्त स्नातक स्तरीय परीक्षा, 2016

परिणाम घोषित करने की तिथि – 05.08.2017

सारणी-4.2

	अना	अजा	अजजा	अपिव	भूपूसै*	शा.दि*	योग
आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों की कुल संख्या	4,16,927	1,53,585	48,014	3,43,739	7,783	9,695	9,79,743
क.प्र.प./कौशल परीक्षा/ दस्तावेज सत्यापन के लिए बुलाए गए अभ्यर्थियों की संख्या	13,388	4,715	2,139	12,604	1,427	816	35,089
अंतिम रूप से संस्तुत	5,262	1,528	838	3,033	631	311	10,661

सारणी-4.3

संयुक्त स्नातक स्तरीय परीक्षा, 2016: क्षेत्रवार विवरण

क्षेत्र	अना	अजा	अजजा	अपिव	भूपूसै*	शा.दि*	योग
म.क्षे.	724	193	16	640	98	103	1,573
पू.क्षे.	371	135	32	190	89	33	728
के.क.क्षे.	142	11	10	84	62	1	247
म.प्र.क्षे.	117	26	9	49	6	8	201
पूर्वो.क्षे	12	7	22	12	1	1	53
उ.क्षे.	2,883	847	678	1,565	186	122	5,973
पश्चिमो.क्षे.	415	95	11	90	29	9	611
द.क्षे.	358	135	40	295	86	23	828
प.क्षे.	240	79	20	108	74	11	447
योग	5,262	1,528	838	3,033	631	311	10,661

2 संयुक्त उच्चतर माध्यमिक (10+2) स्तरीय परीक्षा, 2015

परिणाम घोषित करने की तिथि – 28.08.2017

सारणी-4.4

	अना	अजा	अजजा	अपिव	भूपूसै*	शा.दि*	योग
आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों की कुल संख्या	19,39,455	12,06,390	4,49,665	25,53,583	11,660	78,266	62,39,019
कौशल परीक्षा के लिए बुलाए गए अभ्यर्थियों की संख्या	11,290	5,871	2,834	20,332	2,023	1,506	43,856
अंतिम रूप से संस्तुत	3,128	1,336	627	4,103	392	301	9,194

सारणी-4.5

संयुक्त उच्चतर माध्यमिक (10+2) स्तरीय परीक्षा, 2015: क्षेत्रवार विवरण

क्षेत्र	अना	अजा	अजजा	अपिव	भूपूसै*	शा.दि*	योग
म.क्षे.	1,133	390	47	2,312	54	174	3,882
पू.क्षे.	291	124	16	394	54	40	825
के.क.क्षे.	87	8	1	59	80	2	155
म.प्र.क्षे.	67	28	3	64	7	5	162
पूर्वो.क्षे	4	4	16	12	2	1	36
उ.क्षे.	1,269	637	517	1,002	88	47	3,425
पश्चिमो.क्षे.	116	35	2	40	12	4	193
द.क्षे.	119	76	16	171	77	20	382
प.क्षे.	42	34	9	49	18	8	134
योग	3,128	1,336	627	4,103	392	301	9,194

कर्मचारी चयन आयोग

3. दिल्ली पुलिस, केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बल में उप- निरीक्षक तथा के.औ.सु.बल में सहायक उप निरीक्षक परीक्षा, 2016

परिणाम घोषित करने की तिथि – 08.09.2017

सारणी-4.6

	अना	अजा	अजजा	अपिव	भूपूसै*	शा.दि*	योग
आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों की कुल संख्या	2,03,606	1,64,011	78,444	2,52,917	5,965	0	7,04,943
कौशल परीक्षा /दस्तावेज सत्यापन के लिए बुलाए गए अभ्यर्थियों की संख्या	3,631	1,082	810	4,850	401	0	10,774
अंतिम रूप से संस्तुत	1,955	706	353	1,768	203	0	4,782

सारणी-4.7

दिल्ली पुलिस, केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बल में उप- निरीक्षक तथा के.औ.सु.बल में सहायक उप निरीक्षक परीक्षा, 2016: क्षेत्रवार विवरण

क्षेत्र	अना	अजा	अजजा	अपिव	भूपूसै*	शा.दि*	योग
म.क्षे.	247	94	3	276	28	0	620
पू.क्षे.	39	37	10	49	9	0	135
के.क.क्षे.	14	3	2	17	6	0	36
म.प्र.क्षे.	53	24	6	40	2	0	123
पूर्वो.क्षे	9	7	93	15	4	0	124
उ.क्षे.	1,350	410	206	1,202	118	0	3,168
पश्चिमो.क्षे.	185	71	14	79	15	0	349
द.क्षे.	26	16	14	55	10	0	111
प.क्षे.	32	44	5	35	11	0	116
योग	1,955	706	353	1,768	203	0	4,782

4. कनिष्ठ अभियंता (सिविल, यांत्रिक, वैद्युत, मात्रात्मक सर्वेक्षण तथा संविदा) परीक्षा, 2015

परिणाम घोषित करने की तिथि - 09.10.2017

सारणी-4.8

	अना	अजा	अजजा	अपिव	भूपूसै*	शा.दि*	योग
आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों की कुल संख्या	3,58,838	1,67,907	57,760	3,84,523	1,688	7,958	9,78,674
कौशल परीक्षा के लिए बुलाए गए अभ्यर्थियों की संख्या	692	621	396	2,433	1	70	4,213
अंतिम रूप से संस्तुत	476	209	144	743	0	22	1,572

सारणी-4.9

कनिष्ठ अभियंता (सिविल, यांत्रिक, वैद्युत, मात्रात्मक सर्वेक्षण तथा संविदा) परीक्षा, 2015: क्षेत्रवार विवरण

क्षेत्र	अना	अजा	अजजा	अपिव	भूपूसै*	शा.दि*	योग
म.क्षे.	76	44	0	142	0	9	262
पू.क्षे.	30	15	3	35	0	0	83
के.क.क्षे.	14	1	0	27	0	0	42
म.प्र.क्षे.	36	1	0	45	0	1	82
पूर्वो.क्षे	2	1	1	0	0	1	4
उ.क्षे.	265	125	133	378	0	10	901
पश्चिमो.क्षे.	25	6	0	10	0	0	41
द.क्षे.	19	12	5	92	0	1	128
प.क्षे.	9	4	2	14	0	0	29
योग	476	209	144	743	0	22	1,572

कर्मचारी चयन आयोग

5. आशुलिपिक ग्रेड 'ग' एवं 'घ' परीक्षा, 2016

परिणाम घोषित करने की तिथि - 19.01.2018

सारणी-4.10

	अना	अजा	अजजा	अपिव	भूपूसै*	शा.दि*	योग
आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों की कुल संख्या	1,33,182	1,25,685	36,353	2,10,683	1,115	9,871	5,16,889
कौशल परीक्षा /दस्तावेज सत्यापन के लिए बुलाए गए अभ्यर्थियों की संख्या	4,256	2,151	1,068	5,563	307	464	13,809
अंतिम रूप से संस्तुत	611	201	62	387	1	20	1,261

सारणी-4.11

आशुलिपिक ग्रेड 'ग' एवं 'घ' परीक्षा, 2016: क्षेत्रवार विवरण

क्षेत्र	अना	अजा	अजजा	अपिव	भूपूसै*	शा.दि*	योग
म.क्षे.	68	16	1	128	0	6	213
पू.क्षे.	41	11	1	23	0	2	76
के.क.क्षे.	1	1	0	1	0	0	3
म.प्र.क्षे.	6	1	1	8	0	1	16
पूर्वो.क्षे.	1	1	0	2	0	0	4
उ.क्षे.	444	162	59	198	1	10	863
पश्चिमो.क्षे.	37	4	0	13	0	1	54
द.क्षे.	9	3	0	12	0	0	24
प.क्षे.	4	2	0	2	0	0	8
योग	611	201	62	387	1	20	1,261

6. कनिष्ठ अभियंता (सिविल, यांत्रिक, वैद्युत, मात्रात्मक सर्वेक्षण और संविदा) परीक्षा, 2016

परिणाम घोषित करने की तिथि: 09.03.2018

सारणी-4.12

	अना	अजा	अजजा	अपिव	भूपूसै*	शा.दि*	योग
आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों की कुल संख्या	2,18,626	1,18,226	43,520	2,81,488	1,517	6,052	6,69,429
कौशल परीक्षा/दस्तावेज सत्यापन के लिए बुलाए गए अभ्यर्थियों की संख्या	890	698	399	1,955	2	92	4,036
अंतिम रूप से संस्तुत	472	194	96	480	1	33	1,242

सारणी-4.13

कनिष्ठ अभियंता (सिविल, यांत्रिक, वैद्युत, मात्रात्मक सर्वेक्षण और संविदा) परीक्षा, 2016 - क्षेत्रवार विवरण

क्षेत्र	अना	अजा	अजजा	अपिव	भूपूसै*	शा.दि*	योग
म.क्षे.	47	28	0	73	1	10	148
पू.क्षे.	25	8	1	18	0	3	52
के.क.क्षे.	6	2	0	8	0	2	16
म.प्र.क्षे.	41	7	1	27	0	0	76
पूर्वो.क्षे	2	1	1	2	0	0	6
उ.क्षे.	307	126	91	276	0	14	800
पश्चिमो.क्षे.	8	2	1	4	0	1	15
द.क्षे.	26	16	1	65	0	3	108
प.क्षे.	10	4	0	7	0	0	21
योग	472	194	96	480	1	33	1,242

कर्मचारी चयन आयोग

7. संयुक्त उच्चतर माध्यमिक (10+2) स्तरीय परीक्षा (संशोधित), 2016

परिणाम घोषित होने की तिथि - 16.02.2018 (संशोधित परिणाम दिनांक 12.05.2018 को घोषित किया गया)

सारणी-4.14

	अना	अजा	अजजा	अपिव	भूपूसै*	शा.दि*	योग
आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों की कुल संख्या	19,16,725	14,08,210	5,25,043	28,97,049	19,316	91,868	68,58,211
कौशल परीक्षा/दस्तावेज सत्यापन के लिए बुलाए गए अभ्यर्थियों की संख्या	11,597	6,025	2,727	16,595	2,869	1,513	41,326
अंतिम रूप से संस्तुत	2,539	968	496	2,428	408	241	6,431

सारणी-4.15

संयुक्त उच्चतर माध्यमिक (10+2) स्तरीय परीक्षा (संशोधित), 2016: क्षेत्रवार विवरण

क्षेत्र	अना	अजा	अजजा	अपिव	भूपूसै*	शा.दि*	योग
म.क्षे.	551	239	55	1,041	56	102	1,886
पू.क्षे.	279	101	42	205	67	30	627
के.क.क्षे.	112	10	4	77	92	5	203
म.प्र.क्षे.	45	30	4	43	1	6	122
पूर्वो.क्षे	11	2	53	7	1	1	73
उ.क्षे.	1,206	432	290	708	68	64	2,636
पश्चिमो.क्षे.	130	31	10	34	13	10	205
द.क्षे.	149	82	29	253	77	10	513
प.क्षे.	56	41	9	60	33	13	166
योग	2,539	968	496	2,428	408	241	6,431

* भू.पू.सै. और शा.दि. को मुख्य श्रेणी में शामिल किया गया है।

टिप्पणी: अना. श्रेणी में उन अजा/अजजा/अपिव अभ्यर्थियों को भी शामिल किया गया है, जिन्होंने सामान्य श्रेणी के मानकों में अर्हता प्राप्त की है।

ख. वर्ष 2017-18 के दौरान अधिसूचित सीमित विभागीय परीक्षाएं

सारणी-4.16

वर्ष 2017-18 के दौरान अधिसूचित सीमित विभागीय परीक्षाओं के विवरण

क्रम सं.	परीक्षा का नाम	परीक्षा की तारीख	पंजीकृत अभ्यर्थी	चयनित अभ्यर्थी
1.	अवर श्रेणी लिपिक ग्रेड सीमित विभागीय प्रतियोगी परीक्षा, 2017	30.07.2017	539	परिणाम की प्रतीक्षा है
2.	आशुलिपिक ग्रेड 'ग' सीमित विभागीय प्रतियोगी परीक्षा, 2017	30.07.2017	143	परीक्षा आयोजित की जानी है
	कुल		682	

ग. वार्षिक टंकण परीक्षा

4.5 आयोग भारत सरकार के मंत्रालयों/विभागों, संबद्ध तथा अधीनस्थ कार्यालयों में कार्यरत सहायकों/अवर श्रेणी लिपिकों (सीधे भर्ती से आए अवर श्रेणी लिपिकों को छोड़कर) आदि के लिए वेतनवृद्धि प्राप्त करने और उस संबंधित ग्रेड में स्थायी किए जाने के उद्देश्य से कंप्यूटर पर वार्षिक टंकण परीक्षा भी आयोजित करता है। वर्ष 2017-18 के दौरान आयोजित कंप्यूटर पर वार्षिक टंकण परीक्षा के लिए कुल 268 अभ्यर्थियों ने पंजीकरण करवाया था, जिनमें से 111 अभ्यर्थियों को सफल घोषित किया गया।

घ. वार्षिक आशुलिपि परीक्षा

4.6 आयोग आशुलिपिक श्रेणी 'घ' विभागीय परीक्षाओं के लिए वार्षिक आशुलिपि परीक्षा का आयोजन भी करता है। वर्ष 2017-18 के दौरान वार्षिक आशुलिपि परीक्षा में कुल 21 अभ्यर्थियों ने भाग लिया था, जिनमें से 01 अभ्यर्थी को सफल घोषित किया गया।

अध्याय-V

चयन पदों पर भर्ती

- 5.1 आयोग, भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों/विभागों तथा सम्बद्ध एवं अधीनस्थ कार्यालयों में विभिन्न समूह 'ख' (अराजपत्रित) और समूह 'ग' (गैर-तकनीकी) पदों हेतु चयन पदों के लिए भी भर्ती करता है। चयन पद विभिन्न मंत्रालयों/विभागों में एकाकी पद होते हैं जो आयोग द्वारा आयोजित किसी भी अखिल भारतीय खुली प्रतियोगी परीक्षा के अंतर्गत शामिल नहीं है, क्योंकि इनमें रिक्तियों की संख्या सामान्यतः कम होती है तथा ऐसे पदों के लिए अनिवार्य योग्यता संबंधित पद (पदों) की विनिर्दिष्ट आवश्यकताओं के अनुरूप मैट्रिक्यूलेशन से स्नातकोत्तर तक भिन्न-भिन्न होती है।
- 5.2 चयन पदों पर भर्ती निम्नलिखित चरणों में की जाती है :-
- संबंधित क्षेत्रीय/उप क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा प्रयोक्ता मंत्रालयों/विभागों से सिंगल विंडो प्रणाली के अन्तर्गत मांग प्राप्त करना।
 - रोजगार समाचार पत्र में तथा आयोग के संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय (कार्यालयों)/उप क्षेत्रीय कार्यालय(कार्यालयों) की वेबसाइट पर रिक्तियों की अधिसूचना जारी करना।
 - आवेदन ऑनलाइन प्राप्त किए जाते हैं तथा इसके अलावा भरे गए आवेदन प्रपत्रों के प्रिंट-आउट को, संवीक्षा हेतु आवश्यक दस्तावेजों के साथ संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय (कार्यालयों)/उप क्षेत्रीय कार्यालयों को भेजना भी होता है।
 - स्वीकार किए गए आवेदनों की संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय (कार्यालयों)/उप क्षेत्रीय कार्यालयों द्वारा संवीक्षा करना।
 - अनिवार्य अर्हता में प्राप्त अंकों की प्रतिशतता के आधार पर कंप्यूटर आधारित परीक्षा के लिए पात्र अभ्यर्थियों की 1:50 के अनुपात में शार्टलिस्टिंग करना।
 - जिन अभ्यर्थियों की अभ्यर्थिता रद्द की जाती है, उनकी सूची संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय (कार्यालयों)/ उप क्षेत्रीय कार्यालय (कार्यालयों) की वेबसाइट पर डालना, जिससे ऐसे अभ्यर्थी यदि चाहें तो अपने आवेदनों की अस्वीकार्यता के संबंध में अभ्यावेदन दे सकते हैं।
 - शार्टलिस्ट किए गए अभ्यर्थियों के लिए कंप्यूटर आधारित परीक्षा आयोजित करना।
 - कंप्यूटर आधारित परीक्षा में अभ्यर्थियों द्वारा प्राप्त किए गए अंकों के आधार पर शार्ट लिस्टिंग के माध्यम से चयन तथा उसके बाद जहां अनिवार्य योग्यता में निर्धारित किया गया है, टंकण/डाटा एंट्री/कंप्यूटर प्रवीणता आदि जैसी परीक्षा आयोजित करना।

- ix) अर्हक अभ्यर्थियों का 1:5 के अनुपात में दस्तावेज सत्यापन (डीवी)।
- x) आयोग के संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय (यों)/उप क्षेत्रीय कार्यालय (यों) द्वारा चयनित अभ्यर्थियों को प्रयोक्ता मंत्रालयों/विभागों में नामित करना।
- xi) संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय (कार्यालयों)/ उप क्षेत्रीय कार्यालय (कार्यालयों) की वेबसाइट पर अंतिम चयन सूची घोषित करना और उसे अपलोड करना।
- xii) आयोग चयन पदों के लिए आरक्षित सूची का अनुरक्षण करता है जिसका संचालन आयोग केवल उन्हीं मामलों में करता है जिनमें चयन सूची से नामित अभ्यर्थी प्रयोक्ता मंत्रालयों/विभागों में कार्य ग्रहण नहीं करते हैं जिसके कारण उनकी अभ्यर्थिता रद्द कर दी जाती है।
- 5.3 वर्ष 2017-18 के दौरान, आयोग द्वारा विभिन्न मंत्रालयों/विभागों में चयन पदों की अलग-अलग श्रेणियों के लिए कुल 1,576 अभ्यर्थियों की संस्तुति की गई। इनका ब्यौरा नीचे सारणी (सारणयो) 5.1 से 5.2 में दिया गया है:

सारणी – 5.1

समूह 'ख' चयन पद

क्षेत्र का नाम	आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों की संख्या	लिखित परीक्षा (कंप्यूटर आधारित पद्धति में) के लिए बुलाए गए अभ्यर्थियों की संख्या	संस्तुत अभ्यर्थियों की संख्या		
			पुरुष	महिला	कुल
म.क्षे.	28,197	4,694	181	14	195
पू.क्षे.	1,857	8,389	216	22	238
के.क.क्षे.	4,898	2,068	114	18	132
म.प्र. क्षे.	295	90	01	00	01
पूर्वो. क्षे.	739	552	13	01	14
उ. क्षे.	65,307	8,576	293	79	372
पश्चिमो. क्षे.	2,617	748	144	15	159
द. क्षे.	17,848	2,481	54	08	62
प. क्षे.	8,301	4,305	118	14	132
कुल	1,30,059	31,903	1,134	171	1,305

सारणी – 5.2

समूह 'ग' चयन पद

क्षेत्र का नाम	आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों की संख्या	लिखित परीक्षा (कंप्यूटर आधारित पद्धति में) के लिए बुलाए गए अभ्यर्थियों की संख्या	संस्तुत अभ्यर्थियों की संख्या		
			पुरुष	महिला	कुल
म.क्षे.	20,467	789	18	3	21
पू.क्षे.	4,783	4,241	75	16	91
के.क.क्षे.	3,103	1073	29	12	41
म.प्र. क्षे.	4,569	398	09	01	10
पूर्वो. क्षे.	289	152	00	01	01
उ. क्षे.	30,110	1,185	18	02	20
पश्चिमो. क्षे.	8,951	1,048	21	04	25
द. क्षे.	9,438	769	06	02	08
प. क्षे.	2,648	1,468	47	07	54
कुल	84,358	11,123	223	48	271

श्रेणी-वार ब्यौरा परिशिष्ट ड. और ड.-I में दिया गया है।

अध्याय-VI

परीक्षा केन्द्र

- 6.1 आयोग की विभिन्न परीक्षाओं के लिए आवेदन कर रहे अभ्यर्थियों की संख्या में निरंतर वृद्धि होने के कारण, पिछले कुछ वर्षों के दौरान परीक्षा केन्द्रों (शहरों) की संख्या में उत्तरोत्तर वृद्धि हुई है। आयोग ने जब कार्य करना आरम्भ किया था, अर्थात् जुलाई 1976 में केवल 09 परीक्षा केन्द्र थे। तब से परीक्षा केन्द्रों की संख्या में पर्याप्त रूप से वृद्धि हुई है। वर्ष 2016 से, परीक्षा की परम्परागत पद्धति अर्थात् ऑप्टिकल मार्क रीडर (ओ.एम.आर.) पद्धति से कम्प्यूटर आधारित पद्धति (क.आ.प.) परीक्षा में परिवर्तन होने के कारण कम्प्यूटर नॉड्स से युक्त परीक्षा स्थलों/केन्द्रों की उपलब्धता अनिवार्य आवश्यकता बन गयी है। इस कारण परीक्षा केन्द्रों को सरकारी विद्यालयों से सुसज्जित उपकरणों से युक्त कम्प्यूटर प्रयोगशालाओं तथा तकनीकी/व्यावसायिक संस्थानों में स्थानान्तरित करना अनिवार्य हो गया है।
- 6.2 आयोग सम्पूर्ण देश में चुने गए केन्द्रों में अपने परीक्षाओं का आयोजन करता है। इन केन्द्रों का चयन बहुत तकनीकी आवश्यकताओं और अन्य तथ्यों को ध्यान में रखकर किया जाता है जिनमें अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित भी शामिल हैं:
- आयोग द्वारा निर्धारित किए गए मानकों के अनुरूप कम्प्यूटर नॉड्स, इंटरनेट सुविधाओं तथा अबाधित विद्युत आपूर्ति की उपलब्धता।
 - सुदूर और पहाड़ी क्षेत्रों से आने वाले अभ्यर्थियों को परीक्षा केन्द्रों में पहुँचने की सुगमता।
 - उन केन्द्रों के परीक्षा स्थल पर सुरक्षा प्रबंध करने और कानून एवं व्यवस्था बनाए रखने के लिए राज्य सरकारों द्वारा आश्वासना।
 - मूल सुविधाओं जैसे पेय जल और स्वच्छता का प्रबंध, लिफ्टों का प्रावधान तथा परीक्षा स्थलों में पर्याप्त धारित-स्थान की उपलब्धता ताकि अभ्यर्थी अपने निजी साज-सामान इत्यादि को वहां जमा करा सकें।
 - शहर के केन्द्र से परीक्षा स्थलों तक पहुँचने की सुगमता।
 - आयोग महिला अभ्यर्थियों को उनके निवास स्थान (स्थानों) के नजदीक उनकी पसंद के परीक्षा स्थल आबंटित करने के लिए ठोस प्रयास करता है।
 - आयोग द्वारा इस बात के भी ठोस प्रयास किए जाते हैं कि दिव्यांग अभ्यर्थी अपने परीक्षा स्थलों में सरल, सुरक्षित और बिना किसी दिक्कत के पहुँच सकें और उस परीक्षा स्थल पर लिफ्ट और रैंप आदि जैसी प्रयोक्तानुकूल सुविधायें हो। दिव्यांग अभ्यर्थियों को भूतल पर ही स्थान आबंटित करने को प्राथमिकता दी जाती है।

कर्मचारी चयन आयोग

- viii) भीड़-भाड़ वाले/वाणिज्यिक क्षेत्रों में परीक्षा स्थलों का आम तौर पर चयन नहीं किया जाता है।
- ix) परीक्षाओं के लिए परीक्षा स्थलों का चयन करते समय उनके पिछले कार्य-निष्पादन के रिकार्ड को अतिरिक्त महत्व दिया जाता है।
- 6.3 आयोग अभ्यर्थियों द्वारा दी गई वरीयता के अनुरूप उन्हें परीक्षा स्थल आबंटित करने को वरीयता प्रदान करता है। तथापि कुछ मामलों में, परीक्षाओं के वरीय केन्द्रों/स्थलों पर कम्प्यूटर नॉड्स की पर्याप्त संख्या उपलब्ध न होने के कारण अभ्यर्थियों को अन्य स्थानों के लिए स्थानान्तरित किया जाता है। कुछेक अवसरों पर, परीक्षा की सत्यनिष्ठा को बनाए रखने के लिए अभ्यर्थियों की पसंद से इतर उन्हें दूसरे केन्द्रों पर भी आबंटित किया जाता है।
- 6.4 प्रतिवेदनाधीन वर्ष के दौरान आयोग ने देश भर के 99 परीक्षा केंद्रों पर स्थित 384 परीक्षा स्थलों पर 69,75,285 अभ्यर्थियों के लिए अपनी सबसे बड़ी परीक्षा अर्थात् मल्टी टास्किंग (गैर तकनीकी) स्टॉफ परीक्षा (पेपर-I), 2016 का आयोजन।
- 6.5 परीक्षा केन्द्रों व स्थलों [कम्प्यूटर आधारित परीक्षा पद्धति में मल्टी टास्किंग (गैर तकनीकी) स्टॉफ परीक्षा (पेपर-I), 2016 के आधार पर] की क्षेत्र-वार / उप-क्षेत्रवार संख्या नीचे सारणी 6.1 से 6.9 में दी गई है।

सारणी-6.1

1. मध्य क्षेत्र

क्रम सं.	परीक्षा केंद्र	परीक्षा स्थलों की संख्या
1.	आगरा	6
2.	इलाहबाद	12
3.	बरेली	4
4.	गोरखपुर	3
5.	कानपुर	6
6.	लखनऊ	20
7.	वाराणसी	7
8.	पटना	30
	योग	88

सारणी-6.2

2. पूर्वी क्षेत्र

क्रम सं.	परीक्षा केंद्र	परीक्षा स्थलों की संख्या
1.	भुवनेश्वर	6
2.	बर्धमान	2
3.	दुर्गापुर	1
4.	खुर्दा	1
5.	कोलकाता	14
6.	मालदा	1
7.	पोर्ट ब्लेयर	1
8.	रांची	9
9.	संबलपुर	2
10.	सिलीगुड़ी	5
	योग	42

सारणी-6.3

3. कर्नाटक एवं केरल क्षेत्र

क्रम सं.	परीक्षा केंद्र	परीक्षा स्थलों की संख्या
1.	बेलगाम	1
2.	बैंगलुरु	4
3.	कालीकट	3
4.	एरनाकुलम	5
5.	गुलबर्गा	1
6.	हुबली	2
7.	कन्नूर	1
8.	मैंगलोर	1
9.	तिरुवनंतपुरम	5
10.	त्रिसूर	3
	योग	26

सारणी-6.4

4. मध्य प्रदेश क्षेत्र

क्रम सं.	परीक्षा केंद्र	परीक्षा स्थलों की संख्या
1.	बिलासपुर	1
2.	भोपाल	7
3.	दुर्ग	1
4.	ग्वालियर	2
5.	इंदौर	4
6.	जबलपुर	6
7.	रायपुर	4
8.	सागर	1
	योग	26

सारणी-6.5

5. उत्तरी क्षेत्र

क्रम सं.	परीक्षा केंद्र	परीक्षा स्थलों की संख्या
1	अजमेर	2
2	अलवर	2
3	बीकानेर	3
4	देहरादून	4
5	हलद्वानी	2
6	हरिद्वार	1
7	जयपुर	15
8	जोधपुर	2
9	कोटा	3
10	नई दिल्ली	35
11	रूडकी	4
12	श्री गंगानगर	3
13	उदयपुर	1
	योग	77

सारणी-6.6

6. पूर्वोत्तर क्षेत्र

क्रम सं.	परीक्षा केंद्र	परीक्षा स्थलों की संख्या
1	अगरतला	1
2	आइजॉल	1
3	डिब्रूगढ़	1
4	दीमापुर	1
5	गुवाहटी	4
6	इंफाल	3
7	ईटानगर	1
8	जोरहाट	1
9	शिलांग	1
10	सिलचर	1
11	उखरूल	1
	योग	16

सारणी-6.7

7. पश्चिमोत्तर क्षेत्र

क्रम सं.	परीक्षा केंद्र	परीक्षा स्थलों की संख्या
1	बनूर	1
2	भटिंडा	1
3	जलंधर	1
4	जम्मू	3
5	लेह	1
6	मोहाली	5
7	पटियाला	3
8	शिमला	1
9	श्री नगर	3
	योग	19

सारणी-6.8

8. दक्षिणी क्षेत्र

क्रम सं.	परीक्षा केंद्र	परीक्षा स्थलों की संख्या
1	चेन्नै	3
2	कोयम्बटूर	2
3	गंटूर	2
4	हैदराबाद	7
5	कडपा	3
6	कुर्नूल	4
7	मदुरै	3
8	निजामाबाद	1
9	पुदुचेरी	1
10	राजामुंदरी	5
11	तिरुनेलवेली	2
12	तिरूपति	2
13	त्रिची	2
14	विजय वाड़ा	3
15	विशाखापत्तनम	5
16	वारंगल	4
	योग	49

सारणी-6.9

9. पश्चिमी क्षेत्र

क्रम सं.	परीक्षा केंद्र	परीक्षा स्थलों की संख्या
1	अहमदाबाद	5
2	अमरावती	4
3	औरंगाबाद	4
4	बारडोली-सूरत	1
5	बड़ौदा	1
6	कोल्हापुर	3
7	मारगोआ	1
8	मुंबई	3
9	नागपुर	5
10	नासिक	3
11	नवी मुंबई	1
12	पुणे	7
13	सूरत	1
14	थाने	2
	योग	41

अध्याय VII

आयोग द्वारा आयोजित परीक्षाओं में महिला अभ्यर्थियों का प्रदर्शन

- 7.1 आयोग द्वारा आयोजित परीक्षाओं में महिला अभ्यर्थियों की अधिक से अधिक भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए विशेष प्रयास किए जाते हैं। सरकार की मौजूदा नीति के अनुरूप आयोग महिला अभ्यर्थियों से कोई परीक्षा शुल्क नहीं लेता है। आयोग महिला अभ्यर्थियों की सुविधा के लिए ठोस प्रयास करता है कि महिला अभ्यर्थियों को उनकी पसंद के परीक्षा स्थल आवंटित किया जाए, जो उनके निवास स्थान के निकटतम हो।
- 7.2 रिपोर्टाधीन वर्ष अर्थात् 2017-18 के दौरान, कुल 40,79,896 महिला अभ्यर्थियों ने आयोग की विभिन्न परीक्षाओं के लिए सभी प्रकार से पूर्ण आवेदन प्रस्तुत किए जिसे नीचे दी गई सारणी-7.1 में देख सकते हैं :-

सारणी- 7.1

दिनांक 01.04.2017 से 31.03.2018 की अवधि के दौरान आयोजित अखिल भारतीय खुली प्रतियोगी परीक्षाओं में सभी प्रकार से पूर्ण आवेदन प्रस्तुत करने वाली महिला अभ्यर्थियों की संख्या

क्र.सं	परीक्षा का नाम	अभ्यर्थियों की संख्या		
		कुल अभ्यर्थी	महिला अभ्यर्थी	महिला अभ्यर्थियों की प्रतिशतता
1.	कनिष्ठ हिंदी अनुवादक, कनिष्ठ अनुवादक, वरिष्ठ हिंदी अनुवादक और हिंदी प्राध्यापक परीक्षा, 2017	29,131	13,962	47.93
2.	दिल्ली पुलिस, के.स.पु.बल में उप निरीक्षक तथा के.औ.सु.बल में सहायक उप निरीक्षक परीक्षा, 2017	7,29,596	1,44,461	19.80
3.	संयुक्त स्नातक स्तरीय परीक्षा, 2017	29,28,826	9,46,005	32.30
4.	आशुलिपिक श्रेणी 'ग' तथा 'घ' परीक्षा, 2017	5,41,900	1,92,729	35.57
5.	भारतीय मौसम विज्ञान विभाग में वैज्ञानिक सहायक परीक्षा, 2017	4,75,093	48,134	10.13
6.	कनिष्ठ अभियंता (सिविल, यांत्रिक, वैद्युत, मात्रात्मक सर्वेक्षण तथा संविदा) परीक्षा, 2017	9,95,350	1,48,708	14.94
7.	संयुक्त उच्चतर माध्यमिक (10+2) स्तरीय परीक्षा, 2017	61,11,719	21,41,303	35.04

8.	दिल्ली पुलिस में कांस्टेबल (कार्यकारी) - पुरुष और महिला परीक्षा, 2016	17,90,143	4,44,594	24.84
	योग	1,36,01,758	40,79,896*	30.00

* सभी अर्थों में पूरे आवेदनों की संख्या

- 7.3 ऊपर दिए गए आंकड़ों से देखा जा सकता है कि वर्ष 2017-18 दौरान आयोग द्वारा आयोजित अखिल भारतीय खुली प्रतियोगी परीक्षाओं में कुल 1,36,01,758 अभ्यर्थियों में से 40,79,896 महिला अभ्यर्थी थीं। अतः कुल अभ्यर्थियों में से महिला अभ्यर्थियों का प्रतिशत 30% था।
- 7.4 महिला उम्मीदवारों की सबसे अधिक भागीदारी कनिष्ठ हिंदी अनुवादक, कनिष्ठ अनुवादक, वरिष्ठ हिंदी अनुवादक और हिंदी प्राध्यापक परीक्षा, 2017 में थी। इन परीक्षाओं में कुल अभ्यर्थियों में से महिला अभ्यर्थियों का प्रतिशत 47.93% था। इसके बाद आशुलिपिक श्रेणी 'ग' और 'घ' परीक्षा, 2017 का स्थान है, जिसमें कुल अभ्यर्थियों में से महिला अभ्यर्थियों की भागीदारी 35.57% थी। महिला अभ्यर्थियों की सबसे कम भागीदारी भारतीय मौसम विज्ञान विभाग में वैज्ञानिक सहायक परीक्षा, 2017 में देखी गई। जिसमें उनकी भागीदारी केवल 10.13% थी।
- 7.5 विभिन्न परीक्षाओं में महिला अभ्यर्थियों की सफलता दर, जिसके परिणाम वर्ष के दौरान घोषित किए गए थे, नीचे दी गई सारणी-7.2 में दिए गए हैं :

सारणी-7.2

दिनांक 01.04.2017 से 31.03.2018 तक की अवधि के दौरान घोषित अंतिम परिणामों में महिला अभ्यर्थियों की सफलता दर

क्र.सं	परीक्षा का नाम	योग		
		अंतिम रूप से चयनित अभ्यर्थियों की संख्या		
		कुल	महिला	प्रतिशत
1.	संयुक्त स्नातक स्तरीय परीक्षा, 2016	10,661	1,188	11.14
2.	संयुक्त उच्चतर माध्यमिक (10+2) स्तरीय परीक्षा, 2015	9,194	1,104	12.01
3.	दिल्ली पुलिस, के.स.पु.बल में उप निरीक्षक तथा के.औ.सु.बल में सहायक उप निरीक्षक परीक्षा, 2016 #	4,782	489	10.23
4.	कनिष्ठ अभियंता (सिविल, यांत्रिक, वैद्युत, मात्रात्मक सर्वेक्षण तथा संविदा) परीक्षा -2015	1,572	57	3.63

कर्मचारी चयन आयोग

5.	आशुलिपिक श्रेणी 'ग' और 'घ' परीक्षा, 2016	1,261	456	36.16
6.	संयुक्त उच्चतर माध्यमिक (10+2) स्तरीय परीक्षा, 2016 (संशोधित)	6,431	884	13.75
7.	कनिष्ठ अभियंता (सिविल, यांत्रिक, वैद्युत, मात्रात्मक सर्वेक्षण तथा संविदा) परीक्षा-2016	1,242	68	5.48
8.	दिल्ली पुलिस में कांस्टेबल (कार्यकारी) - पुरुष और महिला परीक्षा, 2016 *	7,307	2,424	33.17
9.	भारतीय मौसम विज्ञान विभाग में वैज्ञानिक सहायक परीक्षा, 2017*	1,102	161	14.61
	योग	43,552	6,831	15.68

इस परीक्षा में महिलाओं के लिए रिक्तियों को आरक्षित किया गया है और आरक्षित रिक्तियों के लिए केवल महिलाओं का चयन किया जा सकता है।

* ऊपर दी गई सारणी-7.2 में क्रम संख्या 8 तथा 9 पर इन दो परीक्षाओं में अंतिम परिणाम संबंधित प्रयोक्ता विभाग द्वारा घोषित किया गया था।

- 7.6 विभिन्न अखिल भारतीय खुली प्रतियोगी परीक्षाओं में महिला अभ्यर्थियों की सफलता दर, जिनके परिणाम वर्ष 2017-18 में घोषित किए गए थे, पुरुष समकक्षों की तुलना में कम थी। इन परीक्षाओं में से आशुलिपिक श्रेणी 'ग' तथा 'घ' परीक्षा, 2015 में महिला अभ्यर्थियों की सफलता दर सबसे अधिक थी जो कि 36.16% थी उसके बाद दिल्ली पुलिस में कांस्टेबल (कार्यकारी) पुरुष और महिला परीक्षा, 2016 का स्थान है, जिसमें महिला अभ्यर्थियों की सफलता दर 33.17% थी। महिला अभ्यर्थियों की सफलता दर कनिष्ठ अभियंता (सिविल, यांत्रिक, वैद्युत, मात्रात्मक सर्वेक्षण और संविदा) परीक्षा, 2015 में सबसे कम थी जो कि 3.63% थी।

अध्याय-VIII

आयोग की अन्य महत्वपूर्ण गतिविधियां

क. कौशल परीक्षा

8.1 आयोग ने दिनांक 01.4.2010 से कंप्यूटर पर विभिन्न प्रकार की कौशल परीक्षाओं अर्थात टंकण परीक्षा/ आशुलिपि परीक्षा/ कंप्यूटर प्रवीणता परीक्षा (क.प्र.प.)/ डाटा एंट्री कौशल परीक्षा (डा.ए.कौ.प) को आयोजित करने के लिए मॉडेलिटी को अपनाया था। वर्ष 2017-18 के दौरान आयोग द्वारा आयोजित विभिन्न परीक्षाओं में विभिन्न कौशल परीक्षाओं / कंप्यूटर प्रवीणता परीक्षा (क.प्र.प) /डाटा एंट्री कौशल परीक्षा (डा.ए.कौ.प) में बैठने के लिए कुल 64,800 अभ्यर्थी अर्हक थे। नीचे दी गई सारणी-8.1 में आयोग द्वारा आयोजित विभिन्न परीक्षाओं में कौशल परीक्षा / क.प्र.प / डा.ए.कौ.प में बैठने के लिए अर्हता प्राप्त अभ्यर्थियों का क्षेत्र तथा उप- क्षेत्रवार विवरण दर्शाया गया है: -

सारणी-8.1

क्षेत्र	कौशल परीक्षा / क.प्र.प / डा.ए.कौ.प में बैठने के लिए बुलाए गए अभ्यर्थियों की संख्या		योग
	सी.एच.एस. एल. परीक्षा 2016	आशुलिपिक श्रेणी ग तथा घ परीक्षा, 2017	
म.क्षे.	12,449	6,431	18,880
पू.क्षे.	4,990	1,794	6,784
के.क.क्षे.	1,639	673	2,312
म.प्र.क्षे.	1,184	721	1,905
पूर्वो.क्षे.	367	303	670
उ.क्षे.	15,564	10,712	26,276
पश्चिमोत्तर क्षे.	1,071	511	1,582
द.क्षे.	2,801	1,716	4,517
प.क्षे.	1,262	612	1,874
योग	41,327	23,473	64,800

ख. दस्तावेज सत्यापन

8.2 अंतिम परिणाम की घोषणा से पहले, अभ्यर्थियों की अभ्यर्थिता के यथार्थता सत्यापन करने के लिए क्षेत्रीय / उप-क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा अर्हक अभ्यर्थियों के दस्तावेज सत्यापन इसलिए किया जाता है कि क्या अभ्यर्थी परीक्षा की विज्ञप्ति में यथा अधिसूचित पात्रता मापदंड / शैक्षिक योग्यता को पूरा कर रहे हैं। दस्तावेज सत्यापन के दौरान अभ्यर्थी को अपना पासपोर्ट आकार का फोटोग्राफ, मैट्रीकुलेशन और अन्य शैक्षिक योग्यताओं के मूल प्रमाण पत्र और अपनी श्रेणी / भूतपूर्व सैनिक / दिव्यांग अभ्यर्थी, जैसा भी मामला हो के दर्जे का सत्यापन करने के लिए प्रमाण पत्र भी देने होते हैं। चयन पदों के लिए, अभ्यर्थियों को जहां कहीं भी विशेष रूप से अपेक्षित हो, अनुभव प्रमाणपत्र भी प्रस्तुत करना अपेक्षित है। दस्तावेज सत्यापन के दौरान, अभ्यर्थियों के अंगूठे का निशान और हस्ताक्षर को रिकॉर्ड किया जाता है और दस्तावेज सत्यापन शीट ऑनलाइन भरी जाती है।

8.3 दस्तावेज सत्यापन में अर्हक अभ्यर्थियों की भागीदारी अनिवार्य है। वे अभ्यर्थी जो दस्तावेज सत्यापन में भाग लेने में विफल रहते हैं, अंतिम चयन के समय किसी भी पद के लिए उनके नाम पर विचार नहीं किया जाता है। अंतिम चयन के मामले में, इन दस्तावेजों (डोजियर) को मांगकर्ता मंत्रालयों/विभागों/ कार्यालयों को सफल अभ्यर्थी के नामांकन के साथ-साथ भेजा जाता है।

ग. शारीरिक मापदंड परीक्षा (शा.मा.प)/ शारीरिक क्षमता परीक्षा (शा.क्ष.प)/विस्तृत चिकित्सा परीक्षा (वि.चि.प)/ पुनः चिकित्सा परीक्षा (पु.चि.प)

8.4 केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल और दिल्ली पुलिस के पदों की भर्ती प्रक्रिया में शारीरिक मापदंड परीक्षा, शारीरिक क्षमता परीक्षा तथा विस्तृत चिकित्सा परीक्षा अनिवार्य स्तर है। यदि विस्तृत चिकित्सा परीक्षा में अभ्यर्थी को अनुत्तीर्ण घोषित किया जाता है तो उसे पुनः चिकित्सा परीक्षा हेतु अपील करने का प्रावधान है। शा.मा.प/शा.क्ष.प और विस्तृत चिकित्सा परीक्षा का वास्तविक आयोजन केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल द्वारा किया जाता है, जबकि आयोग अभ्यर्थियों के डेटा का रखरखाव करता है, आवश्यकतानुसार बलों को आवश्यक सलाह प्रदान करता है। वर्ष 2017-18 के दौरान नीचे सारणी-8.2 में दिए गए विवरणानुसार 62,235 अभ्यर्थियों ने दिल्ली पुलिस, के.स.पु.ब में उप निरीक्षक तथा के.औ.सु.बल में सहायक उप निरीक्षक परीक्षा, 2016 तथा 58,965 अभ्यर्थियों ने दिल्ली पुलिस, के.स.पु.ब में उप निरीक्षक तथा के.औ.सु.बल में सहायक उप निरीक्षक परीक्षा, 2017 के लिए शा.मा.प/शा.क्ष.प तथा वि.चि.प/पु.चि.प. में भाग लिया :

सारणी-8.2

गतिविधि	दिल्ली पुलिस, के.स.पु. बल में उप निरीक्षक तथा के.औ.सु.बल में सहायक उप निरीक्षक परीक्षा, 2016	दिल्ली पुलिस, के.स.पु. बल में उप निरीक्षक तथा के.औ.सु.बल में सहायक उप निरीक्षक परीक्षा, 2017
शा.मा.प/शा.क्ष.प	51,659	52,305
वि.चि.प/पु.चि.प.	10,576	6,660
योग	62,235	58,965

अध्याय - IX

सरकारी काम-काज में हिन्दी का प्रगामी प्रयोग

- 9.1 आयोग में राजभाषा अधिनियम, 1963 और राजभाषा नियम, 1976 के विभिन्न प्रावधानों का अक्षरशः अनुपालन करने के लिए ठोस प्रयास किए जाते हैं।
- क. कार्यान्वयन के लिए प्रबंधन और तंत्र**
- 9.2 आयोग में उप निदेशक (रा.भा.) के प्रभार में पूर्ण हिन्दी अनुभाग है जिन्हें एक सहायक निदेशक (रा.भा.) तथा सहायक स्टॉफ द्वारा सहायता प्रदान की जाती है। यह अनुभाग राजभाषा विभाग की राजभाषा नीति और वार्षिक कार्यक्रम के कार्यान्वयन के अतिरिक्त सरकारी रिकार्ड / पत्राचार से संबंधित अनुवाद कार्य भी कर रहा है। यह अनुभाग कर्मचारी चयन आयोग (मुख्यालय) के साथ-साथ इसके क्षेत्रीय/उप-क्षेत्रीय कार्यालयों में राजभाषा नीति के कार्यान्वयन का अनुवीक्षण भी करता है।
- ख. राजभाषा कार्यान्वयन समिति**
- 9.3 आयोग में अध्यक्ष महोदय की अध्यक्षता में राजभाषा अधिनियम तथा इसके अंतर्गत बनाए गए संगत नियमों के तहत कार्यान्वयन की समीक्षा के लिए नियमित रूप से प्रत्येक तिमाही में राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठकें आयोजित की जाती हैं। इन बैठकों में लिए गए निर्णयों की सूचना सभी संबंधितों को दी जाती है तथा उन पर तदनुसार आवश्यक अनुवर्ती कार्रवाई की जाती है।
- ग. हिन्दी में पत्राचार**
- 9.4 आयोग ने अपने दैनन्दिन काम-काज में हिन्दी के प्रगामी प्रयोग को सुनिश्चित करने के लिए हर संभव प्रयास किया है। आयोग ने क, ख तथा ग क्षेत्र में स्थित केन्द्रीय सरकारी कार्यालयों और अभ्यर्थियों के साथ हिन्दी में पत्राचार की संख्या को बढ़ाने के लिए ठोस प्रयास किए हैं। इन प्रयासों के परिणामस्वरूप, हिन्दी में मूल पत्राचार का प्रतिशत काफी बढ़ा है। राजभाषा अधिनियम की धारा 3 (3) के तहत उल्लिखित दस्तावेजों जैसे संकल्प, अधिसूचनाएं, नोटिस, प्रेस विज्ञप्ति, नियम और विनियम इत्यादि द्विभाषी जारी किए गए हैं। परीक्षाओं की सभी विज्ञप्तियां हिन्दी और अंग्रेजी (द्विभाषी) में तैयार/जारी की जाती हैं। आयोग की वेबसाइट के साथ-साथ इसके क्षेत्रीय तथा उप-क्षेत्रीय कार्यालयों की वेबसाइट को भी अंग्रेजी और हिन्दी में प्रदर्शित किया जाता है।
- घ. हिन्दी में प्रशिक्षण**
- 9.5 वर्ष 2017-18 के दौरान आयोग के 160 अधिकारियों और कर्मचारियों में से 154 अधिकारी / कर्मचारी को हिन्दी में प्रवीणताप्राप्त / कार्यसाधक ज्ञान है। 12 आशुलिपिकों में से 10 आशुलिपिकों को हिन्दी आशुलिपि में प्रशिक्षित किया गया है, जबकि 02 आशुलिपिक को अभी हिन्दी में प्रशिक्षित किया जाना है।

ड हिंदी पखवाड़ा और प्रोत्साहन योजनाएं

- 9.6 आयोग के अधिकारियों और कर्मचारियों के बीच हिन्दी के प्रगामी प्रयोग के संबंध में जागरूकता उत्पन्न करने और अनुकूल वातावरण के निर्माण के लिए 01 सितम्बर, 2017 से 15 सितंबर, 2017 तक वार्षिक कार्यक्रम के रूप में हिन्दी पखवाड़े का आयोजन किया गया। इस पखवाड़े के दौरान 06 अलग-अलग प्रतियोगिताओं जैसे टंकण परीक्षा, हिंदी निबंध लेखन, टिप्पण तथा प्रारूप, हिंदी श्रुतलेख, हिंदी कविता पाठ और प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इन प्रतियोगिताओं में 62 प्रतिभागी थे जिनमें 30 प्रतिभागियों को क्रमशः प्रथम, द्वितीय, तृतीय और सांत्वना पुरस्कारों के रूप में नकद पुरस्कार और प्रमाण पत्र वितरित किए गए। अध्यक्ष, कचआ ने समापन समारोह में विजेताओं को पुरस्कार वितरित किए।
- 9.7 आयोग ने वर्ष 2016-17 के लिए 'क' 'ख' तथा 'ग' क्षेत्रों के लिए राजभाषा शील्ड क्रमशः उप क्षेत्रीय कार्यालय, रायपुर, क्षेत्रीय कार्यालय, मुंबई और क्षेत्रीय कार्यालय, बेंगलुरु को प्रदान की गई।
- 9.8 दिनांक 11 अगस्त, 2017 तथा 30 जनवरी, 2018 को 'टिप्पण तथा प्रारूप' विषय पर दो एक दिवसीय हिन्दी कार्यशाला का आयोजन भी किया गया। इन कार्यशालाओं में 45 प्रतिभागियों को प्रशिक्षित किया गया था।
- 9.9 आयोग में हिंदी का कार्यसाधक ज्ञान रखने वाले अधिकारियों और कर्मचारियों को सरकारी काम-काज में मूल रूप से टिप्पण / प्रारूपण करने के लिए नकद पुरस्कार योजना में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। वर्ष 2017-18 के दौरान हिंदी श्रुतलेख तथा अपना सरकारी काम-काज मूल रूप से हिन्दी में करने की योजना के तहत छह: कार्मिकों को नकद पुरस्कार दिए गए।
- 9.10 आयोग (मु.) तथा क्षेत्रीय और उप- क्षेत्रीय कार्यालयों के सभी कम्प्यूटर पर हिंदी में कार्य करने की सुविधा के लिए यूनिकोड द्वारा समर्थित मंगल फ्रॉन्ट का स्थापन किया गया है।
- 9.11 आयोग के काम-काज में हिन्दी के प्रयोग में उत्कृष्ट निष्पादन को मान्यता देने के लिए कर्मचारी चयन आयोग को कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग द्वारा लगातार दो वर्षों अर्थात् वर्ष 2016-17 तथा 2017-18 के लिए 'राजभाषा चल शील्ड' से सम्मानित किया गया है।

परिशिष्ट

कर्मचारी चयन आयोग का गठन करने वाले

संकल्प का मूलपाठ

संख्या 46/1(एस)/74.स्था.ख

भारत सरकार

मंत्रिमंडल सचिवालय

कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग

नई दिल्ली-110001, दिनांक 04-11-1975

संकल्प

कार्मिक प्रशासन पर प्रशासनिक सुधार आयोग की रिपोर्ट की सिफारिशों पर ध्यानपूर्वक विचार करने के पश्चात् भारत सरकार ने "अधीनस्थ सेवा आयोग" की स्थापना करने का निर्णय लिया है।

2. अधीनस्थ सेवा आयोग का गठन

यह आयोग कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग (मंत्रिमंडल सचिवालय) का एक संलग्न कार्यालय होगा और इसमें एक अध्यक्ष, एक सदस्य और एक सचिव सह परीक्षा नियंत्रक होंगे जो केंद्रीय सरकार द्वारा समय समय पर निर्धारित की जाने वाली शर्तों के अनुसार नियुक्त किये जायेंगे। आयोग को उतने सहायक कर्मचारी मुहैया करवाए जाएंगे जितने कि केन्द्रीय सरकार आवश्यक समझे।

3. कार्य

अधीनस्थ सेवा आयोग भारत सरकार के विभागों में और अधीनस्थ कार्यालयों में श्रेणी -III गैर तकनीकी पदों पर भर्ती करेगा, इसमें ऐसे पदों की भर्ती शामिल नहीं है जिनकी भर्ती रेलवे सेवा आयोग और नियंत्रक तथा महालेखा परीक्षक एवं महालेखाकार और औद्योगिक स्थापनाओं के कार्यालयों में स्टाफ की भर्ती की जाती है। आयोग अन्य कार्यों के साथ अपने क्षेत्राधिकार में आने वाले पदों पर भर्ती के लिए जब कभी अपेक्षित हो परीक्षाएं आयोजित करेगा तथा यह सुनिश्चित करने के लिए कि जहां तक संभव हो वास्तविक भर्ती क्षेत्रीय आधार पर की जाए ताकि विभिन्न क्षेत्र से योग्य अभ्यर्थियों को संबंधित क्षेत्र में उत्पन्न रिक्तियों में आमेलन किया जा सके। जहां तक संभव होगा परीक्षा विभिन्न केंद्रों पर आयोजित की जाएगी और सफल उम्मीदवारों को यथासंभव उनके ही राज्य/क्षेत्र में तैनात किया जाएगा।

कर्मचारी चयन आयोग

आयोग विशेष रूप से

1. निम्नलिखित के संबंध में अवर श्रेणी लिपिकों की भर्ती हेतु लिपिक श्रेणी प्रतियोगी परीक्षाएं आयोजित करेगा।
 - (i) भारतीय विदेश सेवा (ख) श्रेणी-IV
 - (ii) रेलवे बोर्ड, सचिवालय लिपिकीय सेवा-श्रेणी-II
 - (iii) केन्द्रीय सचिवालय लिपिकीय सेवा-अवर श्रेणी ग्रेड
 - (iv) सशस्त्र सेना मुख्यालय लिपिकीय सेवा-अवर श्रेणी ग्रेड
 - (v) संसदीय कार्य विभाग, दिल्ली में अवर श्रेणी लिपिक के पद
 - (vi) महानिदेशालय, अनुसंधान अभिकल्प एवं मानक संगठन, लखनऊ में अवर श्रेणी लिपिक के पद
 - (vii) भारत सरकार के अन्य ऐसे विभागों और सम्बद्ध कार्यालयों में अवर श्रेणी लिपिक के पद जो भारतीय विदेश सेवा (ख)/रेलवे बोर्ड सचिवालय लिपिकीय सेवा/केन्द्रीय सचिवालय लिपिकीय सेवा/सशस्त्र सेना मुख्यालय लिपिकीय सेवा में शामिल नहीं हैं।
2. केन्द्रीय सचिवालय आशुलिपिक सेवा के श्रेण-III में भर्ती के लिए प्रतियोगी परीक्षाएं आयोजित करेगा।
3. निम्नलिखित के लिए विभागीय परीक्षा आयोजित करेगा।
 - (i) केन्द्रीय सचिवालय लिपिक ग्रेड की चतुर्थ श्रेणी से तृतीय श्रेणी में पदोन्नति के लिए।
 - (ii) भारत सरकार के मंत्रालयों/विभागों के लिए केन्द्रीय सचिवालय लिपिक सेवा के अवर श्रेणी लिपिक ग्रेड से उच्च श्रेणी लिपिक ग्रेड में पदोन्नति के लिए।
 - (iii) केन्द्रीय सचिवालय लिपिक सेवा की श्रेणी- III से श्रेणी-II में पदोन्नति के लिए।
4. अंग्रेजी तथा हिन्दी में तिमाही तथा मासिक टंकण परीक्षा का आयोजन करेगा।
5. भारत सरकार के अधीनस्थ कार्यालयों में संबंधित विभाग की सलाह पर श्रेणी-III गैर तकनीकी पदों पर भर्ती के लिए योजना तैयार करेगा।
6. भारत सरकार के मंत्रालयों/विभागों में अधीनस्थ सेवा और उनके संबद्ध और अधीनस्थ कार्यालयों में जैसा कि समय-समय पर सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाए। गैर तकनीकी श्रेणी-III के पदों पर भर्ती के लिए परीक्षाएं आयोजित करेगा।

अधीनस्थ सेवा शब्द में भारत सरकार के मंत्रालयों/विभागों, उनके संबद्ध और अधीनस्थ कार्यालयों में स्वीकृत श्रेणी -III के वे सभी पद शामिल हैं, जिनकी भर्ती अधीनस्थ सेवा आयोग के माध्यम से की जानी है, परंतु रेलवे सेवा आयोग, नियंत्रक तथा महालेखा परीक्षक तथा महालेखाकार का कार्यालय द्वारा किए जाने वाले पद इसमें शामिल नहीं होंगे।

तथापि, अधीनस्थ सेवा आयोग द्वारा भर्ती से संबंधित कार्य को सुगमता से संभालने की सुविधा का ध्यान में रखते हुए, पहले चरण में आयोग सचिवालय प्रशिक्षण और प्रबंध संस्थान के परीक्षा स्कंध के वर्तमान कार्य का भार संभालेगा। दूसरे चरण में, आयोग दिल्ली में स्थित अधीनस्थ कार्यालयों और विभागों में श्रेणी-III गैर तकनीकी पदों की भर्ती करेगा, इसमें ऐसे पद शामिल नहीं होंगे जिनकी भर्ती रेलवे सेवा आयोग, नियंत्रक तथा महालेखा परीक्षक और महालेखाकार के कार्यालय और औद्योगिक स्थापनाओं में स्टाफ की भर्ती से संबंधित मंत्रालयों/विभागों के परामर्श से की जाती है। इसके बाद के चरणों में आयोग दिल्ली से बाहर स्थित अधीनस्थ और अन्य कार्यालय में श्रेणी-III के गैर-तकनीकी पदों की भर्ती संबंधित मंत्रालयों/विभागों के परामर्श से करेगा, परंतु इसमें ऐसे पदों की भर्ती शामिल नहीं है जिनकी भर्ती रेलवे सेवा आयोग द्वारा की जाती है और नियंत्रक तथा महालेखा परीक्षक एवं महालेखाकार और औद्योगिक स्थापनाओं के कार्यालयों में स्टाफ की भर्ती की जाती है।

4. अध्यक्ष एवं सदस्य के कार्य एवं जिम्मेदारियां

अध्यक्ष

कर्मचारी चयन आयोग के प्रशासनिक प्रमुख होने के नाते अध्यक्ष निम्नलिखित कार्य करने के लिए उत्तरदायी होगा:

- (1) विभागों से श्रेणी -III गैर तकनीकी पदों की संख्या के बारे में पता लगाना जिसके लिए समय-समय पर भर्ती की जानी है।
- (2) विज्ञप्ति के माध्यम से आवेदनों को आमंत्रित करना।
- (3) विज्ञप्ति के माध्यम से आवेदनों की संवीक्षा करना।
- (4) प्रतियोगी परीक्षाओं अथवा अभ्यर्थियों के साक्षात्कार द्वारा अभ्यर्थियों का चयन करना।
- (5) चयनित अभ्यर्थियों के नामों को संबंधित विभाग को भेजना।
- (6) यह सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाना कि संस्तुत करने में विभाग अनु.जाति और अनुसूचित जनजाति के सदस्यों की भर्ती के संबंध में अपने दायित्वों का निर्वाह करने में समर्थ होंगे।
- (7) कर्मचारी चयन आयोग द्वारा किए गए नियुक्तियों का रिकॉर्ड रखना।
- (8) कर्मचारी चयन आयोग के कार्यकलापों की वार्षिक रिपोर्ट कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग को प्रस्तुत करना।
- (9) ऐसे अन्य कार्यों का निष्पादन जो कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग द्वारा उसे सौंपे जाएं।

सदस्य

सदस्य निम्नलिखित कार्य करेंगे

- (1) जहां कहीं आवश्यक हो, परीक्षाओं और अभ्यर्थियों से साक्षात्कारों के आयोजन में अध्यक्ष की सहायता करेंगे।
- (2) अन्य ऐसे कर्तव्यों का निष्पादन, जो अध्यक्ष द्वारा उनको सौंपे जाएं।

5. शक्तियों का प्रत्यायोजन

अधीनस्थ सेवा आयोग का अध्यक्ष 'विभागाध्यक्ष' तथा "कार्यालय अध्यक्ष" के सचिव की प्रशासनिक एवं वित्तीय शक्तियों का प्रयोग करेगा।

6. कार्यालय की अवस्थिति

अधीनस्थ सेवा आयोग का मुख्यालय दिल्ली में स्थित होगा आयोग के क्षेत्रीय कार्यालय बंबई कोलकाता मद्रास तथा इलाहाबाद जैसे अन्य स्थानों पर जहां वह आवश्यक समझता है खोले जा सकते हैं।

7. आयोग की स्थापना करने और आयोग की कार्य संचालन पर हुए व्यय को पूर्ण रूप से भारत सरकार द्वारा वहन किया जाएगा। तथापि आयोग, आयोग द्वारा आयोजित की जाने वाली विभिन्न परीक्षाओं के लिए परीक्षा शुल्क लगा करके परीक्षाओं को भलीभांति आयोजित करने के उद्देश्य से निधियां एकत्र करने का अधिकार है। ऐसे परीक्षा शुल्क का ब्यौरा भारत सरकार के परामर्श से आयोग द्वारा नियत किया जाएगा।

आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की एक प्रति सभी राज्य सरकारों, भारत सरकार के सभी मंत्रालयों/विभागों आदि को दी जाए तथा यह संकल्प भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया जाए।

हस्ताक्षर

ह./-

(पी.एस. महादेवन)

संयुक्त सचिव, भारत सरकार

दिनांक-04-11-1975

सं-46/1(एस)/74-स्था(ख)

प्रतिलिपि अग्रेषितः

1. भारत सरकार के सभी मंत्रालय/विभाग
2. सभी राज्य सरकारें/संघ शासित क्षेत्र
3. प्रधानमंत्री सचिवालय/राष्ट्रपति सचिवालय/उप-राष्ट्रपति सचिवालय/लोकसभा, राज्य सभा सचिवालय / उच्चतम न्यायालय /संघ लोक सेवा आयोग/केंद्रीय सतर्कता आयोग/नियंत्रक एवं महा लेखा परीक्षा/अ.जा./अ.ज.जा. आयुक्त/भाषाई अल्पसंख्यक आयुक्त/सभी आंचलिक परिषद/चुनाव आयोग/सभी केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण।
4. कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग के सभी संबंध/अधीनस्थ कार्यालय
5. कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग ए. आर स्कंध के सीएस-I/सीएस-II/आईईएस/एवीडी-I/एवीडी-II/एवीडी-III/एवीडी-IV/एआईएसआई/एड-I अनुभाग
6. निदेशक (परीक्षा स्कंध) आई. एस.टी.सी.

हस्ताक्षर

ह./-

(आर.सी.गुप्ता)

अवर सचिव, भारत सरकार

टिप्पणी:

- I) 26.9.1977 से अधीनस्थ सेवा आयोग का कर्मचारी चयन आयोग के रूप में पुनः नामकरण किया गया।
 - ii) जो क्षेत्रीय कार्यालयों के प्रभारी थे, उन्हें प्रारंभ में परीक्षा नियंत्रक कहा जाता था। उनको बाद में क्षेत्रीय निदेशक के रूप में पुनः नामित किया गया।
 - iii) मूल संशोधन सं. 46 (1-(एस)) 74-स्था. (ख) दिनांक 04.11.1975 को अब तक छः बार संशोधित किया गया है।
- (क) संकल्प संख्या 24012/42/78-स्था. (ख) दिनांक 17.3.79
 - (ख) संकल्प संख्या 24012/31/85-स्था. (ख) दिनांक 7.9.89
 - (ग) संकल्प संख्या 39018/1/98-स्था. (ख) दिनांक 21.5.1999
 - (घ) संकल्प संख्या 24012/8-ए/2003-स्था. (ख) दिनांक 13.11.2003
 - (ड.) संकल्प संख्या 24012/8-ए/2003-स्था.(ख) दिनांक 29.9.2005
 - (च) संकल्प संख्या 39018/01/1998-स्था.(ख) खंड-II दिनांक 14.01.2011

सं-39018/1/98-स्था.(ख)

भारत सरकार

कार्मिक , लोक एवं पेंशन मंत्रालय

कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग

नई दिल्ली, 21 मई, 1999

कार्यालय ज्ञापन

विषय: संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श

1. पांचवे केन्द्रीय वेतन आयोग ने रिपोर्ट के अध्याय-17 में संघ लोक सेवा आयोग के कार्यभार में कमी करने की सिफारिश की है जिससे आयोग ज्यादा महत्वपूर्ण मुद्दों पर ध्यान दे सके और इस संदर्भ में कतिपय विशेष सुझाव दिए हैं। इससे पूर्व गृह मंत्रालय की स्थायी संसदीय समिति ने संघ लोक सेवा आयोग के कामकाज पर 1994 में प्रस्तुत अपनी बीसवी रिपोर्ट में सरकार से कुछ ऐसे क्षेत्रों की पहचान करने को कहा है जिन्हें संघ लोक सेवा आयोग के परामर्श से समाप्त किया जा सके ताकि उनका कार्यभार कम हो सके। विगत समय में आयोग ने भी सरकार पर संगत भर्ती नियमों में संशोधन करने हेतु दबाव डाला था ताकि समूह 'ख' अराजपत्रित पदों की भर्ती संघ लोक सेवा आयोग से इतर अभिकरणों द्वारा की जा सके।
2. इस परिप्रेक्ष्य में संघ लोक सेवा आयोग (परामर्श से छूट) विनियम, 1958 के उपबंधों एवं अन्य संगत आदेशों की समीक्षा की गयी ताकि उन क्षेत्रों की पहचान की जा सके, जिन्हें संघ लोक सेवा आयोग के परामर्श से समाप्त किया जा सके। ऐसी समीक्षा के आधार पर, सक्षम, प्राधिकारी के अनुमोदन से यह निर्णय लिया गया कि:
 - (क) ऐसी समूह 'ख' सेवा या पदों पर सीधी भर्ती करते समय, जिनके वेतनमान की अधिकतम सीमा 10,500/- रुपये से कम है, संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श की आवश्यकता नहीं है, फिर भी ऐसे पदों पर सीधी भर्ती कर्मचारी चयन आयोग के माध्यम से की जाएगी।
 - (ख) संघ लोक सेवा आयोग के माध्यम से 'क' और 'ख' सेवा या पदों के लिए सीधे भर्ती किए गए किसी व्यक्ति समूह 'क' या समूह 'ख' सेवा या समूह पद पर मूल नियुक्ति या स्थायीकरण हेतु विभागीय-प्रोन्नति समिति के कार्यवृत्त की संघ लोक सेवा आयोग द्वारा पुनरीक्षण की प्रक्रिया समाप्त की जाएगी।
 - (ग) समूह 'क' सेवा या पद वाले किसी अधिकारी की चयन-सह-वरिष्ठता पर किसी समूह 'क' सेवा या पद पर पदोन्नति करते समय, जिसके वेतनमान की अधिकतम सीमा 16,500/- रुपये से कम है, संघ लोक सेवा आयोग को शामिल करने की आवश्यकता नहीं है। फिर भी, समूह 'ख' अधिकारी समूह 'क' के निम्नतम पद पर पदोन्नत करते समय संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श आवश्यक है।

3. उपर्युक्त निर्णय को तत्काल प्रभाव से लागू करने के लिए भर्ती नियमों के संगत उपबंधों में संशोधन करने हेतु निस्तृत अम्ब्रेला अधिसूचना जारी की जा चुकी है। उक्त अधिसूचना की प्रति सूचनार्थ संलग्न है। संघ लोक सेवा आयोग (परामर्श से छूट) विनिमय, 1958 एवं कर्मचारी चयन आयोग के कार्यों को निर्धारित करने वाले दिनांक 4 नवम्बर, 1975 के संकल्प के संशोधन भी साथ-साथ जारी किए जा रहे हैं।
4. भारतीय लेखा परीक्षा एवं लेखा विभाग में कार्यरत व्यक्तियों के संदर्भ में इसे भारत के नियंत्रक सेवा महालेखा परीक्षक की सहमति से जारी किया जाता है।

हस्ताक्षर/-

निदेशक

सेवा में,

मानक सूची के अनुसार सभी मंत्रालय/विभाग

भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक

(भारत के राजपत्र के भाग-1 खण्ड-1 में प्रकाशनार्थ)

सं. 39018/1/98-स्था.(ख)

भारत सरकार

कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय

कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग

नई दिल्ली, 21 मई, 1999

संकल्प

सं. 39018/1/98-स्था.(ख) भारत सरकार ने कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग के दिनांक 4 नवंबर, 1975 के संकल्प संख्या 46/1/(एस)/74-स्था. (ख) द्वारा भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों/विभागों और अधीनस्थ कार्यालयों में श्रेणी-III (अब समूह ग) के विभिन्न (गैर-तकनीकी) पदों पर भर्ती करने हेतु अधीनस्थ सेवा आयोग के नाम से एक आयोग गठन किया था जिसे बाद में 26 सितम्बर 1977 से कर्मचारी चयन आयोग के रूप में पुनः नामित किया गया। कर्मचारी चयन आयोग के कार्यकलापों में समय-समय पर वृद्धि हुई है और यह निर्णय लिया गया है कि कर्मचारी चयन आयोग, संघ लोक सेवा आयोग से समूह 'ख' के सभी पदों पर भर्ती संबंधी कामकाज अपने हाथ में ले लेगा जिनके वेतनमान अधिकतम 10,500/- रुपये से कम हो। तदनुसार, और राधेश्याम बनाम भारत संघ एवं अन्य के मामले में उच्चतम न्यायालय द्वारा दिए गए निर्देशों को ध्यान में रखते हुए 1 जून, 1999 से कर्मचारी चयन आयोग के गठन और कार्य निम्नानुसार होंगे:-

1. कर्मचारी चयन आयोग का गठन

- (i) भारत सरकार के पूर्ववर्ती कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग के दिनांक 4 नवम्बर, 1975 के संकल्प संख्या 46/1(एस)/74-स्था. (ख) का अधिक्रमण करते हुए और अधिक्रमण से पहले की गई संबंधित बातों अथवा ऐसी बातों जिन्हें किया जाना छोड़ दिया गया के सिवाय, केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा कर्मचारी चयन आयोग के नाम से एक आयोग स्थापित करती है जो कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग का एक सम्बद्ध कार्यालय होगा और इसमें एक अध्यक्ष, दो सदस्य और एक सचिव-सह-परीक्षा नियंत्रक होंगे जो केन्द्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर निर्धारित की जाने वाली शर्तों के अनुसार नियुक्त किए जाएंगे।
- (ii) आयोग को उतने सहायक कर्मचारी मुहैया करवाए जाएंगे जितने कि केन्द्रीय सरकार आवश्यक समझे।

2. कार्य

- (1) कर्मचारी चयन आयोग निम्नलिखित कार्य करेगा
- (क) भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों/विभागों और उनके सम्बद्ध और अधीनस्थ कार्यालयों में समूह 'ख' के उन

सभी पदों, जिनके वेतनमानों का अधिकतम 10,500/- रुपये से कम हो, और (ii) भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों/विभागों और उनके सम्बद्ध और अधीनस्थ कार्यालयों में गैर-तकनीकी समूह 'ग' के उन पदों को छोड़कर जो कर्मचारी चयन आयोग के क्षेत्राधिकार से विशेष रूप से मुक्त हों, सभी पदों पर भर्ती करेगा।

(ख) अपने क्षेत्राधिकार में आने वाले पदों पर भर्ती करने के लिए परीक्षाएं और/अथवा जब कभी अपेक्षित हों, साक्षात्कार आयोजित करेगा। जहां तक संभव होगा, परीक्षाएं विभिन्न केंद्रों पर आयोजित की जाएंगी और सफल उम्मीदवारों को यथासंभव उनके ही राज्य/क्षेत्र में तैनात किया जाएगा।

आयोग विशेषतः

(क) निम्नलिखित की भर्तियों के संबंध में प्रतियोगी परीक्षाएं संचालित करेगा:-

- (i) भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों/विभागों सम्बद्ध और अधीनस्थ कार्यालयों तथा केन्द्रीय सचिवालय लिपिकीय सेवा/भारतीय विदेश सेवा (ख) रेलवे बोर्ड सचिवालय लिपिकीय सेवा और सशस्त्र सेना मुख्यालय लिपिकीय सेवा में भाग ले रहे कार्यालयों में अवर श्रेणी लिपिक के पदों पर भर्ती।
- (ii) केन्द्रीय सचिवालय आशुलिपिक सेवा के श्रेणी 'ग' तथा श्रेणी 'घ' आशुलिपिक के पदों और भारतीय विदेश सेवा (ख) रेलवे बोर्ड सचिवालय आशुलिपिक सेवा/सशस्त्र सेना मुख्यालय आशुलिपिक सेवा में समतुल्य ग्रेडों में तथा उपर्युक्त सेवाओं में भाग ले रहे भारत सरकार के संबद्ध और अधीनस्थ कार्यालयों सहित अन्य विभागों में आशुलिपिकों के पदों पर भर्ती।
- (iii) भारत सरकार के सम्बद्ध और अधीनस्थ कार्यालयों समेत विभिन्न मंत्रालयों/विभागों तथा केन्द्रीय सचिवालय सेवा/भारतीय विदेश सेवा (ख) रेलवे बोर्ड सचिवालय सेवा/सशस्त्र सेना मुख्यालय सिविल सेवा में भाग ले रहे कार्यालयों में सहायकों के पदों पर भर्ती।
- (iv) केन्द्रीय उत्पाद शुल्क के विभिन्न समाहर्तालयों (कलेक्टरों) में केन्द्रीय उत्पाद शुल्क के निरीक्षक, आयकर आयुक्तों के विभिन्न प्रभागों के अन्तर्गत आयकर निरीक्षक, विभिन्न सीमा शुल्क, कार्यालयों में निवारक अधिकारी और परीक्षक, प्रवर्तन निदेशालय में सहायक प्रवर्तन अधिकारी, दिल्ली प्रशासन अधीनस्थ सेवाओं के ग्रेड-II पदों पर भर्ती।
- (v) दिल्ली पुलिस, केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो और केन्द्रीय पुलिस संगठनों में उप निरीक्षक के पदों पर भर्ती।
- (vi) भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के कार्यालय में अन्य लेखा विभागों के अन्तर्गत प्रभागीय, लेखाकार, लेखा-परीक्षक और लेखाकार तथा भारत सरकार के संबद्ध और कार्यालयों में उच्च श्रेणी लिपिकों के पदों पर भर्ती।

(ख) निम्नलिखित के लिए विभागीय परीक्षाएं आयोजित करेगा:-

- (i) केन्द्रीय सचिवालय लिपिकीय सेवा में समूह 'घ' के अवर श्रेणी लिपिक ग्रेड में और भारतीय विदेश सेवा

- (ख)रेलवे बोर्ड सचिवालय सेवा/सशस्त्र सेना मुख्यालय लिपिकीय सेवा में समतुल्य ग्रेडों में पदोन्नति।
- (ii) केन्द्रीय सचिवालय लिपिकीय सेवा के अवर श्रेणी ग्रेड से उच्च श्रेणी लिपिक ग्रेड में और भारतीय विदेश सेवा (ख)रेलवे बोर्ड सचिवालय लिपिकीय सेवा/सशस्त्र सेना मुख्यालय लिपिकीय सेवा में समतुल्य ग्रेडों में पदोन्नति।
- (iii) केन्द्रीय सचिवालय आशुलिपिक सेवा के ग्रेड 'घ' आशुलिपिक से आशुलिपिक ग्रेड 'ग' में और भारतीय विदेश सेवा (ख)रेलवे बोर्ड सचिवालय आशुलिपिक सेवा/सशस्त्र सेना मुख्यालय आशुलिपिक सेवा में समतुल्य ग्रेडों में पदोन्नति।
- (ग) अंग्रेजी एवं हिन्दी में आवधिक टंकण परीक्षण का संचालन।
- (घ) समूह 'ख' के उन सभी पदों, जिनके वेतनमान का अधिकतम 10,500/- रुपये से कम हो, तथा भारत सरकार के मंत्रालयों/विभागों तथा इनके सम्बद्ध एवं अधीनस्थ कार्यालयों में संबंधित विभागों के साथ परामर्श करके समूह 'ग' के गैर तकनीकी पदों पर भर्ती के लिए योजनाएं तैयार करना।
- (ङ) समूह 'ख' के उन सभी पदों, जिनके वेतनमान का अधिकतम 10,500/- रुपये से कम हो, तथा भारत सरकार के मंत्रालयों/विभागों तथा इनके सम्बद्ध एवं अधीनस्थ कार्यालयों में समूह 'ग' के गैर तकनीकी पदों पर भर्ती के लिए सरकार द्वारा समय-समय पर यथा विनिर्दिष्ट परीक्षाएं/चयन संचालित करना।
- (च) केन्द्र सरकार द्वारा समय-समय पर सौंपे गए ऐसे अन्य कार्य करना।

3. अध्यक्ष एवं सदस्यों की शक्तियां, कार्य और उत्तरदायित्व

(क) अध्यक्ष

अध्यक्ष कर्मचारी चयन आयोग के प्रशासनिक प्रधान होने के नाते निम्नलिखित के लिए उत्तरदायी होंगे:

- (1) समूह 'ख' के पदों जिनका अधिकतम वेतनमान 10,500/- रुपये से कम हो तथा समूह 'ग' के सभी गैर-तकनीकी पद जिन पर भर्ती की जानी है, की रिक्तियां जिनमें अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग आदि के लिए आरक्षित रिक्तियां भी शामिल हैं, की संख्या के बारे में विभागों से पता लगाना, प्रतियोगी परीक्षाओं/साक्षात्कार के माध्यम से उपयुक्त अभ्यर्थियों का चयन करना, सूचित की गई रिक्तियों पर नियुक्ति के लिए चयन किए गए अभ्यर्थियों को अनुशंसित करना और की गई नियुक्ति का रिकार्ड रखना।
- (2) कार्मिक तथा प्रशिक्षण विभाग को कर्मचारी चयन आयोग के कार्यकलापों को वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करना।
- (3) कार्मिक तथा प्रशिक्षण विभाग द्वारा सौंपे गए ऐसे अन्य कार्य करना।

सदस्य:

सदस्य द्वारा:

- 1) जहां कहीं आवश्यक हो अभ्यर्थियों की परीक्षाओं और साक्षात्कारों के आयोजन में अध्यक्ष की सहायता की जाएगी।
- 2) ऐसे अन्य कर्तव्यों का निष्पादन किया जाएगा जो उन्हें अध्यक्ष द्वारा सौंपे जाएं।
- 3) शक्तियों का प्रत्यायोजन :- कर्मचारी चयन आयोग के कार्यों को कार्यान्वित करने के लिए, अध्यक्ष 'विभागाध्यक्ष' और सचिव 'कार्यालयाध्यक्ष' के रूप में सभी प्रशासनिक और वित्तीय शक्तियों का प्रयोग कर सकते हैं।
- 4) कार्यालय का स्थान :- कर्मचारी चयन आयोग का मुख्यालय दिल्ली में होगा। वर्तमान में कार्यरत आयोग के क्षेत्रीय या उप-क्षेत्रीय कार्यालयों का स्थान परिशिष्ट-1 में दिया गया है। आयोग ऐसे अन्य स्थानों, जहां वह आवश्यक समझे, पर कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के अनुमोदन से और भी क्षेत्रीय/उप-क्षेत्रीय कार्यालय खोल सकता है।
- 5) आयोग के किसी क्षेत्रीय/उप-क्षेत्रीय कार्यालय की स्थापना करने और आयोग के कामकाज में होने वाला सम्पूर्ण व्यय भारत सरकार द्वारा वहन किया जाएगा। तथापि, आयोग को अधिकार है कि वह विभिन्न परीक्षाओं/चयन के आयोजनों के लिए अभ्यर्थियों से शुल्क एकत्रित करे। आयोग द्वारा भारत सरकार के परामर्श से ऐसे शुल्क के संबंध में ब्यौरा निर्धारित किया जाएगा।

श्रीमती भवानी त्यागराजन, निदेशक

आदेश

आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की एक प्रति सभी राज्य सरकारों, भारत सरकार के सभी मंत्रालयों/विभागों आदि को दी जाए तथा यह भी संकल्प भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया जाए।

(हस्ता/-)

निदेशक

सेवा में,

प्रबंधक,

भारत सरकार मुद्रणालय,

मायापुरी, रिंग रोड,

नई दिल्ली

सं. 39018/1/98-स्था.(ख)

नई दिल्ली 21मई, 1999

प्रतिलिपि अग्रेषित :

1. भारत सरकार के सभी मंत्रालय/विभाग
2. सभी राज्य सरकारें/संघ शासित क्षेत्र।
3. प्रधानमंत्री कार्यालय/राष्ट्रपति सचिवालय/उप-राष्ट्रपति सचिवालय/लोकसभा, राज्यसभा सचिवालय/ उच्चतम न्यायालय/ केन्द्रीय सतर्कता आयोग/नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक/अ.जा./अ.ज.जा. आयुक्त/ भाषायी अल्पसंख्यक आयुक्त/सभी आंचलिक परिषद/चुनाव आयोग/सभी केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकरण।
4. सचिव, संघ लोक सेवा आयोग, नई दिल्ली।
5. सचिव, कर्मचारी चयन आयोग, नई दिल्ली।
6. सभी संबद्ध/अधीनस्थ कार्यालय एवं कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय के सभी अनुभाग।

(भारत सरकार के राजपत्र के भाग-1 खण्ड-1 में प्रकाशनार्थ)

भारत सरकार

कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय

कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग

नई दिल्ली, 13 नवम्बर, 2003

संकल्प

सं 24012/8क/2003-स्था. (ख) भारत सरकार ने कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग के दिनांक 4 नवम्बर, 1975 के संकल्प संख्या 46/1(एस)/74-स्था. (ख) द्वारा भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों/विभागों और अधीनस्थ कार्यालयों में श्रेणी-III (अब समूह 'ग') के विभिन्न (गैर-तकनीकी) पदों पर भर्ती करने हेतु अधीनस्थ सेवा आयोग के रूप के नाम से एक आयोग गठित किया था जिसे बाद में 26 सितम्बर, 1977 से कर्मचारी चयन आयोग के रूप में पुनः नामित किया गया है। कर्मचारी चयन आयोग के कार्यकलापों में समय-समय पर वृद्धि हुई है और राधेश्याम बनाम भारत संघ एवं अन्य मामले में उच्चतम न्यायालय द्वारा दिए गए निर्देशों को ध्यान में रखते हुए कर्मचारी चयन आयोग के कार्यों तथा गठन में दिनांक 21.5.1999 के संकल्प सं. 39018/1/98-स्था.(ख) के तहत भी 1 जून, 1999 से संशोधन किया गया।

2. अब यह निर्णय लिया गया है कि दिनांक 21.5.1999 के संकल्प सं. 39018/1/98-स्था.(ख) में तत्काल प्रभाव से निम्नलिखित संशोधन किए जाएं अर्थात:-

(क) दिनांक 21.5.1999 के संकल्प के पैरा 2(1) में उप-पैरा (ख) के बाद निम्नलिखित को जोड़ा जाएगा अर्थात :-

"(ग) अनुभाग अधिकारी (वाणिज्यिक/लेखा परीक्षा) के पद पर और 6500-10500/- रुपये के वेतनमान वाले सभी अराजपत्रित पदों पर भी भर्ती करना।"

हस्ताक्षर/-

निदेशक

पाद-टिप्पणी :- मुख्य संकल्प दिनांक 24 मई, 1999 के असाधारण राजपत्र के भाग-1 खण्ड-1 में सं. 39019/1/98-स्था. (ख) के तहत प्रकाशित किया गया।

सेवा में,

प्रबंधक,

भारत सरकार मुद्रणालय,

मायापुरी, नई दिल्ली

कर्मचारी चयन आयोग

(भारत सरकार के राजपत्र के भाग-1खण्ड-1 में प्रकाशनार्थ)

भारत सरकार

कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय

कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग

नई दिल्ली, 29 सितम्बर, 2005

संकल्प

सं 24012/8-क/2003-स्था. (ख) भारत सरकार ने कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग के संकल्प संख्या 46/1(एस)/74-स्था. (ख) दिनांक 4 नवम्बर, 1975 के द्वारा भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों/विभागों और अधीनस्थ कार्यालयों में श्रेणी-III (अब समूह 'ग') के विभिन्न (गैर-तकनीकी) पदों पर भर्ती करने हेतु अधीनस्थ सेवा आयोग के नाम से एक आयोग गठित किया था जिसे बाद में 26 सितम्बर, 1977 से कर्मचारी चयन आयोग के रूप में नामित किया गया है। कर्मचारी चयन आयोग के कार्यकलापों में समय-समय पर वृद्धि हुई है और राधेश्याम बनाम भारत संघ एवं अन्य के मामले में उच्चतम न्यायालय द्वारा दिए गए निर्देश को ध्यान में रखते हुए कर्मचारी चयन आयोग के कार्यों तथा गठन में दिनांक 21.5.1999 के संकल्प सं. 39018/1/98-स्था.(ख) के तहत भी 1 जून, 1999 से संशोधन किया गया।

2. अब यह निर्णय लिया गया है कि दिनांक 21.5.1999 के संकल्प सं. 39018/1/98-स्था.(ख) में तत्काल प्रभाव से निम्नलिखित संशोधन किए जाएं अर्थात:-

(क) दिनांक 21.5.1999 के संकल्प और जिसे दिनांक 13.11.2003 के तहत संशोधन किया गया है, के पैरा 2 (1) में उप-पैरा (ख) के पश्चात्

(ख) विद्यमान प्रविष्टि के स्थान पर निम्नलिखित को रखा जाएगा अर्थात:

"(ग) 6500-10,500/- रुपये के वेतनमान वाले सभी अराजपत्रित पदों पर सीधी भर्ती करना।"

ह./-

(श्रीमती शुभा ठाकुर)

अवर सचिव, भारत सरकार

पाद टिप्पणी : मुख्य संकल्प दिनांक 24 मई, 1999 के असाधारण राजपत्र के भाग-1 खण्ड-1 में सं. 39018/1/98-स्था. (ख) के तहत प्रकाशित किया गया था और दिनांक 22.11.2003 के सं. 24012/8-क/2003-स्था.(ख) के तहत संशोधित किया गया था।

सं. 24012/8-क/2003-स्था.(ख)

दिनांक 29 सितम्बर, 2005

सेवा में,

प्रबंधक,

भारत सरकार मुद्रणालय,

मायापुरी, रिंग रोड, नई दिल्ली

प्रतिलिपि अग्रेषित :

- क. भारत सरकार के सभी मंत्रालय/विभाग
- ख. विधायी विभाग, शास्त्री भवन, नई दिल्ली।
- ग. विधायी विभाग, (रा.भा.स्कंध), भगवान दास रोड, नई दिल्ली।
- घ. सचिव, संघ लोक सेवा आयोग, धौलपुर, हाउस, नई दिल्ली।
- ड. सचिव, कर्मचारी चयन आयोग, सी.जी.ओ. कॉम्प्लैक्स, नई दिल्ली।
- च. कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग, नॉर्थ ब्लॉक, नई दिल्ली के सभी अनुभाग/अधिकारी
- छ. वेबसाइट कक्ष, रा.सू.के., कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग, नॉर्थ ब्लॉक, नई दिल्ली।
- ज. सुविधा केन्द्र, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग, नॉर्थ ब्लॉक, नई दिल्ली। 20 अतिरिक्त प्रतियां।
- झ. गार्ड फाइल।
- ञ. 50 अतिरिक्त प्रतियां।

ह./-

(श्रीमती शुभा ठाकुर)

अवर सचिव, भारत सरकार

(भारत सरकार के राजपत्र के भाग-1 खण्ड-1 में प्रकाशनार्थ)

भारत सरकार

कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय

कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग

नई दिल्ली, 14 जनवरी, 2011

संकल्प

सं. 39018/1/1998-स्था. (ख)-खंड-II-भारत सरकार द्वारा कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग के अपने दिनांक 4 नवंबर, 1975 के संकल्प संख्या 46/1/(एस)/74-स्था. (ख) के तहत भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों/विभागों और इसके अधीनस्थ कार्यालयों में विभिन्न श्रेणी-III (अब समूह 'ग') गैर-तकनीकी पदों पर भर्ती करने के लिए अधीनस्थ सेवा आयोग गठित किया था जिसे बाद में 26 सितम्बर 1977 से कर्मचारी चयन आयोग के रूप में नामोद्दिष्ट किया गया है। आयोग के कार्य 6400-10500/-रूपए के वेतनमान वाले समूह 'ख' (अराजपत्रित) पदों पर भर्ती को शामिल करने के लिए समय-समय पर बढ़ाए गए थे। दिनांक 1.1.2006 से वेतनमान में संशोधन और सरकार के अधीन सभी सिविल पदों का पुनर्वर्गीकरण होने के परिणामस्वरूप, दिनांक 9 अप्रैल, 2009 के आदेश संख्या एस.ओ.946 (ड.) के तहत आयोग के कार्य और भूमिका को पुनर्परिभाषित करना आवश्यक हो गया है। अतः दिनांक 4 नवंबर, 1975 के संकल्प संख्या 46/(एस)/74-स्था. (ख) और इस विषय पर उसके उत्तरवर्ती संकल्पों के अधिक्रमण में, कर्मचारी चयन आयोग का गठन और कार्य तत्काल प्रभाव से निम्नलिखित प्रकार से होगा:-

1. कर्मचारी चयन आयोग का गठन

- (i) ऐसे अधिक्रमण से पहले की गई संबंधित बातों अथवा ऐसी बातें जिन्हें किया जाना छोड़ दिया गया हो, के सिवाय, केन्द्रीय सरकार एतद्वारा कर्मचारी चयन आयोग के नाम से एक आयोग स्थापित करती है जिसमें एक अध्यक्ष और दो सदस्य होंगे। आयोग को एक सचिवालय द्वारा सेवाएं प्रदान की जाएंगी जिसकी अध्यक्षता एक सचिव, जो परीक्षा नियंत्रक भी होगा, द्वारा की जाएगी तथा अन्य सहयोगी अधिकारी व कर्मचारी भी, जैसा केन्द्रीय सरकार समय-समय पर आवश्यक समझे, उनका सहयोग करेगी।
- (ii) यह आयोग कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग का एक सम्बद्ध कार्यालय होगा और सरकार के दिशा-निर्देशों, सलाह और नीतियों के अधीन कार्य करेगा।

2. कार्य

कर्मचारी चयन आयोग :-

- (क) (i) भारत सरकार और उसके सम्बद्ध और अधीनस्थ कार्यालयों के वेतन बैंड-1 और वेतन बैंड-2 के 4600 रू. तक के ग्रेड वेतन वाले समूह 'ख' (अराजपत्रित) और समूह 'ग' (गैर-तकनीकी) पदों के, उन पदों को छोड़कर जो कर्मचारी चयन आयोग के क्षेत्राधिकार से विशेष रूप से मुक्त हों, सभी पदों पर प्रतियोगी परीक्षा के आधार पर भर्ती करेगा।
- (ii) रू. 4600/-तक के ग्रेड वेतन वाले वेतन बैंड-2 एवं वेतन बैंड-1 में भारत सरकार के ऐसे पदों, जिनके लिए आयोग के विवेक पर पहले शॉर्टलिस्ट कर दिया गया हो या कौशल परीक्षण ले लिया गया हो, साक्षात्कारों के जरिए चयन द्वारा भर्ती करेगा।
- (iii) केन्द्रीय सचिवालय लिपिकीय/आशुलिपिकीय सेवाओं या इस प्रकार की अन्य सेवाओं, जो आयोग को सौंपी गई हैं अथवा सौंपी जा सकती हैं, के लिए सीमित विभागीय प्रतियोगी परीक्षाओं का संचालन करेगा।
- (iv) अंग्रेजी/हिंदी में आवधिक कौशल परीक्षण और अन्य ऐसे कौशल परीक्षण, जो समय-समय पर सरकार द्वारा निर्धारित किए जाएं, संचालित करेगा।
- (ख) अन्य ऐसे कार्य करेगा, जो केन्द्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर इसको सौंपे जाएंगे।

3. अध्यक्ष एवं सदस्यों की शक्तियां, कार्य एवं जिम्मेदारियां

(क) अध्यक्ष

कर्मचारी चयन आयोग के प्रशासनिक प्रमुख होने के नाते अध्यक्ष निम्नलिखित कार्य करने के लिए उत्तरदायी होगा:-

- (i) अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग आदि के लिए आरक्षित रिक्तियों सहित पदों की प्रत्येक श्रेणी में रिक्तियों को निर्धारित करना, जिसके लिए आयोग को भर्ती करने, प्रतियोगी परीक्षाओं/साक्षात्कारों के जरिए समुचित अभ्यर्थियों का चयन करने, सूचित रिक्तियों पर चयनित अभ्यर्थियों की नियुक्तियों की अनुशंसा करने तथा की गई नियुक्ति का अभिलेख रखने का अधिदेश है।
- (ii) आयोग के क्रियाकलापों की वार्षिक रिपोर्ट कार्मिक तथा प्रशिक्षण विभाग को प्रस्तुत करना।
- (iii) ऐसे अन्य कार्यों का निष्पादन जो कार्मिक तथा प्रशिक्षण विभाग द्वारा उसे सौंपे जाएं।

कर्मचारी चयन आयोग

(ख) सदस्य

सदस्य निम्नलिखित कार्य करेंगे

- (i) जहां कहीं आवश्यक हो परीक्षाओं और अभ्यर्थियों के साक्षात्कारों के आयोजन में अध्यक्ष की सहायता करेंगे।
- (ii) अन्य ऐसे कर्तव्यों का निष्पादन, जो अध्यक्ष द्वारा उनको सौंपे जाएं।

4. शक्तियों का प्रत्यायोजन

आयोग के कार्यों का निर्वहन करने में, अध्यक्ष 'विभागाध्यक्ष' की सभी प्रशासनिक और वित्तीय शक्तियों का प्रयोग करेगा तथा आयोग में एक या अधिक अधिकारियों को कार्यालयाध्यक्ष के रूप में नियुक्त करेगा।

5. कार्यालय की अवस्थिति

कर्मचारी चयन आयोग का मुख्यालय दिल्ली में, आयोग के प्रवर्ती क्षेत्रीय और उप-क्षेत्रीय कार्यालयों सहित, होगा जो पहले से कार्य कर रहे हैं। आयोग, कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के अनुमोदन से ऐसे अन्य स्थानों पर, जहां वह आवश्यक समझता है (केन्द्रीय सरकार के पूर्व अनुमोदन से), आयोग के और भी क्षेत्रीय/उप क्षेत्रीय कार्यालय खोल सकता है।

6. आयोग के किसी भी क्षेत्रीय/उप-क्षेत्रीय कार्यालयों की स्थापना करने और आयोग की कार्यप्रणाली पर हुए व्यय को पूर्ण रूप से भारत सरकार द्वारा वहन किया जाएगा। आयोग विभिन्न परीक्षाओं/चयनों के लिए अभ्यर्थियों से उतना शुल्क वसूल करेगा, जितना कि भारत सरकार के परामर्श से आयोग द्वारा नियत किया जाए।

हस्ताक्षर/-

(सुश्री ममता कुन्द्रा)

संयुक्त सचिव, भारत सरकार

आदेश

आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की एक प्रति सभी राज्य सरकारों, भारत सरकार के सभी मंत्रालयों/विभागों आदि को संप्रेषित की जाए और यह भी कि इस संकल्प को भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया जाए।

हस्ताक्षर/-

(सुश्री ममता कुन्द्रा)

संयुक्त सचिव, भारत सरकार

सेवा में,

प्रबंधक,

भारत सरकार मुद्रणालय, मायापुरी, रिंग रोड, नई दिल्ली

(भारत सरकार के राजपत्र के भाग-1 खण्ड-1 में प्रकाशनार्थ)

भारत सरकार

कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय

कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग

नई दिल्ली, 24 जुलाई, 2012

संकल्प

सं. 24012/29/2011-स्था. (ख) भारत सरकार ने कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग के दिनांक 4 नवम्बर, 1975 के संकल्प संख्या 46/1(एस)/74-स्था. (ख) द्वारा भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों/विभागों और अधीनस्थ कार्यालयों में श्रेणी-III (अब समूह 'ग') के विभिन्न (गैर-तकनीकी) पदों पर भर्ती करने हेतु अधीनस्थ सेवा आयोग के रूप के नाम से एक आयोग गठित किया था जिसे बाद में 26 सितम्बर, 1977 से कर्मचारी चयन आयोग के रूप में पुनः नामित किया गया है। कर्मचारी चयन आयोग के कार्यकलापों में समय-समय पर वृद्धि हुई है। कर्मचारी चयन आयोग के कार्यों तथा गठन में दिनांक 14.1.2011 के संकल्प सं. 39018/1/98-स्था.(ख) के तहत आगे संशोधन किया गया।

2. अब यह निर्णय लिया गया है कि दिनांक 14.1.2011 के संकल्प सं. 39018/1/98-स्था.(ख) में तत्काल प्रभाव से निम्नलिखित संशोधन किए जाएं अर्थात् :-

(क) दिनांक 14.1.2011 के संकल्प के पैरा 2क(1) में निम्नलिखित को जोड़ा जाएगा अर्थात् :-

पैरा 2क (i) भारत सरकार और उसके संबद्ध और अधीनस्थ कार्यालयों के वेतन बैण्ड-1 और वेतन बैण्ड 2 के 4800 रु तक के ग्रेड वेतन वाले समूह (ख) अराजपत्रित और समूह (ग) (गैर तकनीकी) पदों के, उन पदों को छोड़कर जो कर्मचारी चयन आयोग के क्षेत्राधिकार से विशेष रूप से मुक्त हों, सभी पदों पर प्रतियोगी परीक्षा के आधार पर भर्ती करेगा।

(ख) दिनांक 14.1.2011 के संकल्प के पैरा 2 क (ii) में निम्नलिखित को जोड़ा जाएगा अर्थात्-

पैरा 2क (ii) रूपए 4800- तक के ग्रेड वेतन वाले वेतन बैण्ड-2 एवं वेतन बैण्ड-1 में भारत सरकार के अधीन ऐसे अराजपत्रित पदों, जिनके लिए आयोग के विवेक पर पहले शार्टलिस्ट कर दिया गया हो या कौशल परीक्षण ले लिया गया हो, साक्षात्कारों के जरिए चयन द्वारा भर्ती करेगा।

ह०/-

(यू.एस. चट्टोपाध्याय)

अवर सचिव, भारत सरकार

कर्मचारी चयन आयोग

टिप्पणी :- मुख्य संकल्प दिनांक 17 जनवरी, 2011 के असाधारण राजपत्र के भाग-1 खण्ड-1 में सं. 39018/ 1/98-स्था.
(ख) के तहत प्रकाशित किया गया।

सेवा में,

प्रबंधक,

भारत सरकार मुद्रणालय

मायापुरी, रिंग रोड

नई दिल्ली

(भारत सरकार के राजपत्र के भाग-1 खण्ड-1 में प्रकाशनार्थ)

भारत सरकार

कार्मिक , लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय

(कार्मिक तथा प्रशिक्षण विभाग)

संकल्प

नई दिल्ली, 17 फरवरी, 2016

संख्या 39018/01/2012-स्था (ख)भारत सरकार ने कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग के दिनांक 04 नवम्बर, 1975 के संकल्प संख्या 46/1(एस)/74-स्था(ख) द्वारा भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों/विभागों और अधीनस्थ कार्यालयों में श्रेणी-III (अब समूह 'ग') के विभिन्न (गैर-तकनीकी) पदों पर भर्ती करने हेतु अधीनस्थ सेवा आयोग के रूप के नाम से एक आयोग गठित किया था जिसे बाद में 26 सितम्बर, 1977 से कर्मचारी चयन आयोग के रूप में पुनः नामित किया गया है। कर्मचारी चयन आयोग के कार्यकलापों में समय-समय पर वृद्धि हुई है। कर्मचारी चयन आयोग के कार्यों तथा गठन में दिनांक 14.01.2011 के खण्ड II के संकल्प सं 39018/1/98- स्था.(ख) तथा दिनांक 24.07.2012 के संकल्प संख्या 24012/29/2011-स्था (ख) के तहत आगे संशोधित किया गया।

2. अब यह निर्णय लिया गया है कि दिनांक 24.7.2012 के संकल्प संख्या 24012/29/2011-स्था (ख) के साथ पढ़े गए दिनांक 14.01.2011 के संकल्प संख्या 39018/1/98-स्था.(ख) में तत्काल प्रभाव से निम्नलिखित संशोधन किए जाएं अर्थात:-

दिनांक 14.01.2011 के संकल्प के पैरा 2 क(i) में निम्नलिखित को जोड़ा जाएगा अर्थात:-

"पैरा 2 क (V)" भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के कार्यालय में भारतीय लेखा परीक्षा और लेखा विभाग में सहायक लेखा अधिकारी और सहायक लेखा परीक्षा अधिकारी की पद पर वेतन बैंड 2, रू. 9300-34800 तथा ग्रेड वेतन 4800/- रू. में समूह 'ख' (राजपत्रित) की सीधी भर्ती करेगा।

हस्ता / -

(डॉ देवेश चतुर्वेदी)

संयुक्त सचिव , भारत सरकार

टिप्पणी: - मुख्य संकल्प दिनांक 17 जनवरी, 2011 के असाधारण राजपत्र के भाग-1 खण्ड-1 में सं 39018/01/ 98-स्था. (ख) के तहत प्रकाशित किया गया।

कर्मचारी चयन आयोग

सेवामें,

प्रबंधक,

भारत सरकार मुद्रणालय,

मायापुरी, नई दिल्ली।

सं 39018/01/2012-स्था.(ख)

दिनांक: 17.02.2016

अग्रेषित प्रतिलिपि: -

1. भारत सरकार के सभी मंत्रालय / विभाग
2. सभी राज्य सरकारों / संघ राज्य क्षेत्र
3. सचिव, संघ लोक सेवा आयोग, ढोलपुर हाउस, नई दिल्ली।
4. अध्यक्ष, कर्मचारी चयन आयोग, कर्मचारी कार्यालय परिसर, नई दिल्ली।
5. स्था (आरआर) डेस्क, कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग, नई दिल्ली।
6. राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र, कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग, नॉर्थ ब्लॉक, नई दिल्ली को इस अनुरोध के साथ कि इस सरकारी संकल्प को "राजपत्र अधिसूचना" शीर्षक के रूप में इस विभाग की वेबसाइट पर अपलोड करे।
7. गार्ड फाइल
8. 10 अतिरिक्त प्रतियां।


हस्ता / -

(मुकेश कुमार)

अवर सचिव, भारत सरकार

परिशिष्ट -ख

दिनांक 31.03.2018 की स्थिति के अनुसार कर्मचारी चयन आयोग का संगठनात्मक चार्ट



* स्वच्छता अभियान

कर्मचारी चयन आयोग

मुख्यालय कार्यालय

क) अध्यक्ष	श्री अशीम खुराना
सदस्य	श्री मनोज कुमार पांडे
सदस्य	रिक्त
ख) <u>क्षेत्रीय कार्यालय</u>	<u>(क्षेत्रीय निदेशक)</u>
मध्य क्षेत्र	श्री राहुल कुमार सचान
पूर्वी क्षेत्र	श्रीमती प्रियंका बासु इंग्टी
केरल कर्नाटक क्षेत्र	श्रीमती विजयालक्ष्मी पी बिदारी
उत्तरी क्षेत्र	श्री गजेंद्र सिंह ठाकुर
पूर्वोत्तर क्षेत्र	श्री नाचान जिमिक
दक्षिण क्षेत्र	श्री पी. करूपासामी
पश्चिमी क्षेत्र	श्री के.बी. जगताप
<u>उप-क्षेत्रीय कार्यालय</u>	<u>(उप निदेशक)</u>
मध्य प्रदेश क्षेत्र	श्री वी.एम. पटवा
पश्चिमोत्तर क्षेत्र	श्री रैन मिश्रा

कर्मचारी चयन आयोग के माननीय अध्यक्षों की सूची

(01.07.1976 से)

क्रम सं.	नाम	से	तक
1.	श्री सईद हामिद	01.07.1976	16.06.1980
2.	श्री मती इंद्रजीत कौर	10.07.1980	10.07.1985
3.	श्री एस.सी.मिस्तल	23.07.1985	23.07.1990
4.	श्री एस.एन. बाज्पे	23.07.1990	12.07.1994
5.	श्री बी.शंकरन	28.11.1994	09.11.1998
6.	श्री के.एम.लाल	11.01.1999	21.06.2002
7.	श्री बी.के.मिश्रा	24.06.2002	19.10.2004
8.	श्री प्रकाश चन्द*	20.12.2004	23.11.2005
9.	श्री आई.एम.जी खान**	28.11.2005	12.01.2006
10.	श्री ब्रह्म दत्त**	13.01.2006	30.10.2006
11.	डॉ (श्रीमती) सी.टी.मिश्रा	30.10.2006	27.10.2008
12.	श्रीमती विभा पुरी दास**	29.10.2008	23.04.2009
13.	श्री एन.के.रधुपति	24.04.2009	02.03.2013
14.	श्री अमिताभ भट्टाचार्य	20.03.2013	02.12.2015
15.	श्री अशीम खुराना	09.12.2015	अब तक

* कार्यकारी अध्यक्ष

** अतिरिक्त प्रभार

कर्मचारी चयन आयोग के माननीय सदस्यों की सूची

(01.07.1976 से)

क्रम सं	नाम	से	तक
1.	श्री एच.एन. त्रिवेदी	01.11.1976	31.12.1979
2.	श्री अमर सिंह	07.01.1980	19.12.1982
3.	श्री बी.आर.आर. अयंगर	08.03.1983	07.03.1988
4.	श्री एन.के अग्रवाल	17.07.1986	16.07.1991
5.	श्री एस.एन.बाज्जे	11.01.1989	22.07.1990
6.	श्री ए.जयरमन	10.10.1990	09.10.1995
7.	श्री ए.के. सिंघल	01.12.1991	11.01.1993
8.	श्री गुरबचन सिंह	05.01.1996	04.01.2001
9.	श्री एस.एस.रॉय	16.03.1998	04.08.1998
10.	श्री डी.एस.मुखोपाध्याय	25.02.1999	15.11.2000
11.	श्री आर.के. टंडन	30.03.2001	24.01.2004
12.	श्री प्रकाश चन्द्र	16.08.2001	15.08.2006
13.	श्रीमती प्रतिभा मोहन	08.10.2004	07.10.2009
14.	श्री वी.कण्णन	05.05.2008	20.07.2011
15.	श्री एस.के. लोहनी	12.10.2009	11.10.2010
16.	डॉ.देव दत्त शर्मा	25.01.2012	06.03.20.14
17.	श्री संजय विक्रम सिंह	20.06.2011	19.06.2016
18.	श्री सी.पी.जैन	07.03.2014	15.12.2016
19.	श्री मनोज कुमार पांडे	15.07.2016	अब तक

विभिन्न पदों के नाम / वेतन स्तर

क्रम सं.	पद का नाम	वेतन स्तर (7 वे सीपीसी रिपोर्ट के अनुसार)
1.	अध्यक्ष	स्तर-15
2.	सदस्य	स्तर-14
3.	सचिव-सह-परीक्षा नियंत्रक	स्तर-13
4.	निदेशक	स्तर-13
5.	उप सचिव	स्तर-12
6.	क्षेत्रीय निदेशक	स्तर-12
7.	अवर सचिव / उप निदेशक	स्तर-11
8.	प्रधान निजी सचिव	स्तर-11
9.	सहायक निदेशक (रा.भा.)	स्तर-10
10.	लेखा अधिकारी	स्तर-8
11.	प्रोग्रामर	स्तर-7
12.	अनुभाग अधिकारी / सहायक निदेशक	स्तर-8
13.	निजी सचिव / आशुलिपिक श्रेणी क+ ख	स्तर-8
14.	डी.पी.ए (श्रेणी-ख)	स्तर-7
15.	वरिष्ठ हिन्दी अनुवादक	स्तर-7
16.	सहायक अनुभाग अधिकारी	स्तर-7
17.	आशुलिपिक श्रेणी "ग"	स्तर-7
18.	लेखाकार	स्तर-6
19.	अनुसंधान सहायक श्रेणी-I	स्तर-6
20.	कनिष्ठ हिन्दी अनुवादक	स्तर-6
21.	डी.पी.ए (श्रेणी-क)	स्तर-6

कर्मचारी चयन आयोग

22.	डीईओ (श्रेणी "ग") /प्रबंधक (कैटीन)	स्तर-6
23.	अनुसंधान सहायक श्रेणी-II	स्तर-5
24.	पुस्तकालय श्रेणी-II	स्तर-5
25.	डीईओ (श्रेणी "ख")	स्तर-5
26.	केयरटेकर	स्तर-5
27.	वरिष्ठ सचिवालय सहायक./आशुलिपिक श्रेणी 'घ'	स्तर-4
28.	डीईओ (श्रेणी "क") /सहायक प्रबंधक-सह- भंडारी	स्तर-4
29.	हलवाई-सह-रसोईया	स्तर-3
30.	कनिष्ठ सचिवालय सहायक./लिपिक (कैटीन)	स्तर-2
31.	स्टॉफ कार ड्राइवर/सहायक हलवाई-सह-रसोईया	स्तर-2
32.	एम.टी.एस	स्तर-1
33.	कैटीन परिचारक	स्तर-1

टिप्पणी : संयुक्त निदेशक (पू.क्षे.), संयुक्त निदेशक (अनु. एवं वि.), उप निदेशक (मुख्यालय), वित्त एवं बजट अधिकारी तथा अनुसंधान अधिकारी श्रेणी-II के पदों को इस विवरण में शामिल नहीं किया गया है। आयोग में पिछले 10-13 वर्षों से ये पद खाली हैं।

दिनांक 31.03.2018 की स्थिति के अनुसार कर्मचारी चयन आयोग की स्वीकृत स्टॉफ संख्या

समूह - 'क'

क्रम सं.	पद का नाम	मु.	उ.क्षे.	म.क्षे.	प. क्षे	पू.क्षे	पूर्वोक्षे.	द.क्षे.	म.प्र.क्षे.	के.क.क्षे.	पश्चि.क्षे.	योग
1.	अध्यक्ष	01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	01
2.	सदस्य	02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	02
3.	सचिव सह परीक्षा नियंत्रक	01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	01
4.	निदेशक	01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	01
5.	उप सचिव	02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	02
6.	क्षेत्रीय निदेशक	-	01	01	01	01	01	01	-	01	-	07
7.	उप निदेशक	-	-	03	01	02	01	01	01	-	01	10
8.	उप निदेशक (अनु.एवं वि.)	01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	01
9.	उप निदेशक (रा.भा.)	01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	01
10.	अवर सचिव	12	02	-	-	-	-	-	-	-	-	14
11.	उप निदेशक (ईडीपी)	02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	02
12.	प्रधान निजी सचिव	01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	01
	योग	24	03	04	02	03	02	02	01	01	01	43

कर्मचारी चयन आयोग

समूह 'ख'

क्रम सं.	पद का नाम	मु.	उ.क्षे.	म.क्षे.	प. क्षे	पू.क्षे	पूर्वोक्षे.	द.क्षे.	म.प्र.क्षे.	के.क.क्षे.	पश्चि.क्षे.	योग
13.	लेखा अधिकारी	-	01	01	01	01	01	-	-	-	-	05
14.	अनुभाग अधिकारी/ सहायक निदेशक	24	06	06	04	05	02	03	02	02	02	56
15.	सहायक निदेशक (रा.भा.)	01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	01
16.	निजी सचिव (आशुलिपिक श्रेणी क+ख विलय)	05	01	-	-	-	-	-	-	-	-	06
17.	प्रोग्रामर	01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	01
18.	डीपीए श्रेणी ख	04	-	-	-	-	-	-	-	-	-	04
19.	लेखाकार	01	-	01	01	01	01	01	01	01	01	09
20.	सहायक अनुभाग अधिकारी	40	10	09	08	07	03	07	03	05	03	95
21.	आशुलिपिक श्रेणी "ग"	05	-	-	01	-	01	01	01	01	01	11
22.	वरिष्ठ हिन्दी अनुवादक	02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	02
23.	अनुसंधान सहायक श्रेणी-I	02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	02
24.	कैटीन प्रबंधक	01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	01
	योग	86	18	17	15	14	08	12	07	09	07	193

समूह 'ग'

क्रम सं.	पद का नाम	मु.	उ.क्षे.	म.क्षे.	प. क्षे	पू.क्षे	पूर्वोक्षे.	द.क्षे.	म.प्र.क्षे.	के.क.क्षे.	पश्चि.क्षे.	योग
25.	अनुसंधान सहायक श्रेणी-II	03	-	-	-	-	-	-	-	-	-	03
26.	डीपीए श्रेणी "क"	11	03	-	-	-	-	-	-	-	-	14

कर्मचारी चयन आयोग

27.	कनिष्ठ हिन्दी अनुवादक	01	01	01	01	01	01	01	-	01	-	08
28.	पुस्तकालय श्रेणी II	01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	01
29.	डीईओ(श्रेणी "ग")	03	02	-	-	-	-	-	-	-	-	05
30.	डीईओ(श्रेणी "ख")	07	01	-	-	-	-	-	-	-	-	08
31.	केयरटेकर	01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	01
32.	वरिष्ठ सचिवालय सहायक	08	01	01	01	01	01	01	-	01	01	16
33.	आशुलिपिक श्रेणी "घ"	05	01	02	01	02	01	01	01	01	01	16
34.	डीईओ(श्रेणी "क")	09	01	02	03	01	01	02	01	01	01	22
35.	कनिष्ठ सचिवालय सहायक	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	10
36.	स्टॉफ कार ड्राइवर	02	01	01	01	01	01	01	01	01	-	10
37.	एमटीएस	40	09	07	09	13	05	12	05	07	05	112
38.	सहायक प्रबंधक	01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	01
39.	कूपन लिपिक	02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	02
40.	हलवाई-सह-रसोईया	02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	02
41.	सहायक रसोईया	01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	01
42.	कैंटीन परिचारक	08	-	-	-	-	-	-	-	-	-	08
	योग	106	21	15	17	20	11	19	09	13	09	240

समूह/ श्रेणी-वार संस्वीकृत स्टॉफ की संख्या

समूह	मु.	क्षेत्रीय/ उप क्षेत्रीय कार्यालय	योग
समूह "क"	24	19	43
समूह "ख"	86	107	193
समूह "ग"	106	134	240
योग	216	260	476

टिप्पणी : संयुक्त निदेशक (पू.क्षे.), संयुक्त निदेशक (अनु.एवं वि.), उप निदेशक (मुख्यालय), वित्त एवं बजट अधिकारी तथा अनुसंधान अधिकारी श्रेणी-II के पदों को इस विवरण में शामिल नहीं किया गया है। आयोग में पिछले 10-13 वर्षों से ये पद खाली हैं।

कर्मचारी चयन आयोग के क्षेत्रीय / उप-क्षेत्रीय कार्यालय

क्षेत्र/उप क्षेत्र	स्थापना की तारीख
उत्तरी क्षेत्र (नई दिल्ली)	01.07.1976 (26.09.1979)*
दक्षिणी क्षेत्र (चेन्नई)	14.11.1977
पूर्वी क्षेत्र (कोलकाता)	27.12.1977
मध्य क्षेत्र (इलाहाबाद)	31.12.1977
पश्चिमी क्षेत्र (मुम्बई)	10.01.1978
मध्य प्रदेश क्षेत्र (रायपुर)	01.01.1980
पूर्वोत्तर क्षेत्र (गुवाहाटी)	07.02.1981
केरल कर्णाटक क्षेत्र (बंगलूरु)	01.03.1990
पश्चिमोत्तर क्षेत्र (चंडीगढ़)	16.11.1996

* 26.09.1979 को पृथक क्षेत्रीय कार्यालय बनाया गया।

क्षेत्रीय/ उप क्षेत्रीय कार्यालय एवं उनके कार्यक्षेत्र

क्षेत्र	क्षेत्रीय मुख्यालय	पता	क्षेत्र में आने वाले राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	क्षेत्रीय कार्यालयों/ क्षेत्रीय निदेशकों के दूरभाष संख्या
क्षेत्रीय कार्यालय				
उत्तरी क्षेत्र	दिल्ली	ब्लॉक संख्या-12 केन्द्रीय कार्यालय परिसर, लोधी रोड, नई दिल्ली-110003	राजस्थान, दिल्ली तथा उत्तराखंड	011-24360944/ 24364802 011-24360944 (फैक्स)
मध्य क्षेत्र	इलाहाबाद	21-23, लाउदर रोड, इलाहाबाद – 211 002.	बिहार तथा उत्तर प्रदेश	हेल्पलाइन नं 0532-2460511/ 9452424060 0532 -2460511 (फैक्स)
पूर्वी क्षेत्र	कोलकाता	निजाम पैलेस, प्रथम एमएसओ भवन, (8वां तल), 234/4, एजेसी बोस रोड, कोलकाता - 700020	उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, झारखंड और अंडमन और निकोबार द्वीप समूह संघ राज्य क्षेत्र	033-22904424, 22902230 033-22904424 (फैक्स) हेल्पलाइन नं 9477461228, 9477461229
पूर्वोत्तर क्षेत्र	गुवाहाटी	बेलतोला- बशिष्ट रोड, दिसपुर, गुवाहाटी – 781006.	अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मिजोराम, मेघालय, नागालैंड तथा त्रिपुरा	0361-2235649, 2228929 0361-2224779 (फैक्स) हेल्पलाइन नं 9085015252, 9531456804
पश्चिमी क्षेत्र	मुम्बई	प्रथम तल, दक्षिण विंग, प्रतिष्ठा भवन (पुराना सीजीओ बिल्डिंग) 101, एम.के.रोड, मुम्बई - 400020	गोवा, गुजरात, महाराष्ट्र तथा दमन, दीव, दादर और नगर हवेली संघ राज्य क्षेत्र	022-22019117/ 22019118 /22018866 022-22018527 (फैक्स) हेल्पलाइन नं 9869730700, 7738422705

कर्मचारी चयन आयोग

दक्षिणी क्षेत्र	चेन्नई	इवीके सम्पथ विल्डिंग, द्वितीय तल, कॉलेज रोड, चेन्नई - 600006	आंध्र प्रदेश , तेलंगाना, तमिलनाडु और पांडिचेरी संघ राज्य क्षेत्र	044-28275568/ 28235021 /28251138 044-28270561 (दूर./फैक्स) हेल्पलाईन नं 044-28251139/ 9445195946
केरल कर्नाटक क्षेत्र	बंगलूरु	केन्द्रीय सदन, प्रथम तल, ई- विंग, द्वितीय खंड, कोरमंगला, बंगलूरु - 560034	कर्णाटक, केरल तथा लक्ष्यद्वीप संघ राज्य क्षेत्र	080-25527342 – स.नि. 080- 25520653 – क्षे.नि. 080-25520653 (दूर./फैक्स) हेल्पलाईन नं 080-25502520(कन्नड़) 09453862020 (मलयालम)
उप क्षेत्रीय कार्यालय				
मध्य प्रदेश क्षेत्र	रायपुर	जे-5, अनुपम नगर, रायपुर(छत्तीसगढ़)-492007.	मध्य प्रदेश तथा छत्तीसगढ़	0771-2282678/ 2282507 0771-2282678 (फैक्स)
पश्चिमोत्तर क्षेत्र	चंडीगढ़	ब्लॉक सं- 3, भूतल,केन्द्रीय सदन, सैक्टर - 9,चंडीगढ़ – 160017	हिमचल प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, जम्मू और कश्मीर तथा चंडीगढ़ संघ राज्य क्षेत्र	0172-2742144/ 2749378 0172-2742144 (फैक्स) 0172-2741060-क्षे.नि 0172-2744366 (हेल्पलाईन नं)

परिशिष्ट-ड

दिनांक 01.04.2017 से 31.03.2018 तक समूह "ख" पदों के लिए भर्ती

क्षेत्र	आवेदकों की संख्या								चयनित अभ्यर्थियों की संख्या							
	अना	अजा	अजजा	अपिव	भू.पू.सै	शा.दि	योग	अना	अजा	अजजा	अपिव	भू.पू.सै	शा.दि	योग		
म.क्षे.	9713	8382	977	9125	319	392	28197	102	34	08	51	00	01	195		
पू.क्षे.	852	218	75	712	00	01	1857	94	28	13	103	00	04	238		
के.क.क्षे.	1851	743	213	2091	00	00	4898	87	12	04	29	00	03	132		
म.प्र.क्षे.	293	02	00	00	00	01	295	00	00	00	01	00	00	01		
पूर्वोत्तर.क्षे.	320	115	77	227	00	00	739	08	02	01	03	00	00	14		
उ.क्षे.	34153	7418	4486	19250	00	00	65307	215	38	25	94	00	00	372		
पश्चिमोत्तर क्षे.	1102	602	173	740	03	00	2617	74	27	10	48	00	05	159		
द.क्षे.	4570	5002	1307	6969	148	257	17848	36	05	06	15	00	00	62		
प.क्षे.	3251	1496	399	3155	04	14	8301	73	20	09	30	00	02	132		
योग	56105	23978	7707	42269	474	665	130059	689	166	76	374	0	15	1305		

* मुख्य श्रेणी में भू.पू.सै. तथा शारीरिक दिव्यांग शामिल हैं

दिनांक 01.04.2017 से 31.03.2018 तक समूह "ग" पदों के लिए भर्ती

क्षेत्र	आवेदकों की संख्या							चयनित अभ्यर्थियों की संख्या						
	अना	अजा	अजजा	अपिव	भू.पू.सै	शा.दि	योग	अना	अजा	अजजा	अपिव	भू.पू.सै	शा.दि	योग
म.क्षे.	6805	5074	884	7704	197	552	20467	12	01	03	05	00	00	21
पू.क्षे.	2300	569	194	1720	00	45	4783	41	07	06	37	04	18	91
के.क.क्षे.	1106	457	188	1352	00	00	3103	24	04	02	11	00	00	41
म.प्र.क्षे.	1379	1884	975	331	00	00	4569	05	01	02	02	00	00	10
पूर्वोत्तर.क्षे.	71	43	26	149	00	00	289	00	00	00	01	00	00	01
उ.क्षे.	13629	4748	2613	9120	00	00	30110	15	01	01	03	00	00	20
पश्चिमोत्तर.क्षे.	2413	2701	1285	2552	94	42	8951	10	04	00	11	00	00	25
द.क्षे.	1723	3474	1279	2962	154	230	9438	05	02	00	01	00	00	08
प.क्षे.	1204	567	60	817	27	09	2648	27	07	02	18	00	00	54
योग	30630	19517	7504	26707	472	878	84358	139	27	16	89	4	18	271

* मुख्य श्रेणी में भू.पू.सै. तथा शारीरिक दिव्यांग शामिल हैं

